

इस्लाम में निकाह की फजीलत



इंसान ख्वां वो मर्द हो या औरत उम्र के इक पड़ाव यानी बलुगत कि दहलीज पर जब पहुंचता है तो उसकी जिस्मानी और रूहानी कैफियत बदल जाती है और फिर उसे सुकून की तालाश होती है। और ये सुकून हलाल और जायज़ तरीके से तब हासिल होता है जब इंसान निकाह के पाक रिश्ते में जुड़ता है।

By फ़िरोज़ा खान

www.islamictheologies.blogspot.com

इस्लाम में निकाह की फजीलत

नं.	फेहरिस्त	पे.नं.
1. निकाह		
i	निकाह एक नेअमत है	3
ii	निकाह का क्या मतलब है	4
iii	निकाह की शरई तारीफ़	5
iv	शरियते इस्लाम में निकाह का हुक्म	5
v	निकाह एक फितरी जरूरत	6
vi	निकाह एक समाजी जरूरत	6
vii	निकाह इखलाकी जरूरत	7
viii	निकाह नफसियाती और रूहानी जरूरत	7
ix	निकाह दीनी जरूरत	7
x	निकाह के फायदे	8
xi	निकाह के फायदे के कुछ खास पॉइंट	9
2. हमसफ़र कैसे चुने?		
i	लड़के के लिए लड़की (बीवी) का इंतेखाब	10
ii	दीनदार औरत कौन?	10
iii	लड़की के लिए लड़के (शौहर) का इंतेखाब	11
iv	निकाह के लिए लड़की देखना	11
3. पैग़ाम ए निकाह		
i	निकाह का पैग़ाम भेजना	14
ii	निकाह का पैग़ाम किसे भेजा जाएगा?	14
iii	एक रिश्ते पर दूसरा पैग़ाम भेजना?	14
iv	लड़की की तरफ से निकाह का पैग़ाम	15
v	पैग़ाम मिलने पर इस्तेखारा करना।	16
vi	इस्तेखारा क्या है?	16
4. कुबूल है! कुबूल है! कुबूल है!		
i	लड़की की रजामंदी	18
ii	लड़की कब निकाह खत्म कर सकती है?	19
iii	निकाह में वली की इजाज़त	20
iv	वली कौन है?	22
v	वली की इजाज़त क्यों ज़रूरी है?	22

नं.	फेहरिस्त	पे.नं.
iii	दिन तारीख़	45
iv	मांझा/हल्दी	45
v	मायो की रस्म	46
vi	मेहंदी की रस्म	46
vii	संगीत	47
viii	पटाखे और आतिश बाज़ी करना	47
ix	ढोलक और डिस्क जॉकी (DJ)	47
x	रतजगा (छोटा खाना)	47
xi	बारात	48
xii	दावते तआम	49
xiii	सलाम कराई/बासी खवई	49
xiv	खीर/मलीदा खवही	49
xv	जूता छिपाई/चुराई	49
xvi	गौना की रस्म	50
xvii	दुल्हन को कुरआन के साए में बिदा करना	50
xviii	नागिन दहेज़	51
xix	दुल्हन के कमरे को सजाना	52
xx	मुँह दिखाई	52
xxi	विडियो और फोटोग्राफी	52
xxii	चौथी की रस्म	53
11. पहली मुलाक़ात		
i	शब-ए-ज़िफ़ाफ़ (सुहाग रात)	54
ii	दो रकात शुक्राने की नमाज़	54
iii	दुआ पढ़ने का मकसद	55
iv	तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ	56
v	मुस्तक़बिल की फ़िक्र	57
vi	अल्लाह की नाराज़गी से बचो	57
vii	कामयाबी और खुशक़िसमती	57
viii	राज़ की बातें दूसरों में बयान करना	58
12. दावत ए वलीमा		

5. कब आएगा वो दिन?		
i	निकाह में जल्दी करना	23
ii	बिरादरी / खानदान	23
iii	गैर खानदान-बिरादरी /जाति में निकाह	25
iv	माल/दौलत	25
v	लड़को की जिम्मेदारियां और मजबूरियां	26
vi	लड़की वालों की डिमांड	27
vii	लड़को के वालदेन की तरफ से उम्मीदें	27
viii	सही वक्त पर निकाह	28
6. दहेज		
i	इस्लाम में दहेज की कोई शर्ह हैसियत	29
7. मेहर		
i	मेहर क्या है?	31
ii	मेहर की इस्लाम में क्या हद है?	32
8. निकाह की कुबूलियत और दो गवाह		
i	निकाह का खुल्बा	33
ii	ईजाब व कुबूल	34
iii	निकाह के लिये दो गवाहों की मौजूदगी	34
9. बैंड बाजा बारात		
i	निकाह का ऐलान	36
ii	खुशी और जश्न मनाना	36
	a. गाना (खुशी मनाना) और दफ बजाना	36
	b. हम्द व सना और नात	37
iii	म्यूजिक के हवाले से इस्लाम क्या कहता है?	38
iv	गौर करने का मकाम है	39
v	उम्मत के बहनों और भाइयों से खास इल्तजा	39
10. लव मैरिज		
i	क्या इस्लाम में लव मैरिज की इजाजत है?	40
ii	मां बाप का मकाम	41
iii	लड़की-लड़के की पसंद	42
11. निकाह के मौके पर कुछ गैर इस्लामी रस्में		
i	लड़की देखना	44
ii	सगाई/मंगनी इंगेजमेंट	44

i	वलीमे का मतलब	59
ii	क्या वलीमा जरूरी है	59
iii	सामर्थ्य के मुताबिक वलीमा करें	59
iv	वलीमा की दावत कुबूल करना	60
v	किन दावतों में न जायें	61
13. नये जोड़े को दुआ और तोहफा देना		
i	नये जोड़े को दुआ देना	63
ii	नये जोड़े को तोहफे देना	64
14. बीवी के हुक्क शौहर पर		
i	अखलाक	65
ii	जिंदगी में लिबास की एहमियत है?	66
iii	हम खुद को कितना बचा सकते हैं?	67
iv	बीवी को किसी ओर का मोहताज ना बनाना	68
15. शौहर (हस्बैंड) के हुक्क बीवी पर		
i	नेक और बेहतररीन बीवी	69
ii	नेक बीवी की सिफत	71
iii	नेक और बेहतररीन शौहर की सिफत	72
16. चार (4) निकाह की इजाजत		
i	मर्द को चार निकाह की इजाजत क्यों?	73
ii	इस्लामी कानून की चार शादी की इजाजत	73
iii	एक इल्तिजा मुस्लिम बहनों से	76
iv	एक इल्तेजा कौम के नौजवानों से	76
17. मर्द के लिए निकाह की शर्तें		
i	किन औरतों से निकाह जायज़/हलाल है	77
ii	निकाह के लिये हलाल औरतें	77
iii	किन औरतों/मर्दों से निकाह मना (हराम)	78
	a. सल्बी, दूध शरीक और रजाई रिश्तों में	78
	b. दो सगी बहने एक निकाह में	79
	c. बीवी की सगी खाला या फूँफी	79
	d. बाप की बेवा या मुतल्लका (सौतेली माओं)	79
	e. मुश्रिक और खुली ज़िनाकारी में लिप्त	80
18. खुलासा		
i	खुलासा ए निकाह	82
ii	नज़म ए निकाह	83

इस्लाम में निकाह की क्या फजीलत है?

1. निकाह

इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक है और इसलिये इसे अशरफुल मखलूक कहा गया है अल्लाह ने इंसान को बा-शउर पैदा किया है कि उसमें सोचने समझने एक दूसरे की के जज़्बात की कद्र करने की सलाहियत सिर्फ इंसानों को अता की गई है और यही चीज़ इंसान को दुनिया की बाकी मखलूक से अलग करती है इस खूबसूरत दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है मगर दो ऐसी नेमतें हम इंसानों को अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं जो किसी और मखलूक को नहीं मिली

(i). लिबास

(ii). निकाह

निकाह इन्सानी जिंदगी को सफल बनाने के लिए अल्लाह सुभानहु तआला की तरफ से सबसे खूबसूरत नेमत और तोहफा है।

हम देखते हैं कि इंसानी जिंदगी में ये एक फितरी चीज़ है कि इंसान खां वो मर्द हो या औरत उम्र के इक पड़ाव यानी बलुगत कि दहलीज पर जब पहुंचता है तो उसकी जिस्मानी और रुहानी कैफियत बदल जाती है और फिर उसे सुकून की तालाश होती है। और ये सुकून हलाल और जायज़ तरीके से तब हासिल होता है जब इंसान निकाह के पाक रिश्ते में जुड़ता है।

(ii) निकाह एक नेअमत है:

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, “और उसी की (कुदरत) की निशानियों में से एक ये (भी) है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही जिन्स की बीवियाँ (जोड़े) पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर सुकून हासिल करो और तुम लोगों के दरमियान प्यार और शफकत पैदा कर दी इसमें शक नहीं कि इसमें गौर करने वालों के लिये (कुदरते खुदा की) यक़ीनी बहुत सी निशानियाँ हैं।” [कुरआन 30: 21]

वजाहत: इस आयत में अल्लाह ने इन्सान की पैदाइश के बाद से आज तक जो शौहर और बीवी का पाक रिश्ता चला आ रहा है, उसे अपनी एक बड़ी नेमत के तौर पर बयान किया है।

सबसे पहले आदम अलैसलाम की पैदाइश हुई और उनके जोड़े को पूरा करने के लिए भी माँ हव्वा को पैदा किया, इस से हम इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शौहर और बीवी के बीच इस पाक रिश्ते की शुरुआत अल्लाह सुभानहु तआला ने जन्नत में ही की, जबकि कोई और रिश्ता उस वक़्त मौजूद न था।

यहां हमें कुछ और बिंदु भी देखने को मिलते हैं जिनके बिना हमारी घरेलू जिंदगियों में चैन व सुकून कायम नहीं होता और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो बेकरारी और नफरत से में घुटता रहता है, वो ये हैं:

- शौहर और बीवी के बीच आपसी समझ और एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए ताकि जिंदगी पुर सुकून और खुशनुमा बन सके।
- किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए - आपसी भरोसा और समझ का होना बेहद जरूरी है बिना भरोसे के मुहब्बत कायम नहीं हो सकती फिर शौहर और बीवी का रिश्ता तो निकाह के बाद निहायत ही नाजुक दौर से गुजर रहा होता है।
- आपसी मुहब्बत को परवान चढ़ाने उसे कायम रखने के लिये जरूरी है कि मियां बीबी एक दूसरे के साथ शफकत और नमी से पेश आए, छोटी छोटी बातों और गलतियों को इग्नोर किया जाए एक दूसरे की कोतहियों को माफ किया जाये।

अल्लाह रब्बुल इज्जत का फ़रमान, “वे (बीवियाँ) तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम(शौहर) उनके लिए लिबास हो।”
[कुरआन 2: 187]

वजाहत: अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, इस आयत में शौहर और बीवी को ‘एक दूसरे का लिबास’ कहा है, “लिबास” का क्या काम होता है ये तो सब जानते हैं। हम ने शुरू में ही इस बात पर रोशनी डाली है, “लिबास और निकाह दोनों ही चीज़ें इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी और नेमत के तौर पर मिली है जो हमें जानवरों से अलग करता है।”

ये दोनों ही नेमतें अल्लाह तआला नेअमत के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अता की; दुनिया में नहीं।

- जिस तरह से बदन को लिबास की जरूरत होती है उसी तरह से लिबास को भी बदन की जरूरत होती है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ऐसा ही ताल्लुक शौहर और बीवी का है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
- लिबास की एक खूबी ये भी है की वो इंसान की खामियों की पर्दा पोशी करता है ऐसी ही पर्दा पोशी की उम्मीद शौहर और बीवी के बीच होनी चाहिए।
- जिस तरह लिबास तमाम मौसम (सर्दी, गर्मी और बरसात) से इंसान की हिफाज़त करता है वैसे ही शौहर और बीवी को तमाम परेशानियों एक दूसरे की हिफाज़त करनी चाहिए।
- लिबास एक ऐसी नेमत है कि इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, समाज में इज्जत और एहताराम का बाइस होता है शौहर और बीवी को भी एक दूसरे की ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए,

यहां एक खास बात पर नज़र डालते चलें जिस घर में मर्द अपनी बीवी की कद्र और इज्जत नहीं करता उस औरत की न घर वाले खास अहमियत देते हैं न ही समाज वाले इस लिये शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के जज़्बातों की कद्र करे उसे सबके सामने जलील न करे।

(iii) निकाह का क्या मतलब है:

निकाह का मतलब है “मिलना या गले लगाना”, जब दो लोगों के बीच निकाह होता है तो वो एक एग्रीमेंट की सूरत में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

(iii) निकाह की शरई तारीफ़:

निकाह उस अहद (agreement) को कहते हैं जिसमें शौहर और बीवी को हक़ ए जौजियत अदा करने का पूरा मौका फ़राहम करता है।

(iv) शरियत इस्लाम में निकाह का हुक्म:

अगर कोई शख्स जो निकाह की उम्र में पहुँच चुका है और उसे डर लगा रहता है कि वह निकाह नहीं करेगा तो ज़िना हो जायेगा और ये उसके लिए गुनाह का सबब है तो उसे निकाह कर लेना चाहिए आइए देखें शरियत का इस हवाले से क्या हुक्म है।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमसे फ़रमाया:

“ऐ नौजवानो की जमाअत! तुम में से जो निकाह करने की माली हैसियत रखता हो उसे निकाह करना चाहिए क्योंकि निकाह नज़र को झुकाने वाला और शर्मगाह को महफूज़ रखने वाला अमल है और जो कोई माली हैसियत न रखता हो, वो रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा ढाल है (यानी रोज़ा नफ़्स की ख्वाहिशों को कुचल देता है।)” [सहीह बुखारी 1905, 5065, 5066; सहीह मुस्लिम 3398, 3400]

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“जब आदमी निकाह करता है तो उसका निस्फ़ (आधा) ईमान मुकम्मल हो जाता है, अब उसे चाहिये कि बाकी आधे ईमान के बारे में अल्लाह तआला से डरता रहे।” [मिशकात उल मसाबीह 3096; सुनन इब्ने ए माजा 1846]

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त कुरान में फ़रमाता है:

“उन औरतों के सिवा (जो तुम्हारे लिये हराम है) तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से (निकाह करना) जायज़ हैं बशर्ते कि तुम बदकारी व ज़िना की नौयत से नहीं बल्कि तुम इफ़्त या पाकदामिनी की गरज़ से अपने माल व मेहर के बदले निकाह करना चाहो। जिन औरतों से तुम दाम्पत्य जीवन का जो फायदा उठाओ उसके बदले उन्हें जो मेहर तय किया है उन्हें दे दो और मेहर के मुक़रर होने के बाद अगर आपस में (कमी ज्यादाती पर) राज़ी हो जाओ तो उसमें तुमपर कुछ गुनाह नहीं है बेशक़ खुदा (हर चीज़ से) वाकिफ़ और मसलहतों का पहचानने वाला है। और तुममें से जो शख्स आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की हैसियत न रखता हो तो उसे चाहिये की तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और ईमान वाली हो और खुदा तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है (ईमान की हैसियत से तो) तुम एक दूसरे के हमजिन्स (सहजात) हो।

लिहाजा तुम उनके मालिकों की इजाज़त से लौन्डियों से निकाह करो और उनका मेहर हुस्ने सुलूक से दे दो मगर उन्हीं (लौन्डियों) से निकाह करो जो इफ़्त के साथ तुम्हारी पाबन्द रहें, न तो खुले आम ज़िना करना चाहें और न चोरी छिपे से आशनाई करे। ये सहूलत तुममें से उन लोगों के लिये पैदा की गयी है जिसे निकाह न होने की वजह से ज़िना में मुब्तिला हो जाने का ख़ौफ़ हो लेकिन अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे हक़ में ज्यादा बेहतर है और खुदा बख़्शने वाला मेहरबान है।” [कुरआन 4: 24-25]

अल्लाह सुभानहु तआला फरमाता है:

“वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया और फिर उसको खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और तेरा परवरदिगार बड़ा कुदरत वाला है।” [कुरआन 25: 54]

(v) निकाह एक फितरी जरूरत:

इंसानी जिंदगी में निकाह एक फितरी जरूरत है। हम जिस भी समाज में रहते हैं और उस समाज में कोई शख्स गैर तरीके से यानी बिना निकाह अपनी जिस्मानी ख्वाहीश को पूरी करता है तो उसे चरित्र हीन और गिरा हुआ समझा जाता है समाज उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखता और शरियत की रूह से ये ज़िना में शुमार होता है।

अल्लाह का फ़रमान है:

“और, (देखो) ज़िना (व्यभिचार) के पास भी ना जाना, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है।” [कुरआन 17: 32]

निकाह के ज़रिए इंसान हलाल रिश्ता कायम करता है और ये अल्लाह इब्बुल इज्जत का एहसान है हम मुस्लिमों पर कि इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से हमें नवाज़ दिया है ताकि हम गुनाहों से बचें।

(vi) निकाह एक समाजी जरूरत:

निकाह एक समाजी जरूरत भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से ये दुनियां बनाई, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक दुनियां के हर कोने में, हर मुल्क में हजारों कौम और कबीला को वजूद बख्शा है और उन में एक समाज पाया जाता है, और ये समाज (society) भी निकाह के ज़रिए ही वजूद में आता है गौर करने की बात ये है कि अगर

- निकाह न हो तो समाज (मुआशरा) कैसे बनेगा?
- अगर बिना निकाह के लोग अपनी जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने लगे तो उनमें और जानवरों में क्या फ़र्क होगा?
- जिस्मानी ताल्लुकात तो जानवर और चरिंदे परिंदे भी कायम करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं फिर इंसान और बाकी के मखलूक में क्या फ़र्क रह जाता है?

इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने, निकाह करने और अपने बच्चों की परवरिश हलाल तरीके से करने की सलाहियत दी है यही चीज इंसान को बाकी मखलूक से अलग करती है।

फरमाने बारी तआला है:

“और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिये तुम्हीं में से तुम्हारी बीवियाँ बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे-पोते दिये और अच्छी-अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दीं। फिर क्या ये लोग (ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी) बातिल (असत्य) को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं।” [कुरआन 16: 72]

(vii) निकाह इखलाकी जरूरत:

निकाह इखलाक (अच्छे आचरण) की निशानी भी है। इंसान जिस किसी भी समाज में रहता है वो एक पाक दामन जिंदगी गुजरना चाहता है ये उसके अच्छे आचरण की पहचान होती है फिर पाक दामन इंसान अपने किरदार की हिफाजत ऐसे करता है जैसे लोग सफ़ेद पोशाक की हिफाजत करते हैं। सफ़ेद पोशाक पर थोड़ा भी दाग लग जाए तो हम उसे पहनना पसंद नहीं करते।

(viii) निकाह नफसियाती और रूहानी जरूरत

निकाह नफसियाती और रूहानी जरूरत भी है। अल्लाह तआला ने इंसान के अंदर बहुत से जज़्बात रखे हैं और उन सब जज़्बातों में एक ये भी है कि मर्द और औरत उम्र एक एक मकाम पर अपने जींस ए मुखालिफ यानी विपरीत लिंग (opposite gender) से सुकून हासिल करना चाहता है इसी लिये नौउम्री (teenage) में पहुंच कर लड़का और लड़की एक दूसरे की जानिब आकर्षित होते हैं और अगर इस उम्र में निकाह नहीं किया जाय तो लोग हराम रिलेशनशिप में मुब्तला हो जाते हैं जिसे वो मुहब्बत समझते हैं जब कि ये मोहब्बत नहीं एक आकर्षण होता है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि से रिवायत है कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

“तुमने निकाह के अलावा (यानी शौहर और बीवी) के जैसे दो बाहम मुहब्बत करने वाले नहीं देखे होंगे।” [सुन्न इब्ने माजा 1847]

निकाह के ज़रिए जोड़े एक दूसरे के नफ्सियाती जरूरत हलाल तरीके से पूरा करते हैं एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं, दोनों एक दूसरे के नखरे उठाते हैं दो खानदानों जुड़े रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, उनकी इज़जत का खयाल रखते हैं यही असली मोहब्बत होती है और इसी तरह रूहानी सुकून का जरिया भी निकाह है जैसे एक दूसरे को नमाज़ के लिए जगाना।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला उस जोड़े को देख कर खुश होता है”

और फ़रमाया, “रहम फरमाए अल्लाह उस बंदे पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को जागता है, अगर वो इंकार करे तो उसके मुंह पर पानी के छीटें मरता है, और रहम करे अल्लाह उस बंदी पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ती और अपने शौहर को जगाती है अगर वो इंकार करे तो उसके मुंह पर पानी के छीटें मारती है।”

[अबु दाऊद 1308]

(ix) निकाह दीनी जरूरत:

निकाह दीनी ऐतबार से एक उम्दा जरूरत है। इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़जत ने निकाह को वाजिब करार दिया है जिन मोमिन मर्द वऔरत को इस बात का डर हो कि उन से जिना हो जायेगा तो उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। निकाह अल्लाह की निशानी और तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया:

“निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता वह हम में से नहीं।” [सुन्न इब्ने माजा 1846]

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त फरमाता है:

“हम ने आप से पहले जीतने भी रसूलों को भेजा उनकी बीबियां भी थी और औलाद भी थे।” [कुरआन 13: 38]

अल्लाह का फ़रमान है:

“तुम में से जो मर्द और औरत बेनिकाह हैं उनके निकाह करवा दो।” [कुरआन 24: 32]

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“अगर मर्द अपनी बीवी से जिमा (हमबिस्तरी) करता है तो उस में भी नेकी है।”

सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم इसमें कैसी नेकी है?

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया: भला बताओ अगर उसने इसका इस्तमाल गलत जगह पर किया होता तो क्या उसके लिए गुनाह होता की नहीं सहाबा ने फरमाया जी ज़रूर गुनाह है।

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया जब उसने उसे हलाल जगह और हलाल तरीके से इस्तमाल किया है तो उसके लिए नेकी भी तो है। [सहीह मुस्लिम 1006]

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल किया।” [सुन्न तिर्मिज 2521]

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“औरत से चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है,

1. उसके माल
2. खानदान,
3. हुस्न(खूबसूरती) और
4. उसका दोन

लिहाजा तुम दीनदार औरत से निकाह करो वरना तुम खसारे में रहोगे।” [सहीह बुखारी 5090]

(x) निकाह के फायदे:

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“दुनिया एक मता’अ (कुछ वक्त के लिए फायदा उठाने की चीज़) है और दुनिया की बेहतरीन मता’अ नेक औरत (बीवी) है।” [सहीह मुस्लिम 3649]

a. नेक औरत अपने शौहर फर्माबरदार होती है। उसकी खूबी बयान करते हुए नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया कि, “जब उसका शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे शौहर के गैरमौजूदगी में अपने इज़ज़त की हिफाज़त करे उसके माल और की हिफाज़त करे, अपने नमाजों की हिफाज़त करे, रमजान के रोज़े रखे और अपने शर्मगाह की हिफाज़त करे ऐसी औरत को जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जायेगा।” [सहीह इब्न हिब्बान 4163]

b. जब कोई इंसान निकाह करता है तो वो अल्लाह के हुक्म और नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم की सुन्नत की फर्माबरदारी कर रहा होता है।

c. सच्ची मुहब्बत सिर्फ़ मियाँ बीवी के बीच ही पैदा हो सकती है।

अम्मी आयशा रज़ी० से रिवायत है, जब 3 आदमी नबी صلی اللہ علیہ وسلم की इबादत के बारे में मालूम करने आये तो नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने उन्हें वापस बुला कर कहा,

“सुन लो! अल्लाह की कसम! मैं तुम सब से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैं तुममें सब से ज्यादा परहेजगार हूँ। लेकिन मैं रोज़े रखता हूँ तो इफ़्तार भी करता हूँ। रात में नमाज़ पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। जिसने मेरी सुन्नत(तरीके) से बेरग़बती की वो मुझ से नहीं (यानी मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं)।” [सहीह बुखारी 5063; सहीह मुस्लिम 3403]

(xi) निकाह के फ़ायदे के कुछ खास पॉइंट:

1. निकाह अंबिया और रसूलों की सुन्नत पूरा करने का जरिया है।
2. निकाह इंसानी सहबत को जायज़ और हलाल तरीके से पूरा करने का अल्लाह की तरफ़ से खूबसूरत तोहफ़ा है जिस पर उसे अजर भी मिलता है।
3. निकाह से शर्मगाह की हिफाज़त होती है।
4. निकाह नस्लों को आगे बढ़ाने एक खानदान वजूद में लाने का जरिया है।
5. नेक औलाद अपने वालदेन के आंखों की ठंडक बनती है उनके बुढ़ापे में सहारा होती है नेक औलाद जब अपने वालदेन के लिए खैर की दुआ करती है ये दुआएं खैर महसर में नेक अमाल में इज़ाफ़ा का जरिया होगा।
6. उम्मतते इस्लामिया में ज्यादा तादाद का जरिया। अम्मी आयशा रज़ि से रिवायत है कि रसूलल्लाह (صلی اللہ علیہ وسلم) ने फ़रमाया, “निकाह मेरी सुन्नत और मेरा तरीका है। और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल न किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग निकाह करो क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत(ज्यादा तादाद) की वजह से कयामत के दिन दूसरी उम्मतों पर फख्र करूँगा।” [सुनन इब्ने माजा 1846]
7. जब इंसान किसी समाज में रह कर एक खानदान बनाता है रिश्ते नाते निभाता, उनके हुक्क अदा करता है उनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह सुभानहू तआ ला इस पर उसे अजर देता है।
8. अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के रिज्क में इज़ाफ़ा करता है।
9. शौहर और बीवी निकाह के ज़रिए एक दूसरे से जिस्मानी और रूहानी सुकून हासिल करते।

2. हमसफ़र कैसे चुने?

(i) लड़के के लिए लड़की (बीवी) का इंतेखाब:

इस हवाले से कुछ हदीस पर गौर करें-

हजरत अबू हुरैरह रज़ि से रिवायत है कि रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

औरत से निकाह चार चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है-

1. मालदारी (धन, संपत्ति/बैंक बैलेंस)
2. हस्बे नस्ब (खानदान, पारिवारिक स्थिति)
3. ख़ुबसूरती (सुंदरता / सुंदर)
4. दीनदारी (धार्मिक)

“लिहाजा तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो, अगर तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी। (यानी आखिर में तुझे नदामत और मायूसी होगी।)” [सहीह बुखारी 5090; सहीह मुस्लिम 3635; सुनन इब्ने माजा 1858; सुनन अबू दाऊद 2047]

अबू सईद खुदरी रज़ि की रिवायत में ये अल्फाज इस तरह हैं, “तुम दीन और अखलाक वाली औरत का इंतेखाब कर लेना।” [सिलसिला सहीहा 1443]

(ii) दीनदार औरत कौन?

नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

आदमी के नेक बख़्त होने कामयाब होने की चार चीज़ें हैं-

1. नेक बीवी
2. कुशादा घर
3. अच्छे पड़ोसी
4. उम्दा सवारी

[सही अल जामी 887; मसनद अहमद 14947; सही इब्न ऐ हिब्बन 4032]

इन अहदास से पता चलता है कि नबी करीम (صلی اللہ علیہ وسلم) ने दीनदार औरत को खास तरजीह (priority) दी। दीनदार औरत घर को जन्नत बनाने की कोशिश में जुटी रहती है, अल्लाह के बनाए हुदुद को पार नहीं करती, अल्लाह के अहकाम का खयाल रखती है, तकवा और परहेज़गारी से काम लेती है, मुश्किल और परेशानी में सब्र करती है, शौहर का दीन में साथ देती है, बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से दीन के ऐतबार से अंजाम देती है, मोहब्बत, नमी और शफकत से घर वालों और सास ससुर की खिदमत करती है। जिससे घर में खुशनुमा माहौल फराहम होता है।

आज हम समाज और आस पास का माहौल देखते हैं तो दिल बैठ जाता है, जिस तरीके से आज रिश्ता तलाशा जा रहा है धन दौलत, खानदानी स्टेटस, जात बिरादरी वगैरह वगैरह। इस्लाम जिस बुनियाद पर निकाह को तरजीह (प्राथमिकता) देता है वह दीनदारी और अखलाकी मयार है।

मान लीजिए कि अगर किसी दीनदार को छोड़ कर हम ऐसे इंसान का इंतेखाब करें जो दौलत मंद हो उंचे खानदान वाला हो, खुबसूरत भी हो- अगर लड़की में ये सारी खूबी है मगर वो बदकिरदार है बदजुबान है नाफरमानी करने वाली है... लड़का जो दौलत मंद हो, हैंडसम हो मगर उसके अखलाक निहायत गिरे हुए हैं मसलन नसेड़ी, शराब पीता हो, चरित्र हीन हो तो नतीजा क्या होगा कुछ दिनों बाद कलह शुरू हो हो जायेगा लड़ाई झगड़े, फितना फसाद और फिर जिंदगी जहन्नूम बन कर रह जाती है जैसा कि आज हमारे समाज में हो रहा है। इसलिए हमारे नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने कहा 'तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी'। यानि तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल न होगा।

(iii) लड़की के लिए लड़के (शौहर) का इंतेखाब

जिस तरह से एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारने, दुनियां और दीन दोनों को संवारने के लिए लड़की का दीनदार होना ज़रूरी है उसी प्रकार बेटियों को जिन्दगी में भी दीनदार मर्द का होना बेहद ज़रूरी है आइए इसे हदीस की रोशनी में देखें,

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिस का दीन और अखलाक तुम पसंद करते हो उससे निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा न करोगे तो जमीन में फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा।” [जामेअ तिर्मिज़ी 1084, 1085; मिश्कात उल मसाबीह 3090]

वजाहत: इस हदीस से पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने इस बात की नसीहत की है कि जैसे एक मर्द को नेक बीवी चुनने उस से निकाह करने की सलाह दी है, ठीक उसी तरह एक मुस्लिम औरत को भी इस्लाम की नज़र में इस बात की सलाह दी जाती है कि वो भी अपने होने वाले शौहर में नेकी, दीनदारी और अच्छे अखलाक के पहलू सबसे पहले देखे।

एक बात और अगर ऐसे रिश्ते को ठुकराया गया तो जमीन में फितना और फसाद फैल जाएगा इस हदीस के पसमंजर में हम देखते हैं कि आज समाज में बेहयाई आम बात हो गई है, साथ ही अच्छे और दीनदार रिश्ते को ठुकराने, माल व दौलत को तरजीह देने की वजह से बेटियां उमदराज (over age) का दंश झेल रही हैं।

(iv) निकाह के लिए लड़की देखना:

शरीयत ने मंगेतर को एक नजर देख लेने की इजाजत दी है। हदीस की रोशनी में एक नज़र डालें,

हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ि. कहते हैं कि मैंने एक औरत की तरफ निकाह का पैगाम भेजा तो नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने मुझसे पूछा कि “क्या तूने उसे देखा है?” मैंने कहा, “नहीं”

तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया: “जाकर उसे देख लो, इस तरह ज्यादा उम्मीद है कि तुम दोनों में उल्फत और मुहब्बत पैदा हो जाये।”

चुनाँचे में उस अन्सारी औरत के घर गया, और उसके माँ बाप के जरिये उसे पैगाम दिया और नबी صلی اللہ علیہ وسلم का पैगाम सुनाया तो ऐसा मालूम हुआ की उन्हें ये बात पसन्द नहीं आई।

उस औरत ने पर्दे के अंदर से ये बात सुनी तो कहा, “अगर रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने देखने का हुक्म दिया है तो तुम देख लो वरना मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दिलाती हूँ; गोया उस औरत ने इस बात को बहुत बड़ा समझा।”

हजरत मुगीरा रज़ि कहते हैं कि, “मैंने उस औरत को देखा और उससे शादी कर ली।”

फिर इसके बाद उन्होंने उससे बाहमी मुवाफकत और हमआहूँगी का ज़िक्र फरमाया।

[सुनन इब्ने माजा हदीस न०- 1865, 1866, तिर्मिज़ी हदीस न०- 1087, मिश्कात हदीस न०- 3106]

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया कि,

“तुममें से जब कोई किसी औरत को निकाह का पैगाम दे, अगर मुमकिन हो तो उससे वो कुछ देख ले जो उसे उससे निकाह की तरफ रागिब कर रहा है। (यानी आदत और अखलाक, कद काठी और हुस्नो जमाल वगैरह)

रावी (जाबिर रज़ि) बयान करते हैं कि, “मैंने एक लड़की को निकाह का पैगाम दिया तो मैं उसे छिपछिपा कर देखता था यहाँ तक कि मैंने उसमें वो खूबी देख ही ली जिसकी वजह से मैं उससे निकाह करना चाहता था, फिर मैंने उससे निकाह कर लिया।” [सुनन अबू दाऊद 2082; मिश्कात 3106]

नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फरमाया:

“जब अल्लाह किसी आदमी के दिल में किसी औरत को निकाह का पैगाम देने का खयाल पैदा कर दे तो फिर इस बात में कोई हर्ज नहीं कि वो शख्स उस औरत को देख ले।” [सुनन इब्ने माजा 1864]

एक औरत नबी सल्ल. के पास खुद को हिबा करने आई तो नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने उसकी तरफ एक नज़र उठाकर देखा फिर नजरें नीची कर ली और सर झुका लिया।” [सहीह बुखारी 5030]

वजाहत: जो अहादीस पेश की गई है उस से ये पता चलता है कि निकाह से पहले लड़की को एक नजर देखा जा सकता है।

- लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देखने की इजाज़त है तो रोज़ रोज़ मिलना शुरू कर दें घंटों बातें करने लगे, घूमने फिरने मौज मस्ती करनी शुरू हो जाए, हां कुछ बातें की जा सकती हैं जैसे दीन के मसले पर। न की फालतू की गप शप।
- ध्यान रहे इस्लाम ऐसी चीज़ों को नजायज करार देता है देखने की इजाज़त इस लिए दी गई है की नया जोड़ा जो निकाह जैसे पाक रिश्ते में जुड़ना चाहता है एक दूसरे को देख कर मुतमइन हो जाए। क्यों कि जिंदगी उन्हें ही साथ गुजारनी है।
- अब हमारे समाज में होता ये है की लड़की देखने के नाम पर पूरा का पूरा खानदान आ रहा है जैसे ही रिश्ता तय होता है बातचीत शुरू होती है और फिर लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है कभी नंद, कभी जेठानी, कभी सास आ रही है तो कभी चाची सास, मुमानी सास आ रही है टोलियां बना बना कर और लड़की की अम्मी सबके आव भगत में लगी हुई हैं प्लेटें भर भर के मिठाई और पाकवान पेश कर रही होती है फिर लड़की का इंटरव्यू शुरू होता है दुनियादारी के सारे सावल पूछ लिए जाते हैं मगर बस दीन का पहलू नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है।

-
- और एक बात जिसे देखना चाहिए यानि लड़के को उसे लड़की देखने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि सास ससुर, जेठ देवर सब देख रहे हैं बस लड़के के लिए कहा जाता है कि गैर मेहरम है उसे शादी के बाद ही देखना है, लड़के की पसंद को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती।

ये निहायत गलत बात है। और ये भी होता है बाज दफा लड़के तो लड़की पसंद होती है पर सास या ससुर को पसंद न हो या दहेज़ कम मिल रहा हो तो शादी नहीं करते। इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आखिर होने वाले नए जोड़े को ही साथ जिंदगी गुजारनी होती है फिर उनकी पसंद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में जिंदगी पुरसकून हो।

3. पैगाम ए निकाह

(i) निकाह का पैगाम भेजना:

आइए निकाह के इस (पैगाम) बुनियादी पहलू को हदीस की रोशनी में देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिस का दीन और अखलाक तुम पसंद करते हो उससे निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा न करोगे तो जमीन में फ़िल्ना और बहुत बड़ा फसाद होगा।” [तिर्मिज़ी 1084, 1085; मिश्कात 3090]

नोट: इस हदीस में नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने नसीहत की है कि जब कभी भी किसी लड़की के वली को उसकी बेटी, बहन के लिए निकाह का पैगाम आए तो तो उस शख्स में दीनदारी (धर्मपरायणता), उसके चरित्र, उसके अच्छे गुण को प्राथमिकता देते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी बेटी का उससे निकाह कर देना चाहिए।

(ii) रिश्ते (निकाह) का पैगाम किसे भेजा जाएगा?

निकाह का पैगाम वली (संरक्षकों) को भेजा जायेगा। हज़रत उरवा रज़ि. से रिवायत है कि,

“रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने आयशा रज़ि. से निकाह करने के लिये हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ि. से कहा।” [सहीह बुखारी 5081]

(iii) एक रिश्ते पर दूसरा पैगाम भेजना?

एक रिश्ते पर दूसरा पैगाम भेजने की इजाज़त नहीं है। हजरत अबू हुरैराह रिवायत करते हैं कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

“कोई शख्स अपने भाई के निकाह के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे, यहाँ तक कि वो (उस औरत) से निकाह कर ले या (निकाह का इरादा) छोड़ दे।” [सहीह बुखारी 5144]

नोट: ऊपर की हदीस ये बात पता चलती है कि अगर किसी लड़की को कहीं और से निकाह का पैगाम मिल चुका हो, यानी उसके निकाह की बात कहीं और चल रही हो तो ऐसी लड़की को निकाह का एक और पैगाम भेजना ठीक नहीं है।

अब हमारे समाज में आज कल क्या हो रहा है कौम के लोग एक जगह रिश्ता तय कर के और दो चार जगह रिश्ते देख रहे होते हैं। अब यहां इस बात का ख्याल भी ज़रूरी है ये कि दूसरा रिश्ता भेजने वाला मर्द अगर इस बात से

अनजान हो की फ़लाँ औरत का रिश्ता कहीं और हो गया है, तो ऐसे मर्द पर कोई गुनाह नहीं होगा। मगर जान बूझ कर ऐसा करना ग़लत है।

(iv) लड़की की तरफ से निकाह का पैगाम भेजना कैसा है?

लड़की की तरफ से निकाह का पैगाम भेजने में कोई हर्ज नहीं है।

“जब हज़रत हफ़सा बिनते उमर बिन ख़ताब रज़ि. बेवा हो गयी तो उनके बाप हज़रत उमर रज़ि. ने आपके रिश्ते की बात हज़रत उस्मान रज़ि से की। कुछ दिन बाद जब हज़रत उस्मान रज़ि. ने मना कर दिया तो आपने हज़रत अबू बक्र रज़ि. को निकाह का पैगाम भेजा, इस पर हज़रत अबू बक्र रज़ि. ने कुछ जवाब न दिया। इसके थोड़े दिन बाद नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने हज़रत हफ़सा को निकाह का पैगाम भेजा, इस तरह हज़रत हफ़सा रज़ि. का निकाह रसूल صلی اللہ علیہ وسلم से हुआ।” [सहीह बुखारी 4005, 5122, 5129; सुनन नसाई 3250, 3261]

अनस रज़ि से रिवायत है कि,

एक औरत नबी صلی اللہ علیہ وسلم की खिदमत में खुद को पेश करने के लिये हाजिर हुई और उसने नबी सल्ल. से कहा, “या रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم क्या आपको मेरी जरूरत है (कि आप मुझसे निकाह करें)।” इस पर हज़रत अनस रज़ि. की बेटी, जो आपके पास ही बैठी थी, बोल पड़ी, “वो कैसी बेशर्मा औरत थी, हाय बेशर्मा! हाय बेशर्मा!”

अनस रज़ि ने अपनी बेटी को जवाब दिया, “वो औरत तुझसे बेहतर थी। वो नबी صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ रगबत रखती थी (यानी आप صلی اللہ علیہ وسلم को पसंद करती थी) इसलिये उसने अपने आप को नबी की खिदमत में पेश किया।” [सहीह बुखारी 5120, 5121]

इसी हदीस में ये बयान भी मिलता है कि,

“नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने उस औरत से निकाह नहीं किया और अपने एक सहाबी का निकाह उस औरत से करवा दिया।” [सहीह बुखारी 5030]

वजाहत: हदीस से साबित हो रहा है कि.

- हदीस से साबित हो रहा है कि लड़की वालों की तरह से रिश्ता भेजना मना नहीं है हमारे मुआशरे के कुछ तबके में इसे ठीक नहीं समझा जाता मगर शरियत में इसकी कोई मनाही नहीं है।
- नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने जैसे किसी मर्द को नेक बीवी से निकाह करने के लिये दीनदारी को प्राथमिकता देने की नसीहत की है वैसे ही एक मोमिना लड़की को शरियत पुरी आज़ादी देता है कि वो सबसे पहले अपने होने वाले शौहर में नेक और दीनदारी देखे फिर शकल सूरत और बाकी की चीज़ें जो एक अच्छे जीवन साथी में होने चाहिए।
- इस खास काम के लिए शरियत ने लड़की के वलियों को जिम्मेदारी सौंपी है की अपनी बेटियों और बहनों के लिये अच्छे अखलाक वाले रिश्ते तलाश करें।
- अगर किसी लड़की को कोई बाअखलाक और दीनदार लड़का पसंद है और ये की वो उस से निकाह की ख्वाहिश रखती है तो वो अपने वाली से इस बारे में बता सकती है।

जैसा की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें पता चलता है कि जब आप मिस्र छोड़ कर मदन चले गए और उन्होंने वहाँ दो लड़कियों की मदद की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अखलाक को देखकर एक लड़की ने अपने बाप से कहा:

“ऐ अब्बा जान! इस शख्स को नौकर रख लीजिये। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो।”

इस पर उनके बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा: “मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुम से कर दूँ।” [कुरआन 26: 26-27]

यहां इस आयत से यह बात वाजेह होती है कि किसी लड़की को कोई नेक लड़का पसंद हो तो सबसे पहले अपने मां बाप को बताए। फिर मां बाप का भी ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के पसंद की कद्र करें।

(v) निकाह का पैगाम मिलने पर इस्तेखारा करना

इस्तेखारा क्या है?

इस्तेखारा को जानने के लिए चंद हदीस पर गौर करें-

जब जैनब रज़ि की इद्दत पूरी हो गई तो रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। इस पर जैनब रज़ि ने जवाब दिया: “जब तक मैं अपने रब से मशवरा (सुझाव) न ले लूँ, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। यह कह कर वो अपने मुसल्ले (नमाज़ पढ़ने की जगह) पर इस्तेखारा की नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ी हो गई।” [सहीह मुस्लिम 3502; सुनन नसाई 3253]

हजरत जाबिर रज़ि. कहते हैं कि रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم हमें (सहाबा-ए-किराम रज़ि को) अपने सभी कामों में इस्तेखारा करने की इसी तरह तालीम देते थे, जिस तरह आप कुरआन की कोई सूरत सिखाते थे।

आप صلی اللہ علیہ وسلم फरमाते थे: जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज के अलावा दो रकअत नफ़ल नमाज़ पढ़ो और इसके बाद ये दुआ करो!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي ، وَآجِلِهِ ، فَأَقْدِرْهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي ، وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

तर्जुमा: "ऐ अल्लाह! मैं भलाई मांगता हूँ (इस्तिखारा) तेरी भलाई से, तू इल्म वाला है, मुझे इल्म नहीं और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है।

ऐ अल्लाह! अगर तू जानता है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन के एतबार से, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के एतबार से तू उसे मेरे लिए मुकद्दर कर दे और अगर तू जानता है कि यह काम मेरे लिए बुरा है मेरे दीन के लिए, मेरी जिंदगी के लिए और मेरी मौत के लिए तो मुझे उससे फेर दे और मेरे लिए भलाई मुकद्दर कर दे कहीं भी वह हो और फिर मुझे उससे मुल्मइन कर दे।"

[هَذَا الْأَمْرُ/ ये काम की जगह अपनी जरूरत का नाम लें या दिल में उसका खयाल कर लें।]

[सहीह बुखारी 1162, 6382, 7390; अबू दाऊद 1538; तिर्मिज़ी 480; नसई 3255; इब्ने माजा 1383]

4. कुबूल है! कुबूल है! कुबूल है!

(i) लड़की की रजामंदी

निकाह के लिए लड़की का राज़ी होना बेहद जरूरी है इसे हम कुछ हदीस की दलाइल से समझेंगे:

हजरत अबू हुरैरह रज़ि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

बेवा का निकाह उस वक़्त तक न किया जाये जब तक उसकी इजाज़त न ली जाये और कुंवारी औरत का निकाह भी उस वक़्त तक न किया जाये जब तक उसकी इजाज़त न मिल जाये।

सहाबा ने पूछा, "या रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم. कुंवारी औरत इजाज़त कैसी देगी?"

आप सल्ल. ने जवाब दिया, "उसकी सूरत ये है की वो खामोश रहे। ये खामोशी ही उसकी इजाज़त समझी जाएगी।" [सहीह बुखारी 5136, 6968, 6970; सहीह मुस्लिम 3473; सुनन नसई 3269; सुनन इब्ने माजा 1871; सुनन अबू दाऊद 2094]

एक दूसरी हदीस में है,

हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ि से रिवायत है कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"कुंवारी बच्ची (के निकाह के बारे में) खुद उससे मशवरा करो और उसकी खामोशी उसकी इजाज़त होगी।" [सिलसिला सहीहा 1433]

हजरत अबू हुरैरह रज़ि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"कुंवारी यतीम बच्ची से भी उसके निकाह के बारे में पूछा जायेगा, फिर अगर वो खामोश रहे तो यही उसकी इजाज़त है और अगर वो इन्कार कर दे तो फिर उस पर ज्यादाती न की जाये।" [मिशकात 3133; अबू दाऊद 2093; तिर्मिज़ी 1109; नसाई 3272]

हजरत अबू मूसा रज़ि बयान करते हैं कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"जब आदमी अपनी बेटी की शादी करे तो पहले उससे इजाज़त ले ले।" [सिलसिला सहीहा 1428]

हजरत उक्बा बिन आमिर रज़ि से रिवायत है कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने इरशाद फ़रमाया:

"अपनी बेटियों को (निकाह के लिये) मजबूर न करो, क्योंकि वो दिल बहलाने वाली (गम खवारी करने वाली) और अहमियत की हामिल हैं।" [सिलसिला सहीहा 1432]

हजरत इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है कि रसूलल्लाह ﷺ ने फरमाया:

"बेवा औरत (अपने शौहर को चुनने में) अपने आप पर अपने वली से ज्यादा हक रखती है और कुंवारी से भी इजाज़त तलब की जाएगी और उसकी इजाजत उसकी खामोशी है।" [सहीह मुस्लिम 3476; अबू दाऊद 2098; तिर्मिज़ी 1108; नसई 3262; इब्ने माजा 1870]

वजाहत: इन अहादीस से पता चलता है कि.

- जिस तरह शरियत ने मर्द को अपनी बीवी को पसन्द करने का हक दिया है ठीक वैसे ही लड़की को भी अपना शौहर चुनने, अपनी पसन्द नापसन्द को खास अहमियत दी है।
- हमारे समाज में निकाह करते वक़्त होता ये है कि घर वाले अपनी मर्जी लड़की पर थोप देते हैं
- औरत की मर्जी और उसकी पसन्द और ना पसंद को प्राथमिकता नहीं दी जाती और बाज़ दफा तो उसका निकाह जबरदस्ती कर दिया जाता है ये सुन्नत के खिलाफ़ है।
- याद रखें ये हमारे नबी ﷺ की तालीमात नहीं हैं। हमारे नबी ﷺ ने दौर ए जहलियत में औरतों को खास मकाम और हक़ दिलाया।
- हम सुन्नत की खिलाफ़ वर्जी कर के अपनी बेटियों को ऐसे इंसान को सौंप देते हैं जिससे उसका न दिल मिलता है न दिमाग और फिर पुरी ज़िंदगी दुखदायी बन जाती है।
- इससे आए दिन कलह होती रहती है और बेटियां घुट घुट कर इसका दंश झेल रही होती हैं।
- इस वजह से कई बार लड़कियां और लड़के भी मानसिक तनाव में बीमार रहने लगते हैं।
- जबरदस्ती से थोपे गए रिश्ते के नतीजे भयंकर होते हैं मान लीजिए कि अगर इस रिश्ते को पारिवारिक दबाव में लोग निभाएं भी तो आगे चल कर झगड़े और लड़ाइयां होती रहती है और अगर औलाद होती है तो इसका असर सीधे तौर पर बच्चों की परवरिश पर पड़ता है।

(iii) लड़की कब निकाह खत्म कर सकती है?

चंद अहादीस पर गौर करें:

(1) हजरत खन्सा बिनते खज़ाम रज़ि बयान करती हैं कि वो बेवा थी, और उनके वालिद ने उनका निकाह कर दिया। खन्सा रज़ि को यह निकाह मन्ज़ूर नहीं था तो वो रसूलल्लाह ﷺ की खिदमत में हाजिर हुई और अपना मामला बयान किया। इस पर आप ﷺ ने उनका निकाह फ़स्ख (खत्म) कर दिया। [सहीह बुखारी - 5138, 5139, 6945, 6969; इब्ने माज़ा 1873; अबू दाऊद हदीस 2101]

2) हजरत आयशा रज़ि बयान करती हैं कि एक नौजवान औरत नबी ﷺ के पास आई और उसने अर्ज़ किया, “मेरे बाप ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है। ताकि मेरी वजह से उसकी जिल्लत खत्म हो जाये।”

इस पर नबी ﷺ ने उसके वालिद को बुलाया और फिर फैसला उस औरत के हक़ में किया और उसे इख्तियार दे दिया। (चाहे निकाह कायम रखे या चाहे निकाह खत्म करे)

तो उस औरत ने कहा, “मेरे वालिद ने जो (निकाह) किया वो मैंने मान लिया है। लेकिन मेरा मक़सद ये था कि औरतों को ये मालूम हो जाये कि उनके वालिदों को उन पर (जबरन निकाह कर देने का) कोई इख़्तियार नहीं पहुँचता।” [इब्ने माज़ा 1874, नसाई 3271]

3) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. से रिवायत है कि एक कुंवारी लड़की नबी सल्ल. के पास आई और ज़िक्र किया कि उसके वालिद ने उसका निकाह कर दिया है हालाँकि वो उस शख्स को नापसंद करती है। तो नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने उसे इख़्तियार दे दिया। (चाहे निकाह कायम रखे या चाहे निकाह ख़त्म करे) [इब्ने माज़ा - 1875, अबू दाऊद - 2096, 2097]

लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर निकाह बातिल है।

वजाहत: उपर्युक्त अहादीस से कुछ चंद बातें निकल कर सामने आती हैं:

- ये बात स्पष्ट होती है कि निकाह के मामले में संरक्षक को लड़की पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह कोई जोर जबरजस्ती से किसी लड़की का निकाह करता है तो हालात को देखते हुए शरीयत ऐसे निकाह को ख़त्म करने की इजाज़त देती है।
- इमाम नववी रहीमुल्लाह कहते हैं कि इस मसले पर उम्मत का इज्माअ है। [मिशकात 3128 की शरह]
- पहली हदीस से ये बात साफ़ पता चलती है कि अगर तलाक़शुदा या बेवा औरत का निकाह उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ किया जाये तो उसे पूरा हक़ है कि वो इस निकाह को अदालत में जाकर फ़सख़ (ख़त्म) करवा सकती है।
- ऊपर की तीसरी हदीस विशेष रूप से कुंवारी लड़की के बारे में है। ये हदीस जो इब्ने अब्बास रज़ि से रिवायत है इसका हुक़म उस सूत्र में है जब निकाह की हुई लड़की की विदाई (रुखसती) न हुई हो। यानी रुखसती से पहले उस औरत को पूरा हक़ है कि वो अपने शौहर के घर न जाये।
- अगर रुखसती हो गयी है तो रुखसती के बाद खुला या तलाक़ शरीयत के हद को मददेनजर रख कर ही उसे अपने शौहर से अलग होने का हक़ मिल सकता है।
- यहां इस बात का भी ख़याल रखा जाए कि निकाह को ख़त्म करने का हक़ अदालत का ही होगा सबसे पहले मामला काज़ी के पास जायेगा, फिर शरई तरीके से इस निकाह को ख़त्म किया जायेगा।

(iii) निकाह में वली की इजाज़त

क्या निकाह में वली की इजाज़त ज़रूरी है?

जी, वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। हम इसे कुछ अहादिस की रोशनी में देखेंगे -

हज़रत अबू मूसा रिवायत करते हैं कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता।" [तिर्मिज़ी 1101; इब्नेमाज़ा 1880, 1881; अबू दाऊद 2085; मिशकात 3130]

हजरत आयशा रज़ि से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फरमाया:

"जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, उसका निकाह बातिल है; उसका निकाह बातिल है; उसका निकाह बातिल है।" (यानी ये बात आप ﷺ ने तीन बार कही।) [अब् दाऊद 2083, 2084; इब्ने माज़ा 1879; तिर्मिज़ी 1102; मिश्कात 3131]

अब् हुरैरह रज़ि रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फरमाया:

"कोई औरत किसी औरत का (वली बनकर) निकाह न कराये, और न कोई औरत खुद ही अपना निकाह करे। बेशक बदकार औरत वही है जो अपना निकाह खुद करती है।" [इब्ने माज़ा 1882; मिश्कात 3137]

वजाहत: उपर्युक्त अहादीस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीयत ए इस्लामिया में लड़की के वली (संरक्षक) की इजाजत को बहुत ही खास मकाम हासिल है। इस मसले पर कुरआन में भी कुछ आयते मिलती हैं।

फरमाने बारी तआ'ला है:

"अपनी औरतों (यानी मुस्लिम औरतों) का निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना।" [कुरआन 2:221]

वजाहत: इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्जत ने औरतों के बजाय उनके वलियों को खिताब किया है, अब यहां ये बात भी स्पष्ट है कि अगर औरत को खुद अपना निकाह करने का हक होता तो उन्हें ये हुक्म दिया जाता, "तुम अपना निकाह मुशरिक मर्दों से न करो"।

कुरआन की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है:

"तुममें से जो लोग बेनिकाह हो उनके निकाह कर दो।" [कुरआन 24:32]

हजरत आयशा रज़ि से रिवायत है कि आप फरमाती थी:

"जमाना ए जाहिलियत में चार तरह से निकाह होता था। एक किस्म वो है जो लोगों में आज कल मशहूर है कि एक आदमी किसी आदमी(वली) के पास उसकी बेटी या जेरे परवरिश लड़की के लिए निकाह का पैगाम भेजता है और उसका मेहर देकर उससे निकाह कर लेता है। (इसके बाद निकाह की तीन किस्में और बताई और फिर आखिर में फरमाया) जब मुहम्मद ﷺ हक के साथ रसूल बन कर तशरीफ लाये तो आप ﷺ ने जाहिलियत के सभी निकाह के तरीकों को खत्म कर दिया और जो आज कल मशहूर (पहला तरीका) है उसे बाकी रखा।" [सहीह बुखारी - 5127]

इन अहादीस से भी पता चला कि आप ﷺ ने सिर्फ उस निकाह को जायज़ करार दिया जिसमें वली को निकाह का पैगाम दिया जाये। इन सभी दलाइल से स्पष्ट है कि निकाह में वली की मर्ज़ी बहुत अहम है।

(iv) वली कौन है?

औरत का सबसे पहला वली (लड़की का सरपरस्त जो घर का मुखिया हो) उसका बाप होता है, अगर बाप न हो उसका दादा होता है। इन दोनों के बाद फिर भाई, भतीजा या चाचा औरत के वली बन सकते हैं। अगर कोई भी वली न हो तो हाकिम ए वक्त वली होता है। इसी के साथ ये भी क्लियर करते चलें कि शरीयत ए इस्लामिया में कोई औरत, किसी औरत की वली नहीं बन सकती। वली होने के लिए मर्द का होना जरूरी है।

(v) वली की इजाज़त क्यों जरूरी है?

अल हम दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन ए इस्लाम को इंसान के लिए इतना आसान बनाया है कि लोग अपनी जिन्दगी को पुर सुकून गुजारें अल्लाह चाहता है कि जिस बेटी को घर वालों ने बड़े नाज से पाला पोसा है तो तो संरक्षक उसके अच्छे बुरे मुस्तकबिल का खयाल रखें,

- हमारे बड़ों के पास हम से ज्यादा अनुभव होता है जिंदगी गुजारने का उसे बेहतर अंजाम देने का, वे हमारे फ्यूचर को संवारने के लिए हर वक्त जिद्दोजाहद करते हैं।
- बाज़ लड़कियों में दुनियावी लिहाज से समझ की कमी होती है और फिर ना समझी में वो गलत राह पर चल पड़ती हैं।
- फितनो के इस दौर में ये बात आम हो गई है जिस तरह से आज मुस्लिम बच्चियां भाग कर मुर्तद हो रही हैं, और बातिल निज़ाम इसका साथ दे रहा है अपने वली की बिना इजाजत शादी कर के अपनी दीन और दुनियां दोनों खराब कर रही हैं। अफ़सोस!
- वक्त की नज़ाकत कहती हैं कि आओ कुरान की तरह अपने औलाद को दीन ए इस्लाम सिखाएं उन्हें बचपन से बताएं कि शरीअत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती।
- आज जिस तरह से दुश्मन ए इस्लाम मुस्लिम बच्चियों को आज़ादी के नाम पर बरगला कर अपना एजेंडा हासिल कर रही है आने वाले दिनों में हमारी नस्लें तबाह हो जायेगी।

5. कब आएगा वो दिन?

(i) निकाह में जल्दी करना:

निकाह में जल्दी के हवाले से हम कुरान और हदीस से इसे समझने की कोशिश करेंगे

इर्शाद ए बारी तआला:

"तुममें जो (मर्द और औरत) बेनिकाह हों और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी कनीज़ों में जो नेक और काबिल हों, उनका निकाह कर दो। अगर ये लोग मोहताज(गरीब) होंगे तो खुदा अपने फज़ल (व करम) से उन्हें मालदार बना देगा और खुदा तो बड़ी वुसअत वाला, जानने वाला है।" [कुरआन 24: 32]

उस निकाह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद नाजिल होती है जो सुन्नत तरीके से होता है। हजरत अबू हुरैराह रज़ि. रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फरमाया:

तीन लोगो की मदद करना अल्लाह के जिम्मे है (यानी इनकी मदद अल्लाह जरूर करता है)-

1. जो शख्स अल्लाह के राह में जिहाद करे।
2. रकम अदा करके आजाद होने का मुहायदा करने वाला गुलाम जो रकम अदा करना चाहता हो और रकम अदा करके आजाद होना चाहता हो।
3. वो मोमिन जो निकाह कर के पाक दामनी की जिन्दगी जीना चाहता हो।

[मिशकात 3089, तिर्मिज़ी 1655, इब्ने माज़ा 2518]

वजाहत: ऊपर की आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि जब औलाद बलुगत की उम्र में पहुंच जाए तो शरीयत उनके निकाह का हुकम देती है। साथ ही ये बात भी बताई गई है कि किसी खौफ की वजह से मसलन गरीबी के डर से निकाह में देरी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह अपने बन्दों पर बहुत मेहरबान है वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। हमारे समाज में लोग शादी सिर्फ़ इस वजह से नहीं करते, टालते रहते हैं कि लड़का अच्छी जॉब करने लगे।

(ii) बिरादरी / खानदान

क्या इस्लाम में जाति/बिरादरी (Caste) की कोई बाध्यता है?

निकाह में खानदान जाति (Caste) जरूरी नहीं है।

आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में निकाह के लिए रिश्ता तय करने में जाति/ बिरादरी और खानदान अहम मसले बन कर हमारे सामने खड़े हैं इन मसलों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है जब कि इस्लाम में निकाह के लिए जिस चीज को अहमतरिन् खूबी करार दिया है वो दीनदारी है।

लेकिन आज, गैर खानदान या गैर बिरादरी में निकाह करने को बहुत ही बुरा समझा जाता है इस लिय कई बार अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है। अक्सर कोई लड़का या लड़की अपनी पसंद की शादी किसी दूसरे बिरादरी में करना चाहें तो भी वालदेन ज़िद पर अड़ जाते हैं, जाति/बिरादरी उनकी अना (इगो) पर चोट करती है। नतीज़ा ये होता है कि बच्चे भाग कर शादियां कर लेते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं।

लोगों ने खुद को ना जानें को कितने तबके में बांट रखा है ये कुरेशी है, अंसारी है, मंसूरी, नाई, धोबी, और पठान वगैरह वगैरह और हर कोई खुद को एक दूसरे से बड़ा और आला दर्जे का समझता है और इन सबसे बढ़ कर इंडिया के पठान हैं जो अपने आप को स्वर्ण राजपूतों के वंशज समझते हैं इनके आगे मुसलमानों की बाकी जातियां कोई एहमियत नहीं रखती।

अब आइए देखें कि इस्लाम ने हमें इस हवाले से जो तालीमात दी है वो क्या हैं:

हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसे देखेंगे, इर्शाद ए बारी ताला है,

"ऐ लोगों! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले (बिरादिरियां) बनाई ताकि एक दूसरे को पहचानो, इसमें शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तुम सबमें ज्यादा इज्ज़त वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेज़गार हो बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है।" [कुरआन 49: 13]

"मोमिनीन तो आपस में भाई-भाई हैं।" [कुरआन 49: 10]

अल्लाह के रसूल ﷺ ने हज्जतुल विदाअ के ख़ुत्बे में इरशाद फरमाया:

ऐ लोगों! तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप (यानी आदम अलै.) भी एक है। बेशक कोई अरबी किसी अज़मी से बड़ा नहीं, और ना कोई अज़मी किसी अरबी से बड़ा है, और ना कोई गोरा किसी काले से बेहतर है और ना कोई काला किसी गोरे से बेहतर है ; सिवाय तक्रवे के (यानी खुदा से डरने वाला ही अल्लाह की नज़र में मर्तबे में बड़ा और बेहतर है) [मुसनद अहमद 22978]

रसूल अल्लाह ﷺ ने फरमाया:

लोगों! अल्लाह ताला ने तुम से जहलियत फख्र व गुरूर और खानदानी तकब्बुर खत्म कर दिया है अब लोग सिर्फ़ दो तरह के हैं-

1. अल्लाह की नज़र में नेक मुत्तकी, करीम व शरीफ़ और
2. फाजिर बदबख्त, अल्लाह की नज़र में जलील वा कमज़ोर लोग सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है।

[जामेअ तिर्मिज़ी 3270]

वजाहत: ऊपर की आयात और अहादीस से पता चलता है कि सभी ईमान वाले अल्लाह की नजर में बराबर हैं। किसी को कोई फजीलत हासिल है तो वो दौलत शोहरत, खानदान, हसब नसब, नस्ल, रंग, भाषा की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह से तक्वा और परहेज़गारी की वजह से है।

(iii) गैर खानदान-बिरादरी /जाति में निकाह

यदि किसी को अपने खानदान या बिरादरी में नेक और दीनदार रिश्ता न मिले तो इस्लाम गैर खानदान या बिरादरी में निकाह करने की इजाज़त देता है।

अल हम दुलिल्लाह!

हमारे नबी मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم उम्मत के लिये एक रोल मॉडल हैं, आप صلی اللہ علیہ وسلم उम्मत के लिये एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। निकाह गैर खानदान या बिरादरी में किया जा सकता है, इसका सबूत भी हमें नबी صلی اللہ علیہ وسلم की पाक जिंदगी से मिलता है। आइए इसे भी हम हदीस की रोशनी में देखते हैं-

आप صلی اللہ علیہ وسلم खुद बनी हाशिम कबीले से थे लेकिन आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अपने कबीले से बाहर कई निकाह किये:

1. अम्मी खदीजा, बन्ू असद कबीले से थी।
2. सौदा, आमिर बिन लुई कबीले से थी।
3. अम्मी आयशा, बनी तैम कबीले से थी।
4. हफ़सा, बन्ू अदी कबीले से थी।
5. अम्मी जैनब, बन्ते खुमैजा बन्ू हिलाल कबीले से थी।
6. अम्मी उम्मे सलमा, बनी मखज़ूम कबीले से थी।
7. अम्मी जैनब बन्ते जहश बन्ू असद से थीं।
8. अम्मी जुवैरिया, बनी मुस्तलिक कबीले से थी।
9. अम्मी उम्मे हबीबा, बन्ू उमय्या कबीले से थी।
10. अम्मी सफिया, बन्ू कुरैज़ा कबीले से थी, जो एक यहूदी कबीला था।
11. अम्मी मैमुना बन्ते हारिस बन्ू हुमैर से ।

ऐसी ही मिसाल हमें सहाबा किराम रज़ि. से भी मिलती है जिन्होंने गैर बिरादरी में निकाह किये इसके सबूत हमें हदीस और तारीख की किताबों में मिलते हैं। जैसे नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने एक ऊँचे खानदान बनी बयादा के लोगों से कहा कि, "तुम लोग अपनी किसी लड़की का निकाह अबू हिन्द (यसार रज़ि.) से करवा दो जो एक गुलाम थे।" [सुनन अबू दाऊद 2102]

(iv) माल-दौलत

क्या इस्लाम में निकाह के लिये माल/दौलत (धन, संपत्ति/बैंक बैलेंस) हैसियत बराबर होना ज़रूरी है?

इस्लाम में माली हैसियत बराबर होना, निकाह की कोई शर्त नहीं है, अपनी जिंदगी में नबी صلی اللہ علیہ وسلم की पाक सीरत से हमें यह मालूम होती है कि आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अमीर और गरीब हर तरह की औरतों से निकाह किया। और साथ ही नबी

ﷺ ने अपनी बेटीयों के निकाह में भी दामाद की माली हैसियत को कोई अहमियत नहीं दी। जैसे आप ﷺ ने अपनी दो बेटीयों सय्यदा रुकय्या और उम्मे कुलसूम रज़ि का निकाह हजरत उस्मान रज़ि से किया जो बहुत मालदार सहाबी थे और अपनी सबसे चहेती बेटी सय्यदा फातिमा रज़ि का निकाह हजरत अली रज़ि से किया जो बहुत ही गरीब थे।

खुलासा: उपर्युक्त दलाइल से साबित होता है कि निकाह की असली बुनियाद दीन और अखलाक है, न कि माल/दौलत।

(v) लड़को की जिम्मेदारियां और मजबूरियां

आज निकाह में हो रही देरी और ढलती हुई उम्र की बहुत सी समस्याएं हैं, ये दौड़ती भागती दुनियां जैसे लगता है इसकी चका चौंध की रोशनी ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। दौलत शोहरत और बिलासिता पूर्ण लाइफ स्टाइल के चक्कर में हम दीन से कितने दूर होते जा रहे हैं जहां एक तरफ दहेज़ जैसी बला ने लड़कियों का जीना दुभर कर रखा है वहीं दूसरी तरफ लड़को की जिंदगी इससे अछूती नहीं है समाज में बढ़ती हुई गैर ज़रूरी रस्मों ने उनकी जिंदगी भी मुश्किलों से गुज़र रही होती है अक्सर हम लड़कियों की मजबूरी, उनकी परेशानी पर तो चर्चा करते हैं मगर लड़को की जिंदगी में चल रही मुश्किलों और परेशानियों को नज़र अंदाज़ कर देते हैं

आज हम देखते हैं कि समाज में दौलत कमाने की होड़ सी मची हुई है लोग दौलत मंद और हाई स्टैंडर्ड जिंदगी जीने के लिए निकाह में देरी करते रहते हैं। हम अपने बच्चों से लंबी लंबी उम्मीदें लगा कर उन उम्मीदों के इंतज़ार में उनकी उम्र का ख्याल ही नहीं करते और निकाह में देरी होती रहती है आज ये सबसे बड़ी समस्या है देर से निकाह। घर बसने के अपने बड़े नुकसानात हैं। अपने बच्चों के निकाह कानूनी उम्र पूरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके अच्छा और दीनदार रिश्ता देखकर कर निकाह कर देना चाहिए ताकि उनका घर बसे।

अगर हम माजी (past) पर नज़र डालें तो आज से 100-200 साल पहले इंसान की जिंदगी 100-110 हुआ करती थी और आज़ादी से पहले इंडिया और दीगर मुल्कों में भी शादी की उम्र 13-16 थी ये सिर्फ़ इस्लाम धर्म में ही नहीं बल्कि हर धर्म में था। इंसान अपनी जिंदगी के 70-80 अपने जीवन साथी के साथ खुशनुमा माहौल में गुजारता था, फिर यही दिन तो जिंदगी के सबसे बेहतरीन और सुनहरे पल होते हैं जब इंसान की जिंदगी में उसका सबसे खास दोस्त साथ हो, शौहर और बीवी ही एक दूसरे के सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं।

आज देखा जाए तो मर्द और औरत दोनों ही आला तालीम हासिल करने, कैरियर बनाने और दूसरे कई बहाने से शादी को टालते रहते हैं इस तरह 30-35 की उम्र ऐसे ही निकल जाती है और इंसान की औसत उम्र (average age) 60-65 है, यानी इंसान अपने जीवनसाथी के साथ सिर्फ़ 30-35 ही गुजारता है। उसमें भी मोबाइल, इंटरनेट, और सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवानों की अक्सरियत पूरी रात कहीं और मसरूफ रहते हैं ये जो लत और लज्जतें हम ले रहे हैं, अल्लाह ऐसी बलाओं से बचाए। नौजवानों पर मानसिक दवाब शादी में देरी की मजबूरियां।

(vi) लड़की वालों की डिमांड

लड़की वाले अपनी बेटी के लिए लड़को की सुंदरता और ability को इस पैमाने पर मापते हैं,

- महीने का 10 हजार कमाने वाला - बदसूरत
- 10 से 25 हजार - ठीक दिखता है
- 25-50 हजार - एवरेज लुक्स
- 50- 1लाख - अच्छा दिखता है
- 1-2 लाख - लड़का सुंदर है
- 2 लाख से ऊपर - एक दम हीरो है हीरो

(vii) लड़को के वालदेन की तरफ़ से उम्मीदें

शादी में देरी की मजबूरियां,

1. खुद का आला (higher) स्टडी (अच्छी उम्र निकल गई)
2. एक अच्छी नौकरी की तलाश
3. बहने हैं तो पहले उसका निकाह करना
4. बहनो के निकाह के लिए दहेज इकट्ठा करना
5. घर ना हो तो घर बनाना
6. फिर वालिदेन का अच्छी लड़की की तलाश में कई साल गुजार देना

इसी पैमाने पर खरा उतरने के लिए आज नौजवान डिप्रेशन के शिकार हैं, गरीबों और मिडिल क्लास वालों के लड़कों से कोई निकाह नहीं करना चाहता है। मालदार तो छोड़ो, गरीब भी अपनी बेटियों के लिए मालदार लड़का ही ढूँढ़ता है और अपनी बेटी मालदारों को देता है। इतना ही नहीं यदि लड़का सिर्फ़ नाम का मुसलमान है और तमाम ऐब से भरा हो अगर उसके पास दौलत है तो लोग अपनी बेटी की शादी उसी से करना पसंद करते हैं, अच्छे अखलाक और दीनदारी लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखती।

यही हाल लड़कियों का भी है अपने होने वाले जीवन साथी में दीनदारी नहीं बल्कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में खूबसूरत हो। एकदम हीरो जैसा अच्छी सैलरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी सैलरी हो, लड़का अकेला हो, माँ बाप भी रसूखदार और पैसे वाले हों, अच्छे अखलाक वाला हो बिल्कुल फिल्म स्टार वाला अखलाक।

आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हाई स्टेटस की उम्मीद में उम्र दराज हो रही है। कुछ लड़कियां बेहतर की तलाश करते करते और अपना कैरियर बनाने घर से बाहर कदम रखती हैं और इसी दौरान बहुत सी लड़कियां चका चौंध की दुनियां में खो कर रह जाती हैं, फिर न तो वो अपने इमान की हिफाज़त कर पाती हैं न अपने आबरू की।

(viii) सही वक्त पर निकाह

अगर निकाह सही उम्र और सही वक्त पर किए जाएं तो, ज़िंदगी खुशनुमा बन जाती है इंसान बहुत से गुनाहों से बच जाता है, ज़िंदगी की जिम्मेदारियां एहसास करते हुए रोज़ी रोटी तालाश करता है, मेहनत मशक्कत करने से उसे अपनी सलाहियतें पता चलती हैं। ज़िंदगी की जिम्मेदारियां उठाते हुए उसे थोड़ी मुश्किल और परेशानी का सामना ज़रूर करना होता है, मगर उसे अल्लाह की मेहरबानी और मदद भी मिलती है।

हमारा रब बहुत मेहरबान है अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमारे मुकद्दर लिखने वाला वही है, सारी परेशानियां, मुश्किलें बुरे हालात सब संवार देता है, ज़िंदगी को लेकर कभी भी मायूस न हों अपने रब पर भरोसा रखें। जिस रब ने ज़िंदगी दी है वो रिज्क भी देगा।

फरमान ए बारी ताला है:

"बेशक अल्लाह रज्जाक(रोजी देने वाला) है, बड़ी कुव्वत वाला, बड़ा जबरदस्त है।" [कुरआन 51: 58]

"अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है।" [कुरआन 2: 212]

नबी ﷺ ने फरमाया:

"जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो चार महीने की उम्र में ही उसका रिज्क लिख दिया जाता है।" [सहीह बुखारी 6594]

आज दौर फितनों का है और मुसलमान इसके जद में है। लिहाजा ज्यादा हिसाब किताब से परहेज करें और सही वक्त पर निकाह करें।

6. दहेज़

(ii) क्या इस्लाम में दहेज़ की कोई शरई हैसियत है?

शरीयत में दहेज़ का कोई हैसियत नहीं है।

इस्लाम में माली (Financial) तौर पर दो हक औरतों को दिए गए हैं-

1. मेहर
2. विरासत(मीरास) में हिस्सा

अल्लाह विरासत का कानून जिक्र करते हुये फरमाता है:

"ये (विरासत के) हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किये हैं, बेशक अल्लाह ही इल्म वाला और हिक्मत वाला है।" [कुरआन 4: 11-12]

आगे ईरशाद ए बारी ताला है:

"यह खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं और जो कोई खुदा और रसूल की इताअत करेगा, उसे खुदा आखिरत में ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वह उनमें हमेशा (चैन से) रहेंगे और यही तो बड़ी कामयाबी है और जिस शख्स से खुदा व रसूल की नाफरमानी की और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से गुज़र गया तो खुदा उसको जहन्नुम में दाखिल करेगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिये रुसवा करने वाला अज़ाब है।" [कुरआन 4: 13-14]

उपर की आयतों से साफ़ होता है कि जो लोग दहेज़ का नाम पर अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, उनके लिये अल्लाह ने हमेशा की जहन्नम की सजा तैयार कर रखी है।

दहेज़ एक ऐसा नासूर है जो मुस्लमान कौम को कुरान व सुन्नत के रास्ते से हटा कर लालच, मक्कारी और फिजूलखर्ची की तरह लोगों को माइल कर रहा है जिसके बेशुमार नुकसानात हैं खैर दहेज़ के विषय पर हम अलग आर्टिकल में विस्तृत चर्चा करेंगे

अभी हम निकाह के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझते हैं, नबी صلی اللہ علیہ وسلم और सहाबा के दौर में भी दहेज़ जैसी कुप्रथा की कोई मिसाल नहीं मिलती और आप صلی اللہ علیہ وسلم के बाद के दौर में भी कोई दलील नहीं मिलती, ये एक गैर इस्लामी प्रथा है जो प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी बेटी को उपहार दिया करते थे। और ये रस्म भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही पाई जाती है।

अब दहेज़ के बारे में कुछ लोग नबी صلی اللہ علیہ وسلم पर ये इल्जाम लगाने हैं कि आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी प्यारी बेटी सय्यदा फातिमा रज़ि को दहेज़ दिया था। कुछ लोग इसे जहेज़ ए फातमी नाम देते हैं, जबकि सच बात ये है कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने जो सामान अपने दामाद हजरत अली रज़ि को दिया था वो उन्हीं के माल से दिया था। दरअसल हजरत अली रज़ि ने अपनी जो जिरह बेची थी उसकी कीमत से ये सामान खरीदा गया था।

अब यहां गौर करने की बात है कि नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी तीन और बेटियों का भी निकाह किया था, तो उन निकाहों के हवाले से हमें दहेज़ का कोई सबूत नहीं मिलता। ये एक गैर इस्लामी रस्म है इसका बायकाँट किया जाना चाहिए।

7. मेहर

(ii) मेहर क्या है?

मेहर शरीयत ए इस्लामिया में तय शुदा रकम है जो निकाह में लड़के की तरफ से लड़की को दी जाती है।

ईरशाद ए बारी तआला है:

"औरतों के मेहर खुशी से [फर्ज जानते हुए] अदा करो। अलबत्ता अगर वो खुद ही अपनी खुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो उसे तुम मज़ से खा सकते हो।" [कुरआन 04: 04]

"उनके मेहर फर्ज समझते हुए अदा करो।" [कुरआन 04: 24]

वजाहत: इन आयतों से पता चलता है कि मेहर फर्ज है और ये कभी माफ़ नहीं हो सकता। मगर बीवी चाहे तो माफ़ कर सकती है।

एक हदीस में है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم के पास एक औरत आई और निकाह की ख्वाहिश जाहिर की आप ने उसे एक नज़र देखा और नज़रें नीची कर ली।

आप صلی اللہ علیہ وسلم के सहाबी में से एक सहाबी उठे और अर्ज किया या अल्लाह के रसूल आप को इनकी जरूरत नहीं, तो मेरे साथ इनका निकाह करा दें, नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया तुम्हारे पास मेहर के लिए भी कुछ है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! अल्लाह की कसम! "नहीं" मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नबी करीम ने फ़रमाया अपने घर जाओ और देखो सायद कोई चीज़ मिले, वह सहाबी गए और वापस आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह! वहां मुझे कोई चीज़ नहीं मिली आप ने फ़रमाया फिर देख लो एक लोहे की अंगूठी ही सही, वो सहाबी फिर गए और वापस आ गए, अर्ज किया मुझे वहां कोई चीज़ नहीं मिली अलबत्ता यह एक तह बंद मेरे पास है।

उन्होंने कहा आप इसमें से आधा फाड़ कर उस औरत को दे दीजिए।

आपने फ़रमाया तुम्हारे इस तहबंद का वो क्या करेगी आधा होने पर इसे न वो इस्तमाल कर पाएगी न तुम, फिर वो सहाबी खामोश हो गए।

आप ने दरयाफ्त किया तुम्हें कुरान मजीद कितना याद है?

उन्होंने कहा फलां फलां सूरत मुझे याद है नबी करीम ने फ़रमाया क्या तुम इन्हें जबानी पढ़ लेते हो अर्ज किया जी आप ने फ़रमाया जाओ तुम्हें कुरान मजीद की जो सूरत याद है उसके बदले में मैंने तुम्हारा मेहर माफ़ किया। [सहीह बुखारी 5030]

अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन सहाबी के पास मेहर में देने के लिए कुछ नहीं था फिर भी नबी ने मेहर माफ़ नहीं किया। जब तक इंसान मेहर नहीं देगा या देने की नियत नहीं रखेगा, तो उसने हराम काम किया।

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया,

"किसी ने निकाह किया और मेहर अदा नहीं किया वो अल्लाह के नज़दीक जानी है।" [मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 13425]

एक रिवायत में है,

अबू तलहा रजी० जो अपने निकाह के वक्त मुसलमान नहीं थे यानी अपने निकाह से पहले जब उन्होंने उम्मे सुलैम रजी०को रिश्ता भेजा तो उम्मे सुलैम रजी० अनहा ने उन से दीन की बुनियाद पर निकाह करना चाहा, उन्होंने फरमाया कि,

“मेरा मेहर ये होगा की आप इस्लाम ले आओ यानी पहले उन्होंने अबू तलहा रजी० को दीन की तरफ तरगीब दिलाई फिर उसके बाद उनसे निकाह किया।” [सुनन नसई 3342]

(ii) मेहर की इस्लाम में क्या हद है?

मेहर की इस्लाम में कोई हद मुकरर नहीं की गई है, ये अपनी हैसियत की हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है।

अब हम यहां लड़की वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ये की लड़को वालों से मेहर की इतनी डिमांड न करे कि लड़का मेहर अदा ही न कर सके बल्कि मेहर दरमियाना होना चाहिए जिससे उसकी अदायगी आसानी से हो।

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"बा बरकत निकाह वो है जिसमें आसानी के साथ मेहर अदा किया गया हो।" [सुनन अबु दाऊद 2117]

8. निकाह की कुबूलियत और दो गवाह

(i) निकाह का खुत्बा:

निकाह के मौके पर खुत्बा पढ़ना सुन्नत है, इसके अल्फाज अहादीस में इस तरह से आये हैं:

Step 01: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

तमाम तारीफे और शुक्र अल्लाह के लिए है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। उससे मदद माँगते हैं, (अपने गुनाहों की) माफ़ी चाहते हैं और अपने मन की बुराई और अपने बुरे कामों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे गुमराह करनेवाला कोई नहीं। और जिसे वो गुमराह करे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।

Step 02: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुम को मौत आए तो बस इस हाल में कि तुम मुस्लिम (फरमाँबरदार) हो।” [कुरआन 3:102]

Step 03: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ऐ लोगों! अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको (सिर्फ) एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसके जोड़े(बीवी) को पैदा किया और (सिर्फ) उन्हीं दो (मियाँ बीवी) से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिये और उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक माँगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी परहेज करो, यकीन जानो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।” [कुरआन 4:1]

Step 04: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“ऐ ईमान लानेवालो अल्लाह से डरो और ठीक बात कहा करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुज़र फ़रमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।” [कुरआन 33: 70-71]

Final Step: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ، وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ

“इसके बाद, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब और बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी सल्ल. का तरीका है। और सारे कामों में बदतरीन काम (मनगढ़ंत) नये तरीके हैं, और हर नया तरीका बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली है।”

निकाह का खुल्बा पढ़ते वक़्त काज़ी साहब को चाहिए कि आयत का तर्जुमा भी पढ़ें ताकि लोगों को दीन की समझ हो और लोग दीन को समझें तक्वा व परहेजगारी को अपनाएं। अक्सर काज़ी साहब निकाह की तकरीबात को 10 मिनट में पूरा कर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"निकाह मेरी सुन्नत (मेरा तरीका) है। जिसने मेरी सुन्नत (तरीके) से बेरगबती की वो मुझ से नहीं (यानी मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं)।" [सहीह बुखारी - 5063]

(ii) ईजाब व कुबूल

यानी निकाह पढ़ाने वाला लड़के और लड़की से कुबूल करवाए कि फलां निकाह फलां लड़की से उसके वली के नाम के साथ हम ने आप का निकाह इस लड़की/लड़के इतने मेहर पर किया है क्या आप इसे कुबूल करते हैं?

फिर अगर लड़का/लड़की हां में कुबूल करें तो निकाह हो जायेगा। इसके बाद रसमी तौर पर जैसा कि हर मुल्क में कवानीन होते हैं कि पेपर (paper) पर भी लिख लिया जाए ताकि बाद में इख़्तलाफ का सामना न करना पड़े और लड़की का दस्तखत भी ले लिया जाय ये अच्छी बात है मगर लड़की के निकाह में अहम भूमिका उसके वली का ही है।

(iii) निकाह के लिये दो गवाहों की मौजूदगी

अक्सर उलमा हजारत के नजदीक निकाह की निम्न चार शर्तें हैं:

1. लड़की के वली की इस निकाह को इजाजत
2. शौहर और बीवी के बीच ईजाब और कबूल
3. लड़की को जो मेहर मुकर्रर हो उसे अदा किया जाए।
4. निकाह के वक़्त दो सच्चे और ईमानदार गवाह मौजूद हों।

ऊपर की चार शर्त में से तीन की चर्चा हम कर चुके हैं अब निकाह के वक़्त दो गवाहों की मौजूदगी के हवाले से कुरान व सुन्नत की रोशनी में। इसे देखेंगे।

ईरशाद ए बारी तआला है:

"और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुममें से अदल करने वाले हों। और (ऐ गवाह बनने वालो) गवाही ठीक-ठीक अल्लाह के लिये अदा करो। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, हर उस शख्स को जो

अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा अल्लाह उसके लिये मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा।" [कुरआन 65:2]

वजाहत: उपर्युक्त आयात से ये बात स्पष्ट है कि,

- निकाह में दो गवाहों की मौजूदगी होनी चाहिए।
- गवाह सच्चे और ईमान वाले हों जो अदल व इंसाफ़ कर सकें।

9. बँड बाजा बारात

(i) निकाह का ऐलान

निकाह नबी صلی اللہ علیہ وسلم की सुन्नत है और ये खुशी का मौका है इसलिए निकाह का ऐलान किया जाना चाहिए आइए इसे अहादीस की दलाइल से समझते हैं

हजरत मुहम्मद बिन हातिब जुमहई कहते हैं कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

"हराम और हलाल निकाह के बीच फ़र्क़ ये है कि दफ़ बजाया जाये और निकाह का ऐलान किया जाये।" [इब्ने माज़ा - 1896, तिर्मिज़ी - 1088]

जब हजरत हबार रज़ि ने अपनी बेटी का निकाह किया तो उन्होंने दफ़ बजा कर इसका ऐलान किया। इसकी आवाज़ सुनकर नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने पूछा, "ये क्या है (यानी ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं?)"

इस पर लोगों ने कहा, "हबार ने अपनी बेटी की शादी की है।"

इस पर नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया: "निकाह का ऐलान करो। निकाह का ऐलान करो। ये निकाह है, जिना नहीं है।" [सिलसिला सहीह 1444]

वजाहत: ऊपर बयान की गई अहादीस से ये बात मालूम होती है कि,

- निकाह का ऐलान ज़रूरी है, निकाह एक पाक रिश्ता है और इसका एक मकसद है।
- और जब किसी पाक मकसद को अंजाम दिया जाय तो उसका ऐलान होना चाहिए। जैसे आज शादी का कार्ड छपवाया जाता है।
- जब निकाह होता है तो दो अजनबी मर्द व औरत ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए एक नए बंधन में बंध रहे होते हैं और इस रिश्ते में बंधने का मकसद एक दुसरे से सुकुन हासिल करना और औलाद के ज़रिए एक खानदान वजूद में लाना है।
- साथ ही ऐलान का मकशद ये है की उनकी पाक दामनी पर कोई उंगली न उठाए।
- शरीयत ए इस्लामिया ये चाहती है कि जब दो अनजान लोग आपस में मिले, एक रिश्ते में बंधे तो ये काम चोरी छिपे न हो क्यूं कि चोरी छिपे अच्छे काम नहीं होते।
- इससे ये बात भी साफ़ होती है कि जो लोग भाग कर चोरी छिपे निकाह कर लेते हैं वो जिना के बराबर है।

(ii) क्या इस्लाम इस्लाम निकाह के मौके पर खुशी और जश्न मनाने से मना करता है?

(a) निकाह के मौके पर गाना (खुशी मनाना) और दफ़ बजाना

निकाह के मौके पर ऐलान करने और खुशी का इजहार करने के लिये इस्लाम में गाने और दफ़ बजाने की इजाजत है। इस बारे में नबी صلی اللہ علیہ وسلم की जो अहादीस हमें मिलती है, वो ये हैं,

अम्मी आयशा रज़ि से रिवायत है कि उन्होंने एक अन्सारी लड़की का निकाह करवाया तो रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

"ऐ आयशा! क्या तुम्हारे पास लहव (दफ़ बजाने या गाने वाला) नहीं था? अन्सार को दफ़ और अशआर (शायरी) पसन्द है।" [सहीह बुखारी - 5162, मिश्कात उल मसाबीह - 3141]

हजरत रबीआ बिनते मुअविज बिन अफरा रज़ि रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم मेरे निकाह में शरीक हुये जिसमें कुछ बच्चियां दफ़ बजा रही थी और जंगे बद्र में शहीद हुये अपने बुजुर्गों का जिक्र कर रही थी। तो अचानक एक लड़की ने ये भी कहा, "हममें एक नबी मौजूद हैं, जो कल होने वाली बातों को जानते हैं।" इस पर आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया: "इसे छोड़ दो और जो पहले कह रही थी वही कहो।" [सहीह बुखारी 5147; इब्ने माज़ा 1897]

हजरत आमिर बिन साद बिन अबी वक्कास रह. बयान करते हैं कि मैं एक शादी के मौके पर कुराज़ा बिन काब और अबू मसऊद अंसारी रज़ि के पास गया तो देखा कि कुछ बच्चियां गा रही थी।

मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के साथियों और जंगे बद्र के गाजियों, आपके सामने ये क्या किया जा रहा है? (आप इसे रोकते क्यों नहीं?)"

तो उन दोनों ने जवाब दिया, "अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठो और सुनो (जैसे हम सुन रहे हैं) और अगर चाहो तो यहाँ से चले जाओ। शादी के मौके पर हमें गाने-बजाने की इजाज़त दी गई है।" [मिश्कात - 3159]

वजाहत: गाने बजाने की इजाज़त दी गई है इसका मतलब ये ये कतई नहीं है की आप डीजे बजा कर नाचें।

उपर्युक्त अहादीस में डफ़ बजाने का जिक्र आया है डफ़ कोई बाजा नहीं है ये एक तरफा ढोल होता है जिसे डफ़ली भी कहा जाता है जो जानवर के चमड़े या प्लास्टिक से बना होता है।

(b) अल्लाह की हम्द व सना पढ़ सकते हैं साथ ही नबी की नात भी गा सकते हैं।

- निकाह अल्लाह के तरफ़ से एक नेमत है ये इंसान की नई ज़िंदगी का आगाज़ है इस लिय इस्लाम निकाह के मौके पर खुशी और जश्न मनाने की इजाज़त देता है।
- साथ ही ये बात भी स्पष्ट हुई कि कुछ अच्छे गाने गा सकते हैं गाते वक्त इस बात का खयाल रखें उस गाने में शिर्क या कुफ़्र वाले अल्फाज़ शामिल हो न।
- और नामहरम का आपस एक महफ़िल में गाना बजाना न सिर्फ़ हaram है बल्कि आज कल फैला हुआ एक बहुत बड़ा फ़ितना है।
- इस तरह की महफ़िल में शैतान अपनी पूरी फ़ौज के साथ फ़ितने फैलता है, बेहयाई और बेपर्दगी की इन्तेहाँ पार हो जाती है।
- बहुत सी मोमिना औरतें जो आम तौर से तो पर्दा करती है मगर ऐसी महफ़िलों में पूरी तरह से ज़ीनत से सराबोर होकर जाती हैं, और मर्दों को भी पूरी तवज्जो से ऐसी महफ़िलों में किसी न किसी गुनाह में मुब्तिला देखा जाता है। ऊपर से म्यूजिक और तरह तरह की बजे माहौल को और ज़्यादा गैर इस्लामी, खिलाफ़ ऐ शरीयत बना देता है।
- अल्लाह की नाफरमानी करके जो अपनी शादी शुदा ज़िन्दगी की शुरुआत करेंगे उनके निकाह में बरकतें नाज़िल होंगी ?
- इस तरह की दावत देने वाले की शुमार जितने लोग मुब्तिला हो रहे होंगे उनके गुनाहो का सबब वो दावत देने होगा ?

अब आज के हालात ए हाजिरा पर नज़र डालते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। न्यू जेनरेशन को लगाता है कि शादी के मौके पर जश्न मनाने और डफ़ बजाने की इजाज़त है तो बाजा और म्यूजिक बजा सकते हैं तो इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है।

(iii) म्यूजिक (Music) के हवाले से इस्लाम क्या कहता है?

आइए देखें 🎵 म्यूजिक के हवाले से इस्लाम क्या कहता है?

हम इसे चंद हदीस और कुरान की रोशनी में समझें :

हजरत इब्ने उमर रज़ि कहते हैं कि,

"नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने जब एक बार बांसुरी की आवाज सुनी तो अपने कानों में अंगुली डाल कर उससे दूर चले गये। [अबू दाऊद की हदीस न०- 4924, इमाम अल्बानी ने सहीह कहा]

इस हदीस से साबित होता है की सिर्फ़ डफ़ बजाने की इजाज़त है, आज कल के म्यूजिक के यंत्र (Instruments) रखना, उन यंत्र को ईस्तेमाल करना, इशकिया, अख़लाकी, क़बाहत, शिर्क व बेहयाई वाले अश'आर पर मबनी गाने गाना या बजाना इतिहाई ख़तरनाक और शैतानी (बुरे काम, गुनाह) में से है।

इर्शाद बारी तआला है :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो खेल की बातें खरीदते हैं ताकि बग़ैर समझे अल्लाह की राह से बहका दें और उन्हें हसी मज़ाक बना लें उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है।" [कुरान 31:6]

म्यूजिक और गाने दिलों में रोग पैदा करते हैं, इससे दिल गुनाहों की तरफ़ माइल होते हैं इससे दिल सख़्त हो जाता है, इसलिए इस से बचा जाना चाहिए।

कुछ और हदीस पर गौर करें, एक रिवायत में आता है:

सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहू अन्हु के शागिर्द खास सय्यदना नाफ़े रहिमहुल्लाह ब्यान फ़रमाते हैं कि,

सय्यदना इब्न उमर रज़ियल्लाहू अन्हुमा अपनी उँगलियाँ अपने कानों पर रख लिये और उस रास्ते से दूर चले गए। और फिर मुझ से पूछा: ऐ नाफ़े! क्या भला कुछ सुन रहे हो?

मैंने कह: नहीं,

तो उन्होंने अपनी उँगलियाँ अपने कानों से उठा ली और कहा कि मैं रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के साथ था तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने इस तरह की आवाज़ सुनी तो आप صلی اللہ علیہ وسلم ने ऐसे ही किया था। [अबू दाऊद 4924]

एक और हदीस में बयान है कि,

सय्यदना अबि मालिक अशअरी रज़ियल्लाहू अन्हु कहते हैं कि:

रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"मेरी उम्मत में से लोग ज़रूर शराब पियेंगे और इसके नाम के अलावा कोई और नाम रखेंगे। उनके सिरों पर बाजे गाजे बजाये जाएंगे और गाने वालीयाँ (गाने गायेगी)। अल्लाह तआला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा उनमे से बाज़ को बंदर और खिंज़ीर (सूअर) बना देगा।" [इब्न माजा : 4020]

(iv) गौर करने का मकाम है:

आज उम्मत अजीब व गरीब फिल्नों से दो चार है। किस तरह से निकाह के मौके पर डीजे बजाए जा रहे हैं घर की औरतें फहाशी और बेहयाई वाले गानों पर नाच रही हैं। मेहरम और ना मेहरम का कोई खयाल या लिहाज़ नहीं है। घर के मर्दों की गौरत मर चुकी है अफ़सोस!

अगर लोगों से कुछ कहो तो उल्टा ही जवाब मिलता है,

- "अरे खुशी के मौके पर इतना तो चलता ही है।
- ये मौलवी साहब लोग झूठे फतवे लगाते हैं।
- क्या हो गया बच्चे हैं....." वगैरह वगैरह!

उम्मत के नौजवानों !अल्लाह की ना फरमानी,
रसूलअल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की सुन्नत की खिलाफ़वर्जी कर के कौन सी खुशियां हासिल होगी,
इस पर थोड़ा गौर व फ़िक्र करें, कल अल्लाह के सामने हाज़िर भी होना है।

(v) उम्मत के बहनों और भाइयों से मेरी खास इल्तेज़ा है:

निकाह के मौके पर इस तरह की तकरीबात में शामिल होने से बचें, नाच गाने और डीजे का बहिष्कार (boycott) करें। निकाह को सुन्नत तरीके से अंजाम दें! बहनों से हाथ जोड़ कर खास इल्तेज़ा है। नामहरम से परदे का हुक्म अल्लाह के बताए हुए हुदुद में से है उन हदों को पार न करें।

10. लव मैरिज

(i) क्या इस्लाम में लव मैरिज की इजाज़त है?

आज जिस प्रकार लव मैरिज का क्रेज सर चढ़ कर बोल रहा है इंसान खुदगर्जी में अंधा होता जा रहा है, जब कोई अपने नफ्स की गुलामी में मुब्तला हो ऐसे में हराम हलाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हर वो शख्स जो मुसलमान होते हुए दीन ए इस्लाम से दूर है, मॉडर्न सोच और सेक्युलरिज्म के भवर में सुनहरे ख्वाबों के गोते लगा रहा है जिसके लिये ये आरज़ी दुनियां ही सब कुछ रह गई है।

फिर उसे जायज़ और नाजायज़, हराम और हलाल में फ़र्क नज़र नहीं आता, और फिर हराम रिश्ते भी सही लगने लगते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार गलती करता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है मगर बार बार जब उस चीज़ की लत लग जाए तो फिर वही चीज़ अच्छी लगने लगती है और उस गलत काम के प्रति हमारा नज़रिया सकारात्मक हो बन जाता है।

मसलन हम सभी जानते हैं कि चोरी करना एक जुर्म है फिर जब पहली बार कोई इंसान चोरी करता है तो उसका ज़मीर उसे ऐसा करने से रोकता है दिल की कैफियत कुछ अजीब होती है, लेकिन फिर दुसरी तीसरी बार में उसका डर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो इसका आदी हो जाता है, अब चोरी करना उसे गुनाह नहीं लगता बल्कि अच्छा लगने लगाता है। ठीक यही हाल हराम मुहब्बत का भी है और ऐसे में न्यू जनरेशन की तरफ़ से ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या इस्लाम में लव मैरिज जायज़ है?

आइए इस अहम और पेंचीदा सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं।

अबू मूसा अशरी बयान करते हैं के नबी ﷺ फरमाया:

"वली के बगैर निकाह नहीं है।" [अबू दाऊद 2085; अत-तिर्मिज़ी 1101]

और एक हदीस में नबी ﷺ का फरमान है:

"जिस औरत ने भी अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। और अगर कोई मसला हो जाए तो उसका वली काज़ी या हाकिम होगा।" [मुसनद अहमद 24417, अबू दाऊद 2083, अल-तिर्मिज़ी 1102]

वजाहत: ऊपर बयान की गई अहादीस से ये बात वाजेह होती है कि,

- जब तक किसी लड़की के निकाह में उसके वालिद की इजाज़त न हो तब तक वो निकाह मान्य नहीं हो सकता।
- यहां एक बात और जेहन में बैठा लेना चाहिए कि कोई औरत किसी औरत का निकाह नहीं पढ़ा सकती।
- गौर करने का मकाम है कि जो लड़कियां भाग कर कोर्ट में शादी कर लेती हैं या काज़ी को रिश्वत देकर निकाह कर लेती हैं उनका निकाह बातिल (अमान्य) है। ऐसा निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्जत की बारगाह में नाजायज़ है। यानि ये निकाह नहीं ज़िना होगा।

- इस तरह के निकाह में न खुशियां आती हैं न ही बरकत , साथ ही जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। मां बाप को भी समाज में रुसवा होना पड़ता है।
- याद रखें मां बाप माफ़ कर भी दें। मगर जमाना और समाज कभी माफ़ नहीं करता और इस तरह की हरकत को अल्लाह रब्बुल इज़्जत भी माफ़ नहीं करता जब तक कि तौबा न किया जाए।

और एक बात आप जिस किसी के साथ भी भाग कर शादी की हैं वो लाइफ पार्टनर आप को वो इज़्जत और एहताराम नहीं दे सकता जो आप के वालदेन के चुने हुए रिश्ते से मिलती है। ऐसे मर्द जिनके साथ लड़किया भाग कर शादी करती हैं वो उनकी वफादारी पर शक करता रहता है, ऐसे रिश्ते में भरोसा और ऐतबार की सिद्दत से कमी पाई जाती है अपने साथी से हर वक्त डर लगा रहता है और झगड़ा होने पर ऐसे मर्द ताने भी देते हैं, "जो अपने मां बाप की न हुई वो मेरी क्या होगी, तेरी औकात क्या है मेरे सामने भाग कर आई थी मेरे साथ।"

इस्लाम मां बाप को दरकिनार कर इस तरह के हराम रिश्तों की इजाज़त नहीं देता जिसमें मां बाप को औलाद की तरफ से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े।

(ii) मां बाप का मकाम

इस्लाम में मां बाप का मकाम किस हद तक ऊंचा है आइए कुरान और हदीस की दलाइल से जानते हैं-

कुरान: इर्शाद ए बारी तआला है:

"माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों, बुढ़ापे को पहुँचे तो उन्हें उफ़ तक न कहो, न उन्हें झिड़ककर जवाब दो, बल्कि उनसे एहताराम के साथ बात करो।" [सूरह 17 (बनी इस्राईल) आयत 23]

हदीस: रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

"वालदेन की नाफ़रमानी करना कबीरा गुनाह है।" [सही बुखारी 2653]

"वालिद (father) जन्नत का दरमियाना (बीच का) दरवाज़ा है इसलिए तेरी मर्ज़ी उसे ज़ाया कर या मेहफूज़ रख।" [जामे तिरमिज़ी 1899]

"अल्लाह की रज़ा वालिद (या वाल्दैन) की खुशी में है और अल्लाह का गुस्सा वालिद (या वालदेन) की नाराज़गी में है।" [तिरमिज़ी 1900]

अल्लाह रब्बुल इज़्जत का एहसान है हम पर कि उसने हमें मां बाप जैसे अज़ीम शख़्शियत से नवाजा है हमें उस रब ए कायनात का शुक्र गुजार होना चाहिए।

वजाहत: ऊपर बयान की गई अहादिस और कुरान की आयत से पता चलता है कि मां बाप के खिलाफ़ जाना उनसे रिश्ता तोड़ लेना अल्लाह को नाराज़ करना है। शरीयत के दायरे से निकल कर ग़लत काम करना नाजायज़

और हराम काम है। शरीयत की हद पार करना कुरान और सुन्नत की खिलाफ़वर्जी करने से अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। हमें इस तरह के गुनाहों से बचना चाहिए अगर जन्नत चाहिए तो वालदेन की ना फरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से डरते रहना चाहिए।

(iii) लड़की-लड़के की पसंद

अगर किसी लड़की या लड़के को कोई पसंद हो तो क्या करे?

इंसानी जिंदगी में मुहब्बत एक फिरती जरूरत है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब कोई पसंद आ जाता है, हालात ऐसे हों कि जब किसी लड़के/लड़की को सामने वाला पसंद आ जाए तो इसका बस एक ही हल है कि निकाह कर दिया जाए क्योंकि नबी صلی اللہ علیہ وسلم का फरमान है:

"दो मोहब्बत करने वालों के लिए हमने निकाह की मिस्ल कुछ नहीं देखा।" [सुनन इब्न माजा 1847]

आज जिस तरह से समाज में फहाशी और बेहयाई के हालात बनते जा रहे हैं इस्लाम किसी भी हाल में इसकी इजाज़त नहीं देता।

"ऐ नबी صلی اللہ علیہ وسلم ! इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं (उनमें से एक है) बेशर्मी के सारे काम चाहे खुले हुए हों या छिपे हुए।" [सूरह आराफ़ (7):33]

इस्लाम में ना मेहरम का मिलना जुलना, खुल कर (free) बात चीत, फालतू का हंसी मज़ाक की इजाज़त बिल्कुल नहीं। प्यार मोहब्बत रोमांस, घूमना फिरना एक दुसरे के साथ निकाह से पहले मना है एक दुसरे को टच करना हराम है।

अब सोचें घर से भाग कर शादी करना कैसे जायज़ हो सकता है ऐसी शादी हराम है, जिना है और बदकारी की राह है जिसमें दुनियां की जिंदगी में रुसवाई और बदनामी और आखिरत का अजाब अलग।

इरशादे बारी तआला हैं:

"ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने अहले खानदान को (जहन्नुम की) आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे।" [सूरह तहरीम (66):6]

11. निकाह के मौके पर कुछ गैर इस्लामी रस्में

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियों को रहमत बना कर इस दुनिया में भेजा है जिसका हर रूप खूबसूरत है। कल्पना करें अगर इस दुनिया में बेटियां ना होती तो क्या ये दुनिया इतनी खूबसूरत होती?

ये फ़ितरी बात कि उम्र के एक पड़ाव पर लड़कियां अपने ख़्वाबों ख़यालों में एक शहजादा तालाश करती हैं जो उन्हें तपती हुई सहारा से निकाल कर ठंडी छावों में ले आए, जहां वो सुकून से सांस ले, उसके जज़्बात की कद्र करे।

मगर अफ़सोस कि हमारे समाज में कुछ गैर ज़रूरी रस्में पैर फैला रही हैं और आज इन्हीं रस्मों ने मुस्लिम लड़कियों का जीना मुश्किल कर रखा है चैन और सुकून छीन कर तबाही और बर्बादी के दल दल में...

हम यहां कुछ गैर इस्लामी रस्मों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (i). लड़की देखना
- (ii). सगाई/मंगनी इंगेजमेंट
- (iii). दिन तारीख
- (iv). मांझा/हल्दी
- (v). मायो की रस्म
- (vi). मेहंदी की रस्म
- (vii). संगीत
- (viii). पटाखे और आतिश बाज़ी करना
- (ix). ढोलक और डिस्क जॉकी (DJ)
- (x). रतजगा (छोटा खाना)
- (xi). बारात
- (xii). दावते तआम
- (xiii). सलाम कराई/बासी खवई
- (xiv). खीर/मलीदा खवही
- (xv) जूता छिपाई
- (xvi). गौना की रस्म
- (xvii). दुल्हन को कुरआन के साए में बिदा करना
- (xviii). दहेज
- (xix). दुल्हन के कमरे को सजाना
- (xx). मुह दिखाई
- (xxi). निकाह के मौके पर विडियो और फोटोग्राफी
- (xxii). चौथी की रस्म

(ii) लड़की देखना

इस्लाम में लड़के को लड़की देखने की इजाज़त है इसका ज़िक्र हम निकाह के पिछले सीरीज में कर चुके हैं। लड़की देखने के नाम पर कुछ गैर शरीअती रस्में हमारे मुआशरे में लड़कियों पर बोझ बन रही हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे।

रिश्ता तय होते ही लड़की को देखने का सिलसिला जारी हो जाता है अब झुंड बनाकर सुसराल वालों की तरफ से लोग लड़की को देखने आ रहे होते हैं नंद, जेठानी, सास, चाची सास, ताई सास यहां तक कि ससुर, जेठ, जीजा, नंदोई और भी ना मेहरम रिश्ते जैसे लगता है बारात आई है। और एक बेटी की मां अपनी मजबूरी और परेशानी छिपाए चेहरे पर मुस्कान सजाए चाय नाश्ता, सैकड़ों डिसेज़ परोसने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ लड़की का इंटरव्यू लेना जारी होता है तो उससे दुनियादारी के तमाम सवाल किए जाते हैं। दुनियावी तालीम में क्वालिफिकेशन पूछी जाती है "शादी के बाद हम जाब कराएंगे" ये पहली प्राथमिकता है लेकिन दीन का पहलू को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। लड़की ने दीनी तालीम हासिल की है या नहीं, नमाज़ पढ़ती है या नहीं, पर्दे का एहतेमाम तो दूर की बात है ये तो आज ज़रूरी ही नहीं समझा जाता।

एक बात और देखने को मिलता है जिस लड़के से शादी करनी है उसे देखने ही नहीं दिया जाता या बस एक औपचारिकता (formality) पूरी की जाती है। बेचारी लड़की को ऐसे देखा जा रहा है जैसे कोई चीज़ या जानवर हो चला कर, टहला कर, दाएं-बाएं, आगे पीछे करके। देखने के बाद वापस जा रहे लोगो को 500-500 रुपए भी दिए जाते हैं। ये भी एक रस्म होती है जिसे ना करने पर रिश्ता तोड़ दिया जाता है।

(iii) मंगनी की रस्म

इस्लाम में मंगनी की रस्म करना सुन्नत से साबित नहीं है। मंगनी का मतलब बस इतना है कि रिश्ता तय होने का ऐलान हो जाय ताकि लोगों को पता चल जाए, जिससे कोई और रिश्ता उस लड़का या लड़की के लिए न आए। क्योंकि एक रिश्ते पर दूसरा पैग़ाम भेजना मना है।

हजरत अबू हुरैरह रज़ि अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"कोई शख्स अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर अपना पैग़ाम न भेजे, यहाँ तक कि वो (उस औरत) से निकाह कर ले या (निकाह का इरादा) छोड़ दे।" [सहीह बुखारी 5144]

इब्ने उमर की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं:

"तुममें से कोई शख्स अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर अपना पैग़ाम न भेजे, यहाँ तक कि पहले पैग़ाम देने वाला अपना इरादा बदल दे या उसे पहले पैग़ाम देने वाला इजाज़त दे दे।" [सहीह बुखारी 5142]

अब आज के दौर की सगाई को देखें, बाकायदा एक इवेंट बना लिया गया है जिसमें दोनों तरफ से इस रस्म को सेलिब्रेट किया जाता है। लड़का लड़की को करीब बैठा कर एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है। नामेहरम एक-दुसरे को touch करते हैं। ये नाजायज़ है। ऐसी मंगनी की रस्म अदा करते वक़्त लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं जो की फ़िज़ूलखर्ची है।

मंगनी की रस्म होते ही लड़की लड़का दोनों सोचते हैं की एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। फिर घूमना फिरना, बातें करना, हंसी मज़ाक, घंटो चैटिंग करना आम होता जा रहा है जो नाजायज़ अमल है इससे बचना चाहिए।

(iii) दिन तारीख

क्या इस्लाम में निकाह का कोई खास दिन और वक़्त है?

जब रिश्ता तय हो जाता है तो कुछ ग़लतफ़हमियां पाई जाती हैं जिससे अक़ीदा ए तौहिद कमज़ोर होता है कि कुछ अय्याम (दिन तारीख) फ़िक्स करते वक़्त दिन को ये कहा जाता है कि ये दिन सही नहीं है जैसे मंगल, ज़ुमारात, शनिचर और इतवार के विषय में अकसर कहा जाता है कि ये दिन ठीक नहीं है, मनहूस है, इस दिन शादी हुई तो निकाह ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसी तरह कुछ महीनों को भी निकाह के लिए सही नहीं माना जाता जैसे मुहर्रम और शाबान के महीनों में लोग निकाह की date नहीं रखते हैं फिर लोग कैलेंडर मानते हैं काज़ी के पास जाकर जैत्री दिखवाकर निकाह का दिन तय करते हैं।

याद रखें इस्लाम में शगुन अपशगुन का कोई मतलब नहीं है निकाह या कोई भी काम किसी दिन, तारीख, किसी भी घड़ी किया जा सकता है।

(iv) हल्दी की रस्म

दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाने का जो रिवाज़ हमारे समाज में एक इवेंट के तौर पर चल रहा है इसका इस्लाम में कोई कांसेप्ट नहीं है ये ग़ैर मुस्लिमों का तरीका है जिनकी नक़ल हम कर रहे हैं।

हमारे समाज में यह रस्म कम-अज़-कम एक हफ़्ते पहले आयोजित की जाती है और इस दिन दुल्हन/दूल्हा को पीले लिबास में हल्दी लगाई जाती है। इस मौक़े पर आने वाले मेहमान भी खास तौर पर पीले रंग का कपड़ा पहन कर आते हैं। इस मौक़े पर तोहफ़े देने का भी रिवाज आम हो चला है और आज वक़्त के साथ शिर्क और बिद्दत में भी इज़ाफ़ा ही हो रहा है मसलन जब दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है तो शिरकिया और बेहयाई वाले गाने भी गाए जाते हैं और फिर नामेहरम औरतें जिसमे भाभी, मामी और ऐसी लड़कियां जो चचेरी, ममेरी हैं उस दुल्हे को हल्दी लगाती हैं।

इसी तरह दुल्हन को भी नामेहरम की भीड़ में हल्दी लगाई जाती है जो नाजायज़ है। इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है।

नोट: याद रहे, शादी से पहले "हल्दी या मांझा" की रस्म करना सुन्नत से साबित नहीं है।

- अगर कोई ख़ूबसूरती के लिए लगाये तो लगा सकते हैं, लेकिन इसे रस्म के साथ नहीं।
- ये ऐसी रस्म है जिसमें महरम और ग़ैर-महरम दोनों होते हैं और एक पार्टी की तरह रस्म अदायगी होती है, हल्दी लगाई जाती है। ग़ैर मेहरम (लड़का/लड़की) को छुआ (टच किया) जाता है जो हराम है।

रसूल अल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

"तुम्हारे लिए किसी गैर मेहरम को छूने (टच) से बेहतर है कि तुम अपने सिर (हेड) में लोहे की कील ठोक लो।"
[सही अल-जामेअ : 5045]

- अलग अलग शहर और इलाके में मुख्तलिफ़ तरीके से इस रस्म को मनाने का रिवाज़ है जिसमें कुछ शिर्किया काम भी किए जाते हैं।

याद रखें जो भी काम या रस्म जिसमें शिर्किया अमल किए जाए या मुन्नत से जो साबित न हों उस से बचना चाहिए। हमें उसी तरीके से जीना चाहिये जो तरीका रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का था, गैर कौमो का तरीका नहीं अपनाना चाहिए तभी हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे।

अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"जिसने किसी कौम की मुशाबिहत की वो उन्हीं में से है।" [सुनन अबु दाऊद : 4031]

(v) मायो की रस्म

निकाह के दो तीन दिन पहले दुल्हन को मायो बिठाया जाता है। उसे एक कमरे में बिठा देते हैं और निकाह होने तक दुल्हन कमरे में ही रहती है ताकि गैर मर्द की नज़र उस पर न पड़े। बाज़ जगहों पर तो लोग ये कह कर दुल्हन को मायो बिठाते हैं की गैर मर्द की नज़र पड़ गई तो रूप नहीं चढ़ेगा, ये सब फिज़ूल की बातें हैं। इस्लाम हर वक्त गैर मेहरम से पर्दे का हुक्म देता है और मायो जैसी रस्म की शरीयत में कोई जगह नहीं है किसी भी औरत के लिए गैर मेहरम से पर्दे का हुक्म कुछ खास दिन में ही क्यों इस्लाम में परदा तो फर्ज़ है?

हमारे मुआशरे में मायो की जो रस्म चल रही है नाजायज़ है हमें निकाह ऐसे करना चाहिए जैसे रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से साबित है। शरीयत ने निकाह को आसान करने का हुक्म फरमाया है, हर वो अमल जो समाज पर बुरे असरात डालती है नजायज़ और हराम है।

(vi) मेंहदी

औरत का मेंहदी लगाना मुस्तहब (Optional) है। दीन इस्लाम में मेंहदी लगाने में कोई मनाही नहीं है चाहे आम हालत हो या फिर निकाह का दिन। अब आज कल निकाह के मौके पर मेंहदी को रस्मी तौर पर बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है बकायदा एक प्रोग्राम किया जाता है लड़कियां नए नए कपड़े पहनती हैं नाच गाना होता है। याद रखिए ये सब करना एक खुराफात है दीन में इसकी कोई जगह नहीं है।

(vii) संगीत

घर की औरतों का ये कहना कि कौन सी शादी रोज़-रोज़ होनी है, जिन्दगी में एक बार ही तो ये मौका आता है खुशी का मौका है। और घर के मर्द (बड़े बुजुर्गों) का इन मौकों पर चुप रहना खामोशी से गैर शरीयत रस्मों को हवा देना है और ये मर्दों की लापरवाही ही है कि दीन में बिगाड़ पैदा हो रहा है।

याद रखें, संगीत (music) और गाने दिलों में रोग पैदा करते हैं, इससे दिल गुनाहों की तरफ़ माइल होते हैं, इससे दिल सख़्त हो जाता है, इस लिए इस से बचा जाना चाहिए।

आज हमारी शादियों में बाकायदा एक इवेंट के तौर पर म्यूजिक का प्रोग्राम किया जाता है जिसमें औरत और मर्द एक संग स्टेज सजा कर फिल्मी गानों पर नाच रहे हैं। देवर-भाभी, साली-जीजा और तमाम गैर मेहरम रिश्ते ऊपर से बाहर के दोस्त यार भी हमारी घर की बहन बेटियों के साथ फिल्मी धुन पर थिरक रहे हैं। एक दुसरे को छू (touch) कर रहे हैं और हमे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम कहां जा रहे हैं?

निकाह के मौके पर सिर्फ़ "डफ़" बजाने की इजाज़त दी गई है जो सुन्नत से साबित है इसका जिक्र हम निकाह के पिछले पार्ट में कर चुके हैं।

हां, औरतें ऐसे गीत गा सकती हैं जिसमें शिक्रिया अल्फाज़ इस्तेमाल न हुआ हो।

(viii) पटाखे और आतिश बाज़ी करना

आज कल शादियों के मौके पर घरों, सड़कों पर पटाखे फोड़ने का रिवाज़ भी आम हो चला है। लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए आतिशबाजी करते हैं ये सब फिज़ूलखर्ची है।

(ix) ढोलक और डिस्क जॉकी (DJ)

ढोलक और डीजे की बात करें तो शादी के मौके पर एक हफ़्ते पहले ही घर के दरवाज़े या छत पर लगा दिया जा रहा है, तेज़ कर के पूरे मोहल्ले को परेशान किया जाता है, अज़ान हो रही है कोई फ़र्क नहीं, लोग मस्त हैं। खुद नमाज़ नहीं पढ़ते दूसरे पढ़ रहे उनमें भी खलल पैदा करना कितना बड़ा गुनाह है। काश कि लोगों को इसका खयाल होता।

(ix) रतजगा (छोटा खाना)

निकाह के एक दिन पहले औरतें रात भर जाग कर पकवान पकाती हैं और ढोलक पीट-पीट कर गीत गाती हैं, ऐसे में नमाज़ तर्क हो जाती है नमाज़ फ़र्ज़ है कयामत के दिन नमाज़ का सवाल होगा, इस्लाम ने हमें निकाह का एक ख़ास तरीका बताया है अगर हम मुस्लमान उस तरीके को छोड़ कर बेकार की रस्में करें और फिज़ूलखर्ची करें तो ये ग़लत है। इससे निकाह मुश्किल होता जा रहा है और जिंदगी जीना जैसे नापाक, गुनाह।

सस्ता सौदा: इस दुनिया में आने का मकसद एक अल्लाह की इबादत है और हम इस मकसद को ही समझ नहीं पा रहे हैं या जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं या फिर रास्ता भटक गए हैं।

एक कहावत है न कि, "सोए हुए को तो जगाया जा सकता है मगर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगाया जाए।"

हम पैदाइशी मुस्लामन जिन्हें इस्लाम जैसी नेमत मुफ्त में मिल गई है जिसे हम तक पहुंचाने की खातिर अल्लाह के रसूल रहमतुल-लिल-'आलमीन ने ना जानें कितनी तकलीफ और अजीयतें सहन की और हम क्या क्या कर रहे हैं?

जिन्हें जन्नत मिलने का वादा किया गया है अल्लाह की फरमाबरदारी और अच्छे अमाल के बदले अल्लाह की मुलाकात और दीदार मयस्सर होना है, हमारे जिस्म और जान का हर अमल बेशकीमती है उस जान की कीमत हमने बहुत थोड़ी लगाई, यानी उस कीमती जान के बदले हमने इस आरज़ी दुनिया को ही अपना ठिकाना समझ लिया है, हम विलासितापूर्ण जीवन Luxurious Life में खोते जा रहे हैं।

फहस, बेहयाई, नाच गाना, म्यूज़िक, शहवत, झूट दिखावे की जिंदगी, डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है हम कहाँ जा रहे हैं हराम हलाल में कोई फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं। करें भी तो कैसे दीन से गफलत हमारा मुकद्दर बनता जा रहा है जैसे गुनाहों को खरीद लिया जिनकी लज़्जत यकीनन फ़ानी है।

अल्लाह तआला खुद फरमाता है :

"जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, उनकी तिजारत उनके लिए नफामंद ना हुई और उन्होंने थोड़ी कीमत पाई" [क़ुरान 2:16]

(xi). बारात

जैसे ही रिश्ता तय होता है वर पक्ष की तरफ से फरमाइशी लिस्ट जारी होने लगती है दहेज़ की डिमांड के बाद बारात में कितने लोग आएंगे 200, 400, 800 फिर इनके आव भगत के इंतजामात (arrangement) फिर बेटी का बाप दौड़-दौड़ कर बारातियों की फरमाइश पूरी करता है लोगों के सामने हाथ जोड़ कर जीहुजूरी करता है।

मैंने बेटी के बाप से ज्यादा किसी इंसान को गरीब और मजबूर नहीं देखा जो अपने जिगर के टुकड़े और पूरी जिन्दगी की कमाई अजनबियों के हवाले करता फिर उनकी नजायेज डिमांड पर हांथ जोड़े फिरता है ये इसलाम की तालीम तो नहीं है और न ही इस तरह की रस्मों की कोई जगह है बारात में दो चार सौ लोगों को ले जाना एक गैर सरई रस्म है इस तरह की रस्म का बॉयकॉट करना चाहिए।

(xii). दावते तआम

बेटीयां रहमत हैं और अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ने अपनी बेटियों को बोझ बना दिया है बारात की आव भगत करने के साथ ही एक बेटी वाले को शहर और गांव वालों को भी दावत देनी पड़ती है एक तो वर पक्ष की फरमाइश पर बेटी के बाप का बाल बाल कर्ज़ में डूब जाता है उपर से अगर गांव जवार को न खिलाए तो ताने दिए जाते हैं दुल्हन पक्ष की तरफ़ से दावत का सरियत में कोई जगह नहीं है ये ग़ैर ज़रूरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को लोगों के लिए आसान बनाया है इस तरह निकाह मुश्किल होता जा रहा है 30/40 की उम्र पार हो रही है लाखों लड़के लड़कियां कुवारें बैठें हैं अल्लाह के वास्ते इन बेजा खर्चों से बाज़ आ जाएं।

(xiii). सलाम कराई/बासी खवई

निकाह के बाद बेटी बिदा करने से पहले दुल्हन घर/ रिश्तेदार की तरफ़ से दूल्हा को सलाम कराई के तौर पर 1000/2000सलामी देनी पड़ती है खास कर सास से इस रस्म के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है।

ये फिज़ूल खर्ची है।

(xiv). खीर/मलीदा खवाही

इसी तरह से अलग अलग शहर में खीर या मालीदा खिलाने की रस्म अदायगी का रिवाज़ है दुल्हन की रूखसती से पहले दूल्हे को खीर या मलीदा पेश किया जाता है इस मौके पर तोहफा देने का भी चलन आम है साथ में दूल्हे को सोने की अंगूठी और चेन पहनाई जाती है जब की इसलाम में मर्द के लिए सोना और रेशम हराम है अगर दुल्हन की तरफ़ से इस तरह की कोई चीज़ न दी जाए तो सुसराल में उसे मुख्तलिफ़ किस्म के ताने सुनने पड़ते हैं।

याद रखें रसूलुल्लाह की हदीस में साफ़ तौर पर सोना को मर्द के लिए हराम फरमा दिया है।

“रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने एक शख्स की हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी देखी आप صلی اللہ علیہ وسلم ने उसको उतार कर फेंक दिया और फरमाया तुम में से कोई शख्स आग का अंगारा उठाता है और उसे अपने हाथ में डाल लेता है!” [सहीह मुस्लिम 5472]

(xv) जूता छिपाई/चुराई

खीर खाई के वक्त ही दुल्हन की बहनें दूल्हा का जूता चुराती हैं और बदले में नेग और पैसे की डिमांड करती हैं और ऐसी महफ़िल में बेहूदा किस्म के हसी मज़ाक चलता है जूता तब तक वापस नहीं किया जाता जब तक मुंह मांगी रकम वसूली न हो जाए।

जूता छिपाई हिन्दूओं की रस्म है, हम मुसलमानों को ग़ैर मुस्लिमों की रस्मों को इख्तियार करने से बचना चाहिए।

(xvi). गौना की रस्म

गौना की रस्म हिंदुओं की परंपरा है। इसे "फेरे" की रस्म भी कहा जाता है। इंडिया के मुख्यलिफ राज्यों में पहले जब कम उम्र में वर वधु की शादी होती थी तब शादी के बाद दुल्हन के व्यस्क (adult) होने तक अपने वालिद के घर रहती थी बाद में जब दूसरी बार जाती तो वह "गौना" कहलाता था। यह रस्म बाद में बड़ी आयु में शादी होने के बाद भी चलती रही। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में आज भी ये रस्म की जाती है। देखते देखते ये रस्म मुस्लिमों में भी आम हो गई।

ये रस्म किसी ऐतबार से दुरुस्त नहीं है कि लड़की एक बार अपने शौहर के घर जाए फिर 2-3 साल उससे दूर रहे। ये रस्म बीवी और शौहर दोनों के साथ ज्यादाती है जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं।

(xvii). कुरान के साए में दुल्हन बिदा करना

कुरान के साए तले दुल्हन को रुखसत करना कुरान करीम एक मुकदस और बा बरकत किताब है जिसकी दुनियां में कोई दूसरी मिशाल नहीं, जिसे देखना इबादत जिसे छूना इबादत जिसका एक एक लफज़ हिदायत जिसे पढ़ कर रहनुमाई हासिल होती है कुरान के साए में अपनी बेटी या बहन को रुखस्त करने को अगर आप बरकत समझ रहे हैं तो सोचें कि जब निकाह कुरान के अहकाम के मुताबिक हो तो उसकी बरकत और रहमत का क्या पूछना और अफसोस है कि दौरान ए निकाह हम कुरान के एक लफज़ पर भी गौर नहीं करते और फिर जब निकाह मुकम्मल हो जाता है तो लड़की का बाप या भाई रुखस्ती के वक्त उसे कुरान के साए में बिदा करता है ये अमल सुन्नत से साबित नहीं है और फिर माहौल देखें पुरी रात तो डीजे बजा खुराफाती काम किए गए और रुखसती में इतना रस होता है की घर की औरतों और दुल्हन की सहेलियां नंगे सिर अदाकाराओं वाले लिवास और साथ में मर्दों का भी हूजूम कहीं से भी ये नहीं लगाता कि ये मुस्लिमों की शादियां हैं। हमारे जूर्मों की फेरिस्त इतनी लंबी की बस अल्लाह माफ़ कर दे ये सब देख कर रोना आता है।

(xviii). दहेज

दहेज का लफज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं है। कुरान बेटीयों को विरासत में हिस्सा का हक देता है अगर कोई अपनी बेटी को जरूरत के हिसाब से तोहफा देना चाहे तो दे सकता है मगर दहेज के नाम पर न दे। दहेज हमारी जिंदगियों में एक नासूर बन चुका है।

दहेज के इस टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे। इन शा अल्लाह, आज यहां दहेज को संक्षिप्त रूप में रखते हैं कि कैसे इस ने हमारी खुशियों पर डाका डाला है:

नागिन दहेज

धीरे धीरे कहर ढा रही हो, हर द्वार पर तुम नज़र आ रही हो,
 उजाड़ा है तुमने जो आशियाना, कितने घरों को लुटा है तुमने।
 चमक दमक का रास रचा कर, कितनों की खुशियों को आग लगाया,
 दुनियां पर कैसा जादू चलाया, बहुतों को तुमने पागल बनाया॥

सताती हो कैसे? रुलाती हो कैसे? पल भर हसा कर तड़पाती हो कैसे?
 रूप का अपना जो जाल बिछाया, घर-घर तुमने दंगा कराया।
 ये रिश्तों में कैसा ज़हर मिलाया? क्यों पावन रिश्ते पर दाग लगाया?
 तुमने दिया जो जुल्म को बढ़ावा, दौलत का जो नंगा नाच दिखाया॥

तुम्हारी वजह से बनी बोझ बेटी, क्यूँ हर रिश्ता लगता है बोझिल?
 भिखारी बना है बेटी का बाप, भाइयों के चेहरे पर छाई उदासी।
 तड़पती है मां क्यों चुपके चुपके? सिसकती है बेटी क्यों छुपके?
 लालच का तुम रास रचाती, खिलती कली को हो तुम बहुत सताती॥

कुछ मर गई कुछ जलाई गई, बहुत सारी बहनें खुदकुशी कर गई,
 जो जी रही हैं वो घुट रही हैं, हर रोज़ दर्द ए गम पी रही हैं बेचारी।
 करते हो अनुसरण दूसरों के मज़हब का, क्या दीन हमारा नहीं सिखाता?
 बचो मोमिनो ये घातक ज़हर है, नहीं बच सके ये खता है तुम्हारी॥

(xix). दुल्हन के कमरे को सजाना

आज हमारी शादियों का ये हाल है की बेजा खर्चों पर कोई रोक टोक नहीं है। अक्सर शादी के मौके पर दूल्हे/दुल्हन के कमरे को फूलों से सजाते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं बाज़ लोग बिल्कुल की स्टेज तरह सजाते हैं ये सब फिजूल खर्ची है।

(xx). मुँह दिखाई की रस्म

शादी के बाद सुसुराल में मुँह दिखाई का रस्म हिंदू समाज की परंपरा है अब चूंकि बर्रे सगीर (इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश) के मुस्लिम समाज मिली जुली संस्कृति को फॉलो करता है यही कारण है कि ज्यादातर रस्में हमने हिंदुओं से कॉपी कर रखी है और जब मुस्लिम मुआशरा इल्म की दौलत से ला इल्म हो तो बुराई अपने आप दाखिल होती चली जाती है।

मुँह दिखाई समारोह को मनाने का सबसे आम तरीका दुल्हन को अपने घूँघट से ढके चेहरे के साथ बैठा कर दूल्हे की फैमिली, सास, रिश्तेदार और मुहल्ले की अन्य महिलाएँ एक-एक करके दुल्हन का घूँघट उठाती हैं और दुल्हन को चेहरा दिखाने के लिए तोहफा पेश करती हैं इस तरह से औरतें नई दुल्हन का स्वागत करती हैं। अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदू धर्म में भी पर्दे का खास खयाल रखा जाता था और गांव में ये परंपरा आज भी है। इस रस्म में औरतें ही दुल्हन को देखती हैं मर्दों से पर्दा लाज़मी होता है।

बदलते जमाने के साथ ये रस्म भी नए रूप में ढलती चली गयी। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम समाज में भी मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर का अनुकरण करना शुरू हो गया। आज इसे एक बड़े इवेंट के रूप में स्वीकृति प्रदान हो चली है। अब मुस्लिम मुआशरे की बात करें तो दावते वलीमा में एक रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है फिर दुल्हन को एक मुजस्समा की तरह सजा कर स्टेज पर बिठा दिया जाता है। गांव, समाज, घर रिश्तेदार मर्द औरत सब देख रहे हैं। शादी से पहले कहा जाता है की दुल्हन को गैर मेहरम न देखे और शादी के बाद ही उसकी नुमाईश शुरू हो जाती है।

(xxi). निकाह के मौके पर विडियो और फोटोग्राफी

गैर ज़रूरी रस्मों की हद तब पार होती है जब दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट और वीडियो बनाया जाता है। अफ़सोस नाक रस्म मूरत की तरह सजाई हुई दुल्हन का भारी भरकम ड्रेस, ऊपर से ओढ़ाई गई चुनरी जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि चुनरी, दुपट्टा या चादर का मकसद औरत की हया से है जब की आज कल ये चुनरी, दुपट्टा अपने मकसद को ही पूरा नहीं कर रहा बल्कि उसका इस्तेमाल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है।

बॉलीवुड, हिंदी टीवी सीरियल्स और पाकिस्तानी ड्रामा के वाहियात और बेहया प्रभाव रफ़ता रफ़ता हावी हो रहे हैं। जिस्म की नुमाईश आम हो चली है। साथ में घर की बहन बेटियों का न मेहरम मर्दों के बीच मुख्तलिफ़ ऐंगल्ज़ से फोकस करके फिल्म बनाना और ये फोटो ग्राफर, मूवी मेकर बन ठन कर ऐसे आते हैं जैसे उनकी खुद की शादी हो। मेहरम, गैर मेहरम सबके एक साथ फोटो शूट हो रहा है, कौन किस टच कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दुल्हे राजा खुद 'मूवी मेकर' फोटो ग्राफर को गाइड लाइन दे रहे होते हैं "फोटो अच्छी आनी चाहिए, चेहरा क्लियर दिखना चाहिए", और फोटोग्राफर घर की ख्वातीन के हाथ पकड़ कर कभी चेहरा, कभी ठुड्डी पर हाथ लगा कर एंगल्स बता रहा होता है।

ऐसे बेहुदा मौके पर घर की औरतें, जवान बच्चियां दूल्हा और दुल्हे के दोस्तों के साथ पोज दे रही होती हैं। अफ़सोस किसी मर्द को ये कैसे गवारा हो सकता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन को उसके सिवा कोई और हाथ लगाए और घर के दिगर मर्द हजरात की गैरत कहां मर जाती है जब कोई बाहर का अजनबी उनके घर की औरतों को घूरता और छूता है। रोज़े महशर हम अल्लाह रब्बुल इज़्जत के हुज़ूर कैसे खड़े होंगे। अगर यूँही हम अपने घर की हया को लुटाते रहे फिर वो दिन दूर नहीं जब दरिंदे भेड़िए हमारी बहन बेटीयों की इज़्जत को रौंद कर अपनी हवस पूरी करेंगे।

इल्तेज़ा है हमारी तमाम मोमिन और मोमिनात से लौट आए कुरान ओ सुन्नत की तरफ, अपने घर और मुआशरे में हया के बीज बोएं, पाकीज़गी के दामन थाम कर उस मयार को सर बुलंद करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर का खास था। हमे उसी तरीके से जीना चाहिये जो तरीका रसूल अल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का था, गैर कौमो का तरीका नहीं अपनाना चाहिए तभी हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे।

अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"जिसने किसी कौम की मुशाबीहत की वो उन्हीं में से है।" [सुनन अबु दाऊद : 4031]

(xxii). चौथी की रस्म

चौथी की रस्म को कलेवा की रस्म के नाम से भी जाना जाता है। ये रस्म भी हिंदू धर्म की मशहूर रस्म है इस रस्म में शादी के तीसरे या चौथे दिन दूल्हा और दुल्हन, दुल्हन के परिवार से मिलने जाते हैं या फिर दुल्हन के परिवार वाले मिठाईयां फल और ढेर सारा तोहफा लेकर दुल्हन से मिलने उसके सुसराल जाते हैं। इन तोहफों के बदले में लड़की के वालिदा को उसके ससुराल से आए हर एक बन्दे को कपड़े और पैसे देने होते हैं कुछ जगहों पर लाई हुई मिठाई की दो गुनी रकम भी देनी पड़ती है ये लड़की के परिवार पर बोझ डालना है। इस रस्म की शरीयत में कोई जगह नहीं।

अल्लाह कुरान में कहता है:

"रसूल जिस बात का हुक्म दे उसे ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ।" [कुरान 59: 7]

दीन ए इस्लाम आसान है और जिंदगी जीने का आसान तरीका फ़राहम करता है, मगर हम ने दीन में नई नई चीज़ें दाखिल कर के इसे मुश्किल बना रखा है। इस आर्टिकल का मकसद, निकाह जैसी नेमत को आसान बनाना, तलाक़ और खुला के गलत तरीके को खत्म करना, जिना जैसे कबीरा गुनाह को आसान निकाह के जरिए समाज से मिटा देना है।

आज फ़िज़ूल रस्म ओ रिवाज के झंझट के कारण बहुत से भाई बहन कुंवारे बैठे हैं। गरीब हो या अमीर कोई न कोई मुश्किल से दो चार हैं, 30/35 की उम्र में न जानें कितने अविवाहित बैठे हैं। उम्र निकलती जा रही, नतीज़ा जिना के वाक्यात बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें समाज का हाल ये हो चला है कि जो बंदा जितना गरीब है वो उतना ही ज़्यादा पैसा इन गुनाह की रस्मों पर खर्च करता है चाहे उधार ही क्यों न लेना पड़े, ये ग़ौर ओ फ़िक्र का मकाम है।

10. पहली मुलाकात

(i) शब-ए-ज़िफ़ाफ़ (सुहाग रात)

जब निकाह मुकम्मल होता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और दो अजनबी एक नई बंधन में बंध जाते हैं फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है।

जब दूल्हा दुल्हन कमरे में दाखिल हो तो बेहतर है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आए एक दूसरे के जज़्बात को समझने की कोशिश करें इस्लाम चाहता है कि इंसान इस दुनिया की हर नेमत से लुत्फ उठाए, जायज़ और हलाल चीज़ों का इस्तमाल करे, तो जिस किसी मुसलमान की ज़िंदगी में ये ख़ुबसूरत लम्हा आए तो उसे चाहिए की वो अल्लाह का शुक्र अदा करें अच्छा होगा की वजू करें और दो रकात शुक्राने की नमाज़ अदा करे।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद (रजि.) फ़रमाते हैं:

"एक शख्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और मुझे अंदेशा है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) ने फरमाया:

"मुहब्बत व उलफत अल्लाह की तरफ से होती है। और नफरत शैतान की तरफ से जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ सब से पहले उससे कहो कि वह तुम्हारे पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़े, इंशाअल्लाह तुम उसे मुहब्बत करने वाली और वफा करने वाली पाओगे।" [मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द 03 सफा 402]

(ii) दो रकात शुक्राने की नमाज़

ध्यान रहे ये नफिल नमाज़ है मुस्तहब है ज़रूरी नहीं है नमाज़ का तरीका ये है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक सफ़ में खड़े नहीं होंगे बल्कि दूल्हा आगे होगा और दुल्हन पीछे फिर दोनों नियत करेंगे।

नमाज़ की नीयत: दो रकअत नमाज़ नफ़ल शुक्राने अल्लाह तआला की रज़ा के लिए दिल इरादा करें "अल्लाहु अकबर"

नोट: नीयत दिल के इरादे का नाम है तो अल्फाज़ की अदायगी ज़रूरी नहीं। फिर जिस तरीके से दूसरी नमाज़ अदा की जाती है वैसे ही नमाज़ मुकम्मल करेंगे। नमाज़ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्जत की बारगाह में हाथ उठा कर मियां बीबी दोनों अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने, दुनियां और अखिरत दोनों में भलाई और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इतनी ख़ुबसूरत ज़िंदगी अता की और नबी करीम صلی الله علیه وسلم की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाई!

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم इरशाद फरमाते हैं:

“जब कोई शख्स निकाह करे और पहली रात को अपनी दुल्हन के पास जाए तो नर्मी के साथ उसकी पेशानी के थोड़े बाल अपने सीधे हाथ में लेकर ये दुआ पढ़े।”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से इस (बीवी) की भलाई और खैर व बरकत माँगता हूँ और इसकी फितरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और फितरी आदतों की बुराई से।” [अबु दाऊद 2160]

इस दुआ की खूबी और फजीलत बयान की गई कि अल्लाह त'आला इस दुआ के ज़रिए शौहर और बीवी के बीच शफकत और बरकत नाजिल करेगा ताकि शौहर और बीवी में मुहब्बत और उलफत कायम हो, अगर कोई बुराई हो तो अल्लाह उसे दूर कर देगा बीवी अपने शौहर की वफादार और फ़रमाँबरदार हो जायेगी।

एक अहम बात ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्जत इस दुआ के ज़रिए इंसान को ये पैग़ाम देना चाहते हैं कि वो कभी भी यादें इलाही से गाफिल न हो और हर हाल में दुआ ए खैर किया करे। इसके बाद अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें।

अल्लाह के रसूल صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

“जब कोई शख्स अपनी बीवी के पास आता है यानी हमबिस्तरी का इरादा करता है और ये दुआ पढ़े:

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا

“अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह! हमसे शैतान को दूर रख और जो कुछ तू हमें (औलाद) दे उसे भी शैतान से दूर रख!”

फिर अगर उसके यहां औलाद पैदा हो तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।” [बुखारी 141; मुस्लिम 1434]

(iii) दुआ पढ़ने का मकसद

जब इंसान दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान शामिल होता है और अपनी चालें चलता है।

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया: जब बंदा एक बार जिमा कर ले और दोबारा जिमा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वजू कर ले क्योंकि एक बार जिमा करने के बाद दोनो जुनूबी (impure) हो जाते हैं और उन दोनों पर गुसल वाजिब हो जाता है। एक और हदीस में नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया वजू करने से तरोताज़गी और ताक़त पैदा होती है ये एक अच्छी बात है क्योंकि वजू भी एक इबादत है और ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाता है।

अम्मी आयशा फरमाती हैं कि, “मैं और नबी صلی اللہ علیہ وسلم हालत ए जनाबत में एक ही बरतन से गुसल किया करते थे।” [अबू दाऊद 220; मिश्कात 454; इब्न ए माजाह 587; बुखारी 263]

अल्लाह तआला कुरान में फरमाता है:

"तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। तुम्हें अधिकार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ मगर अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो, ख़ूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ऐ नबी ! जो तुम्हारी हिदायतों को मान लें उन्हें कामयाबी और ख़ुशक़िसमती की ख़ुशख़बरी सुना दो।"

[क़ुरआन 2 :223]

वजाहत: यहां इस आयत में बीवी को खेती कहा गया है जिस पर अक्सर ना समझ और कम अक्ल लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम में औरत को खेती कहा कहा गया है मतलब औरत को कोई एहमियत नहीं है। हम इस आयत की एहमियत को वाजेह करेंगे साथ ही इसके नाजिल होने के हवाले से चंद अहादीस भी बयान करेंगे।

(iv) तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ

इसकी तफ़सीर में जनाब मौदूदी लिखते हैं:

"फ़ितरन अल्लाह ने औरतों को मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बनाया बल्कि इन दोनों के बीच खेत और किसान का सा रिश्ता है। खेत में किसान सिर्फ़ तफ़री करने नहीं जाता बल्कि इस लिय जाता है कि इससे पैदावार हासिल करे।"

खेत और किसान के रिश्ते से तो आप में से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे किसान अपने खेत से बहुत मुहब्बत करता है उसकी देख भाल में कोई कसर नहीं छोड़ता मैं खुद एक किसान फैमिली से हूँ मैंने किसान और खेत के बीच के संबंध को करीब से देखा और जाना है दिन रात जी तोड़ मेहनत समय पर जुताई, बुआई में आला दर्जे के बीज का इस्तेमाल फिर निराई गुड़ाई, खाद और फिर सर्दी गर्मी के थपेड़ों को सहते हुए रात भर जाग कर सिंचाई करना कितनी फ़िक्र होती है किसान को अपने खेत की फिर जब खेत में फ़सल उग आती है तो

अपने लहलहाते खेत को देख कर प्रफुल्लित हो उठता है दिल को सुकुन हासिल होता है ठीक वही हाल मर्द का अपनी बीवी के पास जानें से होता है उसकी केयर उसकी हिफ़ाज़त करना एक मर्द का फ़र्ज़ बनता है।

औरत की भी उसी तरह देख भाल करनी चाहिए जैसे खेत की जाती है अगर खेत को यूँही छोड़ दिया जाय तो क्या होगा खेत बंजर हो जायेगा फिर लोग जैसे चाहेंगे उसे इस्तमाल करेंगे ठीक वैसे ही औरत भी है जब सही देख भाल न मिले तो बिल्कुल खेत की तरह बंजर हो जाती है फिर लोगों को पता हो कि इसका कोई रखवाला नहीं तो लोग बुरी नज़रें जमाए रहते हैं।

उपर बयान की गई आयत के नाजिल होने की वजह:

हज़रत जाबिर रज़ी ँबयान करते हैं कि, "यहूदी कहा करते थे कि अगर आदमी अपनी बीवी से इसके पीछे से फ़र्ज़ (कुबुल) मुबाशरत करे कि जब वो पेट के बल लेटी हुई हो, तो इससे औलाद बेंगा पैदा होती है।"

तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أُنَىٰ شَنْتُمْ

"तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। तुम्हें अधिकार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ।" [सुनन अबू दाऊद 2163]

जिस तरह अपने खेतियों में जाओ: अल्लाह तआला ने मर्दों को जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त दी है जिस तरह से जाओ का मतलब ये नहीं की अपनी मनमानियां करो शरीयत की हद पार करने की इजाज़त इस्लाम कतई नहीं देता, मर्द को औरत के जज़्बात का खयाल रखना चाहिए, ये न हो कि दरिंदगी पर उतर आए।

बीवी से हमबिस्तर होते वक्त पोजीसन कोई भी हो मगर जायज़ जगह से ही सेक्स की इजाज़त दी गई है यानि औरत के बच्चा पैदा होने की जगह।

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"मलऊन है वो शख्स जो अपनी बीवी के पिछले हिस्से में जिमा (मुबाशरत) करता है।" [अबू दाऊद 2162]

(v) मुस्तक़बिल की फ़िक्र

मुस्तक़बिल का फ़िक्र यानि आने वाली ज़िंदगी की भी और दीन और दुनियां दोनों खुबसूरत बनाने की जिददोजेहद करनी है सिर्फ़ ये नहीं की दुनियां में ही लगे रहें और मजे उड़ाते रहे बल्कि आखिरत की भी तैयारी करनी है अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होना चाहिए। और दुनियां में आने वाली नस्ल का भी इंतजाम करना है और ये बीवी से मिल कर ही हासिल हो सकती है।

(vi) अल्लाह की नाराज़गी से बचो

यानि अल्लाह चाहता है इंसान की ज़िंदगी पुसुकून हो अब ज़रा सोचें कि अगर किसी मर्द को ये पता हो की मुझे अपने बीवी के मामले में अल्लाह को जवाब देना है, फिर कौन मर्द होगा जो अपनी बीवी के साथ ज्यादाती करेगा।

इंसान को अपने बीवी के मामले में अल्लाह से डरते रहना चाहिए वरना अल्लाह नाराज़ होगा तो क्या कोई शख्स ऐसा करेगा की अपनी बीवी को तकलीफ़ दे। हरगिज़ नहीं जो तकवा और परहेजगारी से काम लेते हैं वो हर रिश्ते में अदल व इंसाफ़ कायम करते हैं।

(vii) कामयाबी और खुशक़िसमती की खुशख़बरी

मोमिनों के लिए खुशख़बरी दी गई है अगर वो हक़ अदा करे अल्लाह के कानून को बरकरार रखे तो उसे दुनियां और आखिरत में भी खुशख़बरी की बशारत दी गई है। शादी जिम्मेदारी निभाने का नाम है और बीवी भी इस तरह रहे की शौहर का हक़ अदा हो उसे खुश रखे। औरत को हुक्म है कि अपने शौहर को खुश रखे।

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"जो औरत उसका शौहर बुलाए और वो पीठ फेर कर सो जाए तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं।" [सही बुखारी 5193]

(viii) शौहर और बीवी के राज़ की बातें दूसरों में बयान करना

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"कयामत के दिन अल्लाह के पास सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो आदमी अपनी बीवी से जिमा करे और फिर तमाम लोगों में इसका इज़हार करे। और यही हुक्म औरत के लिए भी है।" [मिशकात शरीफ़: 3190]

इसलिए ऐसे बदतरीन ऐब से बचना चाहिए बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी की बातें अपने दोस्तों में, अपनी भाभियों से बताते हैं यह निहायत ही जाहिलाना और बेशर्मी की बात है।

12. दावत ऐ वलीमा

(i) वलीमे का मतलब

वलीमे का मतलब है 'शादी की खुशी का खाना' (बहू भोज) जो लड़के की तरफ से दिया जाता है।

(ii) वलीमा करना जरूरी है

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ि. के निकाह की खबर सुन कर नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم फरमाया,

"वलीमा करो चाहे एक बकरी का ही करो।" [सहीह बुखारी 2048, 5155; सहीह मुस्लिम 3490]

वजाहत: उपर्युक्त हदीस से मालूम हुआ कि निकाह के बाद वलीमा करना बहुत जरूरी है। उलेमा ने इसे वाजिब करार दिया है।

- इस्लाम में दुल्हन पक्ष की तरफ से कोई खाना साबित नहीं है मगर दूल्हे पक्ष की ओर से वलीमा यानी बहू भोज आयोजित की जानी चाहिए।
- हदीस वलीमे की काफ़ी अहमियत दी गई है इस लिए हर वो शख्स जो निकाह करे, अपने सामर्थ के हिसाब से वलीमा ज़रूर करे।
- शरीयत ए इस्लामिया में वलीमा एक खुशी के इज़हार का जरिया है साथ ही ये एक ऐसा अवसर है जब घर खानदान के लोग साथ आते हैं।
- अब आज के हालात पर नज़र डालें तो पता चलता है कि लोग शादी की सारी रस्में तो बहुत धूम धाम से करते हैं जो ग़ैर जरूरी है जिसकी कोई मिसाल नबी और सहाबा के हवाले से नहीं मिलता, लेकिन वलीमे जैसे सुन्नत को तर्क कर देते हैं।

(iii) सामर्थ्य के मुताबिक वलीमा करें

हमारे समाज में लोग दौलत और शोहरत की होड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने वलीमे में हद से ज्यादा फिज़ूलखर्ची करते हैं और अपनी इस्तेताअत(क्षमता) से बढ़कर वलीमा करते हैं और नतीज़ा ये होता है कि कर्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं। हमें नबी صلی اللہ علیہ وسلم की पाक जिंदगी से इस तरह की तालीमात नहीं मिलती है। आइए कुछ अहादीस पर नज़र डालें:

1. नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने अपनी किसी बीवी से निकाह पर इतना बड़ा वलीमा नहीं किया, जितना जैनब रज़ि. से निकाह पर किया। इस निकाह में आप صلی اللہ علیہ وسلم ने एक बकरी जिब्ह की और वलीमा किया। [सहीह बुखारी 5168, 5171; मुस्लिम 3503; अबू दाऊद 3743; इब्ने माजा 1908; मिश्कात 3211]

2. नबी ﷺ ने हजरत सफिया रज़ि. से निकाह के वक़्त खजूर और सत्तू के साथ वलीमा किया। (और ये खजूर और सत्तू भी सहाबा रज़ि अपने साथ लेकर आये थे। [सुनन नसाई 3382; तिर्मिज़ी 1095; अबू दाऊद 3744, इब्ने माज़ा 1909; मिश्कात उल मसाबीह 3220]

3. जब नबी ﷺ ने हजरत सफिया रज़ि से निकाह किया तो इसमें न गोश्त था न रोटी थी। आप ﷺ ने (चमड़े का) दस्तरखान बिछाने का हुक्म दिया और उस पर खजूर, पनीर और घी रख दिया गया। और यही नबी ﷺ का वलीमा था। [बुखारी 5159; मिश्कात उल मसाबीह 3214]

4. नबी ﷺ ने अपनी एक बीवी का वलीमा दो मुद (लगभग पौने दो सेर) जौ के साथ किया। [बुखारी 5172; मिश्कात उल मसाबीह 3215]

उपर्युक्त अहादीस से हम ने जाना कि वलीमे में बड़ी दावत करना या गोश्त ही बनाना जरूरी नहीं बल्कि वलीमे में कोई भी खाना हो दावत दी जा सकती है, फिर चाहे वो खजूर और जौ ही क्यों न हो।

इस्लाम की वाजेह तालीमात इसी तरफ इशारा करती हैं कि आदमी अपनी माली हैसियत (financial position) के लिहाज से वलीमा करे, ऐसा नहीं कि हर आदमी अपने से अमीर आदमी के वलीमे की होड़ में लग कर और सिर्फ झूठी शान और समाजी दबाव के खातिर कर्ज़ और फिजूलखर्ची जैसी बीमारियों में फंस जाये।

(iv) वलीमा की दावत कुबूल करना

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :

"जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाये तो यह उसमें जरूर शरीक हो।" [बुखारी 5173, 5179; मुस्लिम 3509 से 3517; अबू दाऊद 3736; इब्ने माज़ा 1914]

हदीस में रिवायत है कि:

"वलीमा का वह खाना सब से बुरा है जिसमें मालदारों को तो दावत दी जाए लेकिन गरीबों को न बुलाया जाए और जिस ने दावत कुबूल नहीं की तो यकीनन उसने अल्लाह और उस के रसूल ﷺ की नाफरमानी की।" [बुखारी 5177; मुस्लिम 3521 से 3525; अबू दाऊद 3742; इब्ने माज़ा 1913, 2110; मिश्कात 3218]

हजरत अबू हुरैरह रज़ि बयान करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

"अगर मुझे बकरी के खुर की दावत दी जाये तो मैं उसे भी कबूल करूंगा और अगर मुझे वो खुर हदिये (तोहफे) में दिए जाये तो भी उसे कबूल करूंगा।" [सहीह बुखारी 5178, 2568]

हजरत अबू हुरैरह रज़ि से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

"जब तुममें से किसी को खाने की दावत दी जाए तो वह उसे जरूर कबूल करे फिर अगर चाहे तो (खाना) खा ले और चाहे तो छोड़ दे।" [मुस्लिम - 3518; अबू दाऊद 3749; मिश्कात उल मसाबीह 3217]

"अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि रोजे की हालत में भी वलीमे में शरीक होते थे।" [सहीह बुखारी 5179]

वजाहत: ऊपर बयान की गई अहादीस से मालूम हुआ कि,

- अगर कोई वलीमे की दावत दे, तो उसे कुबूल करें और सामिल भी जरूर हो।
- अब हमारे समाज में देखे तो हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं और बाज़ दफा आपसी मनमुटाव और जलन इस हद तक बढ़ जाती है कि खुशी की दावत तो दूर जनाज़े में भी शरीक नहीं होते।
- याद रखें शरीयत इस्लामिया इस बात की तालिमात कभी नहीं देती की आप अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज़ रहें।
- बाज़ लोग पसन्द का खाना न होने की वजह से दावत में नहीं जाते, ऐसे लोगो को ऊपर की हदीस पर गौर करना चाहिए, जिसमें नबी صلی الله علیه وسلم ने बकरी के खुरों की दावत को भी कबूल करने का जिक्र फरमाया है।
- हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ ये भी है कि हम वलीमे की दावत में गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों और जानकरों को भी बुलायें, जिससे ये दावत सिर्फ़ अमीरों की चहल पहल की गवाह बन कर न रह जाये। इसी की ताकीद ऊपर की हदीस में हजरत अबू हुरैरह रज़ि ने की है और ऐसे वलीमे को बहुत बुरा बताया है जिसमें केवल अमीर लोगो को दावत दी जाए।

(vi) किन दावतों में न जायें

नबी करीम صلی الله علیه وسلم ने फ़रमाया,

"पहले दिन (वलीमे) का खाना हक़ है दूसरे रोज़ दावत करना सुन्नत है जब की तीसरे रोज़ दावत करना शोहरत व रियाकारी है और जो कोई दिखावा करता है तो अल्लाह कयामत के दिन उसे रुसवा कर देगा।" [मिशकात उल मसाबीह 3224]

हजरत अबू हुरैरह रज़ि रिवायत करते हैं कि नबी صلی الله علیه وسلم ने फरमाया:

"दो बाहम फख्र करने वालो की दावत कबूल न की जाये और न उन दोनों का खाना खाया जाये।" (यानी ऐसे लोग जो अपनी बड़ाई और दिखावे के लिए दावत करते हैं।) [मिशकात उल मसाबीह 3226]

"नबी صلی الله علیه وسلم ने बाहम फख्र करने वालो का खाना खाने से मना फरमाया है।" [मिशकात उल मसाबीह 3225; अबू दाऊद 3754]

हजरत जाबिर रज़ि का बयान है कि नबी صلی الله علیه وسلم ने फरमाया:

"जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो ऐसे दस्तरख्वान पर न बैठे जिस पर शराब पेश की जाती हो।" [सुन्नन तिर्मिज़ी 2801]

वजाहत: इन अहादीस से पता चलाता है कि,

- ऐसे लोगो की दावत में नहीं जाना चाहिये जिनके बारे में हमें ये जानकारी हो कि उस शख्स ने ये दावत दिखावे और अपना नाम ऊंचा करने के लिए की है क्योंकि ऐसी दावत का मक़सद अल्लाह रब्बुल इज़ज़त को राजी करना नहीं है बल्कि रियाकारी (दिखावा) करना है।
- हमें ऐसी दावतों में भी नहीं जाना चाहिए जिनमें शराब या ऐसी ही दूसरी हराम चीज़ें पेश की जाती हैं।

-
- इसी तरह ऐसी दावत (वलीमे) जिनमें नाच गाने की महफिलें लगी हो डीजे और बेहयाई वाले गाने बजाए जा रहे हो, और गैर मेहरम की भीड़ हो ऐसी दावतों में भी जाने से एक मोमिन को बचना चाहिये।

13. निकाह: नये जोड़े को दुआ और तोहफा देना

(i) नये जोड़े को दुआ देना

हजरत अबू हुरैरह रज़ि कहते हैं कि जब नबी صلی اللہ علیہ وسلم किसी शख्स को शादी की मुबारकबाद देते तो आप कहते,

"بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ"

"अल्लाह तआला तुम्हें बरकत दे और इस बरकत को कायम रखे और तुम दोनों (मियाँ-बीवी) को खैर और भलाई में इकठ्ठा कर दे।" [अबू दाऊद- 2130]

जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि ने अपने निकाह की खबर नबी صلی اللہ علیہ وسلم को दी तो आपने फरमाया:

"بَارَكَ اللَّهُ لَكَ"

"अल्लाह तआला तुम्हें (इस निकाह में) बरकत दे।" [सहीह बुखारी 5155, 6386; सहीह मुस्लिम 3490]

नोट: अब यहां बयान की गई हदीस से पता चलता है कि निकाह के बाद नए जोड़े को बरकत की दुआ सुन्नत ए नबी है।

दौर ए जहलियत का जमाना ऐसा था की लोग अंधेरे में भटक रहे थे लोग जब नए जोड़े को दुआ देते तो कहते, "तुम दोनों में मेल मिलाप हो, और बेटे पैदा हों" इसकी वजह ये थी कि न केवल अरब में बल्कि दुनियां के तमाम मुल्कों में लोग बेटियों को बोझ समझते थे उन से नफ़रत करते थे। ऐसे माहौल में नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم बेटियों को जीने का हक़ दिलाया और नए जोड़े को दुआ देने के अल्फाज़ सिखाए जिसमें दीन और दुनियां दोनों में खैर और भलाई हासिल करने की दुआ दी जाती है।

दूसरी हदीस पर गौर करें कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि ने जब निकाह कर लिया उसके बाद नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने उन्हें बरकत की दुआ दी।

नसीहत: हमारे लिए यहां ये नसीहत है कि अगर हम में से किसी का दोस्त या रिश्तेदार अगर किसी वजह से हमें निकाह में न बुला पाये तो हमें उसकी भलाई के लिये दुआ करनी चाहिए न कि उस से नाराज़ हो जाय लान तान करना शुरू कर दें।

(iii) नये जोड़े को तोहफे देना

अनस रज़ि फरमाते हैं कि,

“जब नबी ए रहमत صلی اللہ علیہ وسلم का निकाह सैय्यदा जैनब रज़ि से हुआ तो अनस रज़ि की माँ उम्मे सुलैम रज़ि ने पनीर, खजूर और घी से बना ‘हैस’ (हलवा) आप صلی اللہ علیہ وسلم के पास तोहफे के तौर पर भेजा। [सहीह बुखारी - 5163; तिर्मिज़ी - 3218]

अम्मी आयशा रज़ि फरमाती हैं कि,

"रसूलल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم तोहफे कबूल करते थे और बदले में तोहफे भी देते थे।" [सहीह बुखारी - 2585]

वजाहत: उपर्युक्त अहादिस से पता चला कि नये जोड़े को तोहफे देना नबी صلی اللہ علیہ وسلم के दौर से साबित है और ये बहुत अच्छा अमल है। इससे दिलों में मुहब्बत बढ़ती है और रिश्ते और मजबूत होते हैं।

नोट: जैसा कि आज कल हमारे समाज में निकाह के नाम पर नई नई रस्में पांव पसार रही हैं जिसकी दीन इस्लाम में कोई जगह नहीं। लोग रियाकारी और शोहरत हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं वलीमे और तोहफे के नाम पर लोग फिज़ूलखर्ची कर रहे हैं ऐसे खुराफाती अमल से बचना चाहिए जो रस्म बन जाय।

14. बीवी के हुक्क शौहर पर

(i) अखलाक

रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया:

"और तुम में से सबसे बेहतर वो हैं जो अखलाक में अपनी बीवियों के हक में सबसे बेहतर हो!" [जामे तिर्मिजी 1162]

जहां अल्लाह तआला ने मर्द को एक दर्जा फजीलत देकर उसे औरत का मुहाफिज बनाया वहीं दूसरी ओर औरत को मुकम्मल तौर पर मर्द के लिए सुकून और दुनिया में सृष्टि का जरिया, ताकि दुनिया में नस्ल दर नस्ल खानदान का निज़ाम आगे बढ़ता रहे। फिर वो औरत ही तो है जो 9 महीने शदीद दर्द और तकलीफ सह कर एक नए वजूद को जन्म देती है, फिर भी मर्द ने उसके लिये नजरिया कुछ इस तरह इख्तियार किया कि जब भी औरत के ताल्लुक से तब्सिरा किया तो उसे बेवफा लिखा, बदचलन लिखा, नागिन लिखा, मतलबी और लालची लिखा और इस से भी आगे कमअकल लिखा।

और जब कभी भी तारीफ की तो उसके जिस्मानी खूबसूरती के हवाले से मसलन उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से की, औरत की रूहानी शख्सीयत को हमेशा नजर अंदाज किया। फिर शायद वो ये भूल गया कि ये खूबसूरत दुनियां अच्छे मर्दों से नहीं बल्कि अच्छी औरतों से चलती है।

हर औरत बेवफा नहीं होती, वो अपने पकीजा किरदार के साथ जिंदगी बसर करना चाहती है उसकी जिंदगी का हर लम्हा दूसरो को खुश करने में गुजरता है हां कुछ चंद औरतें मजबूरी में बेवफाई का दामन थाम लेती हैं लेकिन उनका मामला अल्लाह के हवाले है हम कौन होते हैं तनकीद करने वाले।

अल्लाह तआला ने उसे हर तरह से खूबसूरत बनाया बेटों के रूप में रहमत, बीवी के रूप में सुकून, राहत और सबसे बढ़ कर एक अच्छी दोस्त, फिर औलाद के लिये उसके कदमों में जन्नत रख दी। इस लिये गुजारिश है की औरत की इज्जत करें।

आइए इस हवाले से कुरान और हदीस पर गौर करें:

आखिरी पैगम्बर मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने अपने अलविदा खुत्बा (बिदाई सम्बोधन) में फरमाया:

"अपनी औरतों पर तुम्हारा अधिकार है, और उनका तुम पर अधिकार है।" [सीरत इब्ने हिशाम, पेज. 604]

नोट: शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के फर्ज पूरा करना लाज़मी है अन्यथा बिगाड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान-ए-करीम में फरमाता है:

"वह तुम्हारा लिबास है और तुम उसके लिबास हो।" [कुरान 2: 187]

(iii) लिबास (वस्त्र) का हमारी जिंदगी में क्या एहमियत है?

इससे आप और हम बखूबी परिचित हैं किस तरह से यह हमारे जिस्म की सुरक्षा करता है और हमारी जीनत में चार चांद लगाता है ये लिबास ही तो है जो हमारे जिस्म का राजदार होता है। शौहर की मिशाल भी ऐसी ही है जो अपने मुहाफिज होने के फर्ज को बखूबी निभाया करे, बीबी के ऐब की पर्दा पोसी करे और ये बात बीबी पर भी लागू होती है, उन्हें एक दूसरे को समझने और जिंदगी की मुश्किलों में मददगार होना चाहिए।

फरमाने इलाही:

"और बिवियो के साथ अच्छी तरह रहो सहो।" [कुरान 4:19]

"औरतो का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक (मर्दों का हक) औरतो पर है, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा फजीलत हासिल है।" [कुरान 2:228]

हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया:

"औरतों के बारे में मेरी वसीयत का हमेशा खयाल रखना क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है पसली में भी सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा होता है अगर कोई शख्स इसे बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करे तो अंजाम कार तोड़ कर रहेगा और इसे वह यूँही छोड़ देगा तो फिर हमेशा टेढ़ी ही रह जायेगी बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो औरतों से अच्छा सुलूक (behaviour) करो।" [सही बुखारी 3331]

"कोई मोमिन मर्द, मोमिना औरत, यानि अपनी बीबी से बुगज (नफ़रत) न रखे, क्योंकि अगर हमें कोई आदत नापसंद है तो कोई दुसरी पसंद भी होगी।" [सही मुस्लिम 3645]

अल्लाह का फरमान है,

"मर्द औरतों पर क़व्वाम [मामलों के ज़िम्मेदार] हैं, इस बुनियाद पर अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है। और इस बुनियाद पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। इसलिये जो नेक और भली औरतें हैं वो फ़रमाँबरदार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफ़ाज़त और निगरानी में उनके हक़ों की हिफ़ाज़त करती हैं।" [कुरान 4:34]

और दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी बिवियो का खर्चा (खुराक और पोशाक) तुम्हारे यानी मर्द के ज़िम्मे है।

नोट: औरत के नान वा नक्फा (खर्च) की ज़िम्मेदारी मर्द पर रखी गई है इसलिये शौहर को चाहिए कि अपनी बीबी को किसी दूसरे का मोहताज न होने दे, दीन से दूरी का आलम यह है कि हम ने बीबी और शौहर पर एक दूसरे का क्या हक है सही मायने में कभी जाना ही नहीं, और ना ही कोशिश की।

बचपन से ही दादी अम्मा और आस पास की औरतों से यही सुनती आई हूँ कि औरत मर्द के पैर की जूती होती है अब मर्द की मर्जी है चाहे जैसा सलूक करे। जब की कुरान ने एक दूसरे को हम जींस कह कर फजीलत बक्शी है।

वल्लाहू आलम

मुआशरे में अक्सर मर्दों के दिल में जंग लगे हुए हैं बाज मर्द अपनी बीबी की ज़िम्मेदारी नहीं उठाते नतीज़ा उसे दूसरे का मोहताज होना पड़ता है हमारे मुआसरे के अक्सर घरों में ये मामला पाया जाता है, और मजबूर होकर बीबी अपने वालदेन के सामने हांथ फैलाती है, कभी अपनी सिस्टर्स से, कभी भाई से सावल करती है, कभी अपने फ्रेंड से

कर्ज लेती है। इसी कड़ी में मजबूर होकर अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वो जॉब करती है। फितनों के इस दौर में क्या ये सही है?

(iii) और हम खुद को कितना बचा सकते हैं?

फिर तो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो कर ही रहेगा क्योंकि वो हर पल अपनी चालें चल रहा है, और औरत अगर दीन से दूर है जैसा कि आज है भी, तो अल्लाह बचाए। कहते हैं औरत फिरती तौर पर तारीफ और मुहब्बत की भूखी होती है जब गैर मर्द उसकी झूठी तारीफ करता है तो वह उसके झूठे जाल में फसती चली जाती है इब्लीश इसका मजीद फायदा उठा कर मिया बीवी में जुदाई पैदा करता है। अगर औरत मर्द की झूठी तारीफ को नज़र अंदाज़ कर दे तो बहुत से फितनों से बच सकती है। इसके लिए औरत का दीनदार होना ज़रूरी है जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखती हो फिर वहां शैतान की चाल नाकाम होती है।

शौहर का इस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया भी दीन से ला इल्मी ही है हर मुसलमान मर्द को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी बीवी को किसी भी हाल में दूसरे का मोहताज नहीं होने देना चाहिए।

एक हदीस में आता है :

अबू हुरैरा रज़ी° रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:-

"अगर एक दिनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, एक दिनार गुलाम आजाद करने के लिए खर्च करो, एक दिनार मिस्कीन को सद्का दो और एक दिनार अहल वो अयाल (फैमिली) पर खर्च करो तो अफजलियत के एतबार से सबसे अफजल दिनार अहल वो अयाल (फैमिली) पर खर्च किया गया होगा।"[सही मुस्लिम : 2311]

रसूल अल्लाह सल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:-

"बेशक तुम्हें हर उस चीज का अजर मिलेगा जो तुम अल्लाह के लिए खर्च करो, यहां तक के उस पर भी जो निवाला तुम अपनी बीवी के मुँह में डालो।"[सही बुखारी : 56]

अबू हुरैरा रज़ी° रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:-

"सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हों।"[तिर्मिज़ी : 1162]

(iv) बीवी को किसी ओर का मोहताज ना बनाएं

अब ये मर्द पर है कि वो अपनी बीवी को किसी ओर का मोहताज ना बनाएं।

अर्ज किया गया ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ हमारी बीवी का हम पर क्या हक है?

पैगम्बर मुहम्मद ﷺ ने फरमाया:

"जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ या कमाओ तो उसे भी पहनाओ। उसके चेहरे पर ना मारो और ना उसे बुरा भला कहो। और उससे (नाराज़गी के तौर पर जुदाई) करो भी तो घर के अंदर ही करो।" [अबू दाऊद 2142]

नोट: उपर्युक्त अहदास से पता चला कि,

- अगर कोई मिया बीवी में मसला हो जाए या नोक छोंक तो नाराज़गी घर के अंदर ही हो और मर्द उसे घर से न निकाले।
- और बीवी को भी नर्मी से काम लेते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
- छोटी छोटी बातों पर घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए।
- अल्लाह की बताई हदों का ख्याल रखना दोनों का फर्ज है।

फरमाने बारी तआला है:

"अगर किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हरज नहीं कि शौहर और बीवी [कुछ हकों की कमी-बेशी पर] आपस में समझौता कर लें। समझौता हर हाल में अच्छा है। मन [नफ़स] तंगदिली की तरफ़ जल्द ही झुक जाते हैं। अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा से डरो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस रवैये से बे खबर न होगा।" [कुरान 4:128]

"बीवियों के बीच पूरा-पूरा इंसाफ़ करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो तुम्हें इसकी कुदरत नहीं है। तो [अल्लाह के क़ानून को पूरा करने के लिये ये काफ़ी है कि] एक बीवी की तरफ़ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना रवैया ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।" [कुरान 4:129]

अम्मी आयशा (रज़ी०) बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह ﷺ (अपनी अजवाज़ मोहतरमात के माबैन) तकसीम करते और अदल करते और फरमाते: "ऐ अल्लाह! यह मेरी तकसीम है जो मेरे बस में है और इस बात में मुझे मलामत न फरमाना जिसका तू मालिक है और मेरा उस पर अख़्तियार नहीं।"

इमाम दाऊद रह० ने कहा: इस से मुराद (दिल का मिलान) है। [अबू दाऊद 2134]

15. शौहर (हस्बैंड) के हुक्क बीवी पर

(i) नेक और बेहतररीन बीवी

निकाह एक नेमत है और शौहर और बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं एक के बगैर दूसरा अधूरा है। एक अच्छी जिन्दगी गुजारने के लिए, दीन और दुनियां दोनों बेहतर हो इसके लिए सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं की निकाह कर लिया जाय बल्कि एक अच्छी जिन्दगी और अखिरत की बेहतरी के लिए नेक शौहर और बीवी का मिलना बेहद खूबसूरत ऐहसास है। अगर दोनों में से किसी एक में भी थोड़ी भी खराबी आई फिर दुनियां में अजीयतों का सबब और अखिरत भी बर्बादी तय है। इस आर्टिकल में हम नेक बीवी की सिफात को कुरान वा हदीस की रोशनी में समझेंगे।

हदीस में आता है कि,

"औरत अपने शौहर के घर वालों और उसके बच्चों की निगहबान है और उससे उनके बारे में (रोज़े महशर) सवाल होगा!" [सहीह बुखारी 7138]

निकाह के बाद एक लड़की की नई जिन्दगी की शुरुआत होती है नई नवेली दुल्हन, नए लोग, नई दहलीज का नया माहौल अजीब सी कैफियत तारी होती है दिल और दिमाग में तूफान उमड़ रहा होता है। एक तरफ़ अपने हमसफर में अपने ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल करने की आरजू तो दूसरी तरफ़ डर, खौफ और झिझक।

बाबुल का घर छोड़ते ही अपने शौहर के घर को अपना बनाने की धुन सवार होना, हर दर्द तकलीफ़ को पलकों की नमी में छिपा लेना। अपनी पैदाइश के बाद होश संभालने से लेकर ससुराल जानें तक यही सुनने को मिलता है। ढंग से रहो पराए घर जाना है, छोटी सी गलती पर भी लंबी चौड़ी नसीहत का सामना करना पड़ता है, सीखो कुछ पराया धन हो, "कब ढंग आयेगा इसे पराए घर जाना है।"

दूसरी तरफ जिस घर में अपने तमाम रिश्ते नाते सखियां-सहेलियां छोड़ कर आई, रोज़ एक ना एक चीज़ के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, "पराए घर से आई है, इसे कैसे पता होगा?"

डर और झिझक इतनी समेटे कि छोटी से छोटी चीज़ों को हाथ लगाने से डर जाती है कहीं कोई घुड़क न बैठे, "अपने बाप के घर से लाई है", कहीं कुछ बिगड़ जाए तो कहते हैं, "तेरी मां ने कुछ सिखाया नहीं क्या?"

जहां 20 साल तक बड़े नाज़ और दुलार से पली और जहां सब कुछ छोड़ कर आई उसे बार बार पराएपन का ऐहसास दिलाना, किसी चीज़ को तोड़ कर बिखेर देने जैसा है। फिर उसका असली घर कौन सा है वो जहां उसने अपना बचपन से जवानी गुजारी या फिर वो जिसके लिए सारा कुछ बलिदान किया?

नए घर में कदम रखते ही फिर नई नसीहतें।

एक 20-22 साल की लड़की से 40 साल के एक्सपीरियंस की उम्मीद करना हर घर की कहानी है। एक तरफ शौहर के घर वालों की फरमायिशों को पूरा करना दूसरी तरफ़ शौहर की खिदमत करना ये ऐसा ही है जैसे लोहे के चने चबाना। दौड़ भाग भरी जिन्दगी सारी एनर्जी तो खुशामद में बर्बाद हो जाती है, बरें सगीर इंडिया, पाकिस्तान और बंगलादेश में एक बहु से ऐसे काम लिया जाता है जैसे वो बहु नहीं नौकरानी है।

ऐसे में एक सवाल तो हर औरत के मन में उठता है क्या इस्लाम में शौहर के वालदेन और घर के बाकी मेंबर की खिदमत की जिम्मेदारी बहु के जिम्मे है?

कुरान में कहीं भी एक औरत के लिए शौहर के मां-बाप की खिदमत की बात नहीं आई है, हां मां बाप के खिदमत के हवाले से बार बार ताकीद की गई है।

आइए इसे हदीस की रोशनी में समझते हैं जैसा कि सहीह बुखारी की हदीस है:

एक सहाबी रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह! मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है?

फ़रमाया कि तुम्हारी माँ है।

पूछा उसके बाद कौन है?

फ़रमाया कि तुम्हारी माँ है।

उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन?

नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया कि तुम्हारी माँ है।

उन्होंने पूछा उसके बाद कौन है?

नबी करीम (ﷺ) ने फ़रमाया कि फिर तुम्हारा बाप है।

[सहीह बुखारी 5971]

इस हदीस से पता चला कि वालदेन की खिदमत और जिम्मेदारी औलाद के जिम्मे हैं न की बहु के जिम्मे और सास-ससुर का बीवी पर हक़ के हवाले से उलेमा हज़रात दो राय रखते हैं जिसमें से एक मुकम्मल और बेहतर है जिसको ज़्यादातर उलेमा कुबूल करते हैं,

1. पहला ये कि बीवी सास ससुर की उतनी खिदमत करे जितना कि मुआशारे में ज़रूरी हो। शौहर के वालदेन की खिदमत उतनी करे कि जितना अदब के लिहाज़ से लाज़िम हो। अगर कोई औरत अपने शौहर के वालदेन की खिदमत करती है तो ये उसकी अच्छी परवरिश और दीनदारी की अलामत है और अगर न करे तो शौहर रौब न जताए, बुरा भला न बोले, उस पर ज़बरजस्ती अपने वालदेन की जिम्मेदारी न थोपे जैसा की मुआशारे में देखने को मिलता है मर्द हज़रात अपने पूरे घर की जिम्मेदारी बीवी पर थोप देते हैं यहां तक कि ननद और उनके बच्चों की भी। अब बेचारी बीवी शौहर को खुश करने की गरज़ से दिन भर पिसती रहती है।

2. दूसरी बात कि इस्लाम में बीवी का सास ससुर की खिदमत करना बीवी का हक़ नहीं है। जो की ज़्यादा दुरुस्त है। हां, अगर किसी के सास ससुर आदत और अखलाक में अच्छे हों फिर औरत सवाब की नियत से उनकी खिदमत करे ये बेहतर है और सवाब का काम भी है। सास कभी मां होने की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती इसलिए सास को सास ही रहने दें। उसे अपनी मां बनाने की कोशिश न करें, उसकी खिदमत इस लिय करें कि वो आप के शौहर की जन्नत है।

इसी तरह सास को चाहिए कि वो बहू को बेटी बनाने की कोशिश न करे क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हां, उसका ख्याल इस तरह रखें कि उसे कभी परायापन का एहसास ना हो, उसे इसलिए खुश रखें कि वो आप के बेटे के दिल का सुकून और आप के खानदान के वजूद को आगे बढ़ाने का ज़रिया है।

अल्लाह बेहतर अजर देने वाला है इस्लाम जानवरों, चरिंदे, परिंदों से रहम दिली और मुहब्बत को पसंद करता है फिर सास ससुर आप के शौहर के मां बाप हैं, कलमे के शरीक हैं, और अक्सर देखा जाता है कि बीवी की खुश अखलाकी और अपने वालदेन की खिदमत करते देख शौहर खुश होता है इसलिए समझदारी और नमी का मुज़ाहिरा करें। अल्लाह रोज़ ए महशर इसका बेहतरीन अजर अता करेगा। अल्लाह तआला को ना जाने कब कौनसा आपका अमल या नेकी पसन्द आ जाए और अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर दे!

सहाबियात की मिसाल हमारे सामने है बिना किसी गरज़ के अपने सास ससुर के कपड़े धोती, उनको खिलाती पिलाती, ना उन्होंने कभी इसके जानिब सवाल किये ना ही बुरा जाना बस वो अपने सास ससुर की खिदमत ऐसे ही करती जैसे कोई अपने सगे माँ बाप की किया करती। मगर अफ़सोस

आज के हालात जो भी हैं ये सिर्फ़ दीन से दूरी का सबब है। औरतों का अपने शौहर को अलग लेकर रहना, बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़ देना कोई फ़रब्र और बहादुरी की बात नहीं, बल्कि दीन से आशनाई ना होना है।

अल्लाह ऐसी औरतों को हिदायत अता करे और सास ससुर को भी थोड़ा रहमदिली अता करे ताकि एक नन्हीं सी जान जो अपना सब कुछ कुर्बान कर शौहर के घर आई है वो सुकून महसूस कर सके।

(iii) नेक बीवी की सिफ़त

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया :

"कुवारियों से निकाह करो जो शीरी जुबान, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली और थोड़ी चीज़ों में खुश राज़ी रहने वाली होती है।" [इब्न माजा 1861]

1. शीरी जुबान:

नेक बीवी की सिफ़त बयान करते हुए हदीस में बताया गया है कि मीठी जुबान में बात करने वाली, मुहब्बत से मीठे अल्फाज़ से शौहर को खुश करने और दिल बहलाने वाली होती है।

जब शौहर दिन भर मेहनत मजदूरी कर के थक हार कर घर आए तो बीवी उसे मुस्कुरा कर मीठे अल्फाज़ से उसका इस्तेक़बाल करे। चाय, पानी पेश करे न की शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ जाय। जैसा की आज के मुआशरे में देखा जाता है औरतें छोटी छोटी बातों को लेकर शौहर के आते ही शुरू हो जाती हैं। दो चार बातों को सौ तरह से परोस रही होती हैं फिर नतीज़ा ये होता है कि घर का माहौल खराब हो जाता है, रोज़ रोज़ कलह शुरू और फिर बात तलाक़ तक पहुँच जाती है। अल्लाह ने मर्द को क़व्वाम बनाया है कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है। मर्द घर नहीं बनाता मर्द छत मुहैया कराता है मगर घर औरत बनाती है आज जरूरत है औरत को सब्र से काम लेने की अल्लाह का तकवा इख़्तियार करने की।

2. ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली:

नेक और बेहतरीन बीवी वो है जो ज्यादा बच्चे पैदा करे उनकी बेहतर तरीके से परवरिश करे।

3. थोड़ी चीज़ों पर राज़ी रहने वाली:

नेक बीवी सब्र करने वाली और थोड़ी चीज़ों में खुश रहने वाली होती है शौहर जो लाकर दे दे खुश हो जाती है।
रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से पूछा गया कौन सी औरत बेहतर है?

आप صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया:

"वो जो अपने शौहर को खुश कर दे जब वो उसे देखे और जब उसे हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे और अपने माल और जान में शौहर की मर्जी के खिलाफ़ ऐसा काम न करे जो उसे नापसन्द हो।" [मिशकात 3272]

(iii) नेक और बेहतरीन शौहर की सिफ़त

इस्लामी शरीअत में एक औरत का हक सिर्फ़ नान नफ़्का (रोटी, कपड़ा, मकान) तक ही सीमित है बल्कि यह उसका हक़ है कि उसका शौहर उसके साथ प्यार व मोहब्बत का इज़हार करे, उससे मीठी गुफ़्तगू करे, जिस्म और माल के साथ-साथ उसकी नफ़्सयाती ज़रूरतों का भी ख़याल करे, उसके जज़्बातों की कद्र करे।

शरीअत-ए-इस्लामीया ने मर्द पर वाजिब करार दिया है कि वो औरत की माली व जिन्सी ज़रूरत के साथ-साथ उसकी नफ़्सयाती, रूहानी ज़रूरतों का भी ख़याल करे, उससे अच्छे से बात करे, लगावट (आशिकाना) मुज़ाहिरा करे, मोहब्बत का इज़हार करे।

जैसा कि अल्लाह पाक ने फ़रमाया:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"और यह भी उस की निशानियों में से है कि उस ने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उस के पास शान्ति प्राप्त करो। और उस ने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की। और निश्चय ही इसमें बहुत-सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।" [कुरआन 30: 21]

नोट: उपर्युक्त आयत से वाजेह होता है कि शादीशुदा ज़िन्दगी का एक मक़सद जहाँ इज़ज़त व शहवत की हिफ़ाज़त और नस्ल-ए-इन्सानी को बचाती है, वहीं इसका मक़सद मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत व उल्फ़त और नफ़्सयाती ज़रूरतों को पूरा करना भी है।

इसीलिए अल्लाह तआला ने कुरआन में मर्दों को खास ज़ोर दिया है कि,

“अपनी बीवीयों के साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ारो।” [कुरआन 4: 19]

आज उम्मत के मर्द और औरत दोनों को सब्र करने, अल्लाह का खौफ़ रखते हुए एक दुसरे के हुक्क अदा करने और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस पर अमल करने की बेहद जरूरत है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम मुसलमानों को हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए।

16. चार (4) निकाह की इजाज़त

(i) मर्द को चार निकाह की इजाज़त क्यों?

बहुविवाह (Polygamy) जिसमें मर्द या औरत के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी हो सकते हैं। इण्डिया में रिवायती तौर पर बहुविवाह के तहत मुख्यतः एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति व्यापक रूप से प्रचलित थी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।

अगर मानव जीव विज्ञान की माने तो लड़के और लड़कियां दोनों समान अनुपात में जन्म लेते हैं। मगर ऐतिहासिक रूप से संसार के अधिकांश देशों में मर्दों की तुलना में औरतों की संख्या अधिक है इसके कई कारण हैं-

1. बाल शिशुओं की तुलना में बालिका शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है।
2. अधिकांश समाज में मर्दों की तुलना में औरतें लंबी उम्र तक जीवित रहती हैं।
3. संसार में कई कारणों से औरतों की अपेक्षा मर्दों की मौत अधिक होती है।

अगर इंडिया को अपवाद स्वरूप (बालिका भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि के कारण) छोड़ दिया जाय तो आज भी संसार के अधिकांश मुल्कों में मर्दों की तुलना में औरतें ज्यादा हैं। मोटे तौर पर ये अनुपात 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं।

(ii) इस्लामी कानून एक मर्द को चार शादी करने की इजाज़त देता है।

दुनियां की तमाम मखलूक़ात के अंदर अलग अलग सिफ़त (विशेषता) देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे नवाजा है, जब से दुनियां वजूद में आई हर छोटी बड़ी चीज़ की अलग सिफ़त पाई जाती है। जैसे एक सुई और तलवार की मिशाल ले लें, जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम नहीं कर सकती और जो काम तलवार कर सकती है वो सुई से नहीं हो सकती। ऐसे ही इंसानों में मर्द औरत की भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं यूं तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे

जिस्मानी तौर पर देखें तो औरत दर्द बर्दास्त करने की अलग ही क्षमता रखती है। मसलन महीने के मुश्किल दिनों यानी हर महीने माहवारी की तकलीफों को बर्दास्त करना (जो कि एक मिनी हार्ट अटैक जितना दर्द होता है) फिर एक मां बनने के नौ महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में रख कर दर्द को सहन करना। अगर किसी को कह दिया जाय की दो किलो का वजन लेकर 24 घंटे खड़े रहे तो शायद ही कोई होगा जो तैयार हो।

डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की मानें तो एक बच्चे को जन्म देते समय एक मां को बीस हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है।

ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत ही है कि औरत के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया, एक बच्चे को गर्भ में रख कर 9 महीने पालने का ये सिस्टम किसी मर्द में नहीं है वैसे ही कोई औरत किसी मर्द के मनी (स्पर्म) के बगैर मां नहीं बन सकती। मर्द में कई और सलाहियत मौजूद है मर्द सर्दी और गर्मी के थपेड़ों को बर्दास्त करता है, दिन रात एक

कर के अपने बीबी बच्चों के लिए समान ए जिंदगी का इंतजाम करता है इस लिय अल्लाह ने मर्द को क्वाम बनाया है।

दुनियां के किसी भी धर्म में एक मर्द के लिए शादी करने की लिमिट नहीं बताई गई सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो चार शादियों की लिमिट तय करता है। दुनियां के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ धर्मों का अध्यन्न करें तो पता चलता है की इस्लाम ने चार औरतों से निकाह की इजाज़त दी उसमें भी शर्त रख दी की अगर तुम इन्साफ़ नहीं कर सकते तो सिर्फ़ एक ही करो।

इसके कुछ अहम बिंदु हैं-

पहला पॉइंट: पहला पॉइंट जो कि बहुत अहम है, इस्लाम ने दुनियां के तमाम मुल्कों में होने वाले दर्जनों विवाह (dozens of marriage) को 4 तक सीमित कर दिया। इस्लाम से पहले लगभग सभी धर्मों में लोग अंगिनित शादियां करते थे। अकेले भारत के इतिहास और धर्म ग्रंथों पर नजर डालें तो अंगिनित शादियों की मिसालें मिलती हैं। इसके बाद भी लोग एक से अधिक नजायज़ रिश्तों में संलिप्त रहते थे। ऐसे में सैकड़ों औरतों के साथ और उनसे पैदा होने वाली नाजायज़ औलादों के साथ ना इन्साफी होती थी जिस पर इस्लाम ने चार बीबियों की इजाज़त दे कर उन मज़लूम औरतों पर होने वाले जुल्म पर पाबन्दी लगा दी।

दूसरा पॉइंट: अरब कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ कबीलों में रिश्ते कर के उनके बेटियों के ज़रिए इस्लाम का पैग़ाम पहुंचाना ताकि वो इस्लाम और उसकी जड़ों को मज़बूत करें।

तीसरा पॉइंट: मर्द का फितरी तकाज़ा की अल्लाह ने फिरती तौर पर मर्द को ज्यादा एक्टिव नेचर दिया है और उसमें ये इस्तेतात मौजूद होती है कि शारीरिक, मानसिक और माली तौर पर एक से ज्यादा औरतों के साथ मामलात को लेकर चल सकता है।

चौथा पॉइंट: समाज में वो औरतें जो परेशान हाल हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं, बेवा तलाक़ शुदा जिन्हें सहारे की जरूरत है और इस बात का डर हो कि वो बुराई में मुलविश हो सकती हैं। अपनी नफशियाती ख्वाहिशात के लिए उनसे निकाह कर के हलाल तरीके से हुकुक़ अदा करे ताकि मर्द और औरत दोनों ही गुनाह से बच सके।

अल्लाह का फ़रमान है:

"और अगर तुम यतीमों के साथ नाइन्साफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसन्द आएँ उनमें से दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि उनके साथ इन्साफ़ न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी रखो या उन औरतों को बीवी बनाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं। [नाइन्साफी से बचने के लिये ये ज़्यादा अच्छा है।" [क़ुरान 04:03]

तफ़सीर: "और अगर तुम डरो कि यतीमों के हक़ में इन्साफ़ नहीं करोगे, तो (और) औरतों में से जो तुम्हें पसन्द हो उनसे निकाह कर लो।" का मतलब पूछा गया तो आयशा (रज़ि०) ने फ़रमाया कि, "इससे मुराद वो यतीम लड़की है जो अपने वली के नीचे पली-बड़ी हो, फिर वली के दिल में उसका हसन और उसके माल की तरफ़ से निकाह कि चाहत पैदा हो जाए मगर इस कम महर पर जो वैसी लड़कियों का होना चाहिये। तो इस तरह निकाह करने से रोका

गया लेकिन ये कि वली उनके साथ पूरे महर की अदायगी में इन्साफ से काम लें (तो निकाह कर सकते हैं) और उन्हें लड़कियों के सिवा दूसरी औरतों से निकाह करने का हुक्म दिया गया।"

आयशा (रज़ि०) ने बयान किया कि फिर लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

"आपसे लोग औरतों के मुताल्लिक पूछते हैं, आप कह दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हिदायत करता है।"

आयशा (रज़ि०) ने कहा कि फिर अल्लाह तआला ने इस आयत में बयान कर दिया कि,

"यतीम लड़की अगर खूबसूरत और माल वाली हो और (उनके वली) उनसे निकाह करने के खाहिशमन्द हों, लेकिन पूरा महर देने में उनके (खानदान के) तरीकों की पाबन्दी न कर सकें तो (वो उनसे निकाह न करें) जबकि माल और हसन की कमी की वजह से उनकी तरफ उन्हें कोई दिलचस्पी न होती हो, तो उन्हें वो छोड़ देते और उनके सिवा किसी दूसरी औरत को तलाश करते।"

रावी ने कहा, "जिस तरह ऐसे लोग दिलचस्पी न होने की सूरत में उन यतीम लड़कियों को छोड़ देते इसी तरह उनके लिये ये भी जायज़ नहीं कि जब उन लड़कियों की तरफ उन्हें दिलचस्पी हो तो उनके पूरे महर के मामले में और उनके हुक्म अदा करने में इन्साफ से काम लिये बगैर उनसे निकाह करें।" [सहीह बुखारी 2763]

अब गौर करने वाली बात है कि एक मर्द को चार औरतों से निकाह का हक कुरान में अल्लाह ने दिया है इसका मतलब यह नहीं कि इस का मज़ाक बनाया जाय, जहां इस पर नॉन मुस्लिम्स सवाल उठाते हैं वहीं कुछ मुस्लिम्स को सोशल मीडिया या ग्राउंड पर भी मज़ाक बनाते देखा जा सकता है। जैसे सोशल मीडिया को ले लें तो कुछ लोग हसी मज़ाक करते हुए चार औरतों के साथ तस्वीर, मीम्स और पोस्ट शेयर करते हैं। अगर कोई मुस्लिमान मज़ाक में भी ऐसा करता है तो ये गुनाह है, और कुरान की तौहीन है। अगर आज समाज में औरतों के हालात देखें तो दिल रोता है। आज का पसमंजर कहता है कि समाज में ऐसे मर्दों की जरूरत है जो किसी गरीब, बेवा और तलाक़ शुदा को अपने निकाह में लेकर उन्हें इज्जत और सहारा दें।

जब कुरान इजाज़त दे रहा है दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से निकाह करो फिर कोई क्यूं रोके?

हां, ज़रूरी ये है कि शर्तें पूरी करें। किसी मासूम की जिंदगी खराब कर के किसी और से निकाह कर लेना ये इन्साफ़ नहीं है और समाज की औरतों को भी चाहिए थोड़ा दिल बड़ा करे।

अब हमारे समाज में मर्द दूसरा निकाह करना भी चाहे तो औरतें तैयार नहीं होती इसकी कई वजह हैं:

1. फेमिनिज़्म (नारीवाद): आज कल फेमिनिज़्म का भूत सर चढ़ कर बोल रहा है। इसमें वो औरतें आती हैं जो दीन से दूरी बनाए हुए हैं, ये बहुविवाह (Polygamy) के खिलाफ़ मोर्चा खोल कर खड़ी हो जाती हैं।
2. मुआशरे की दीनदार औरतें: समाज में ऐसी भी औरतें हैं जो एक तरफ़ दीनदारी का दावा करती हैं और दूसरी तरफ़ अगर जायज़ और तरीके से शौहर दूसरा निकाह करना चाहे तो सीधे मुहँ से इन्कार नहीं करती बल्कि कई पैंतरे अपनाती हैं जैसे बात चीत न करना, मायके जानें की धमकी, अक्सर कहती हैं आप मुझे तलाक़ दे दें, मैं खुला ले लेती हूं, आप कर लें अपने शौक पूरे, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी मुहब्बत किसी और से बांट लूं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं "एक बार निकाह हो जाय तो कौन इन्साफ़ करता है"? वगैरह वगैरह...

कुछ तो मौन ही धारण कर लेती हैं जैसे खफा खफा रहना, बात चीत न करना, डेली रूटीन को चेंज कर लेना, खान पीना छोड़ देना ताकि शौहर मजबूर होकर जायज़ और नेक ख्वाहिश को छोड़ दे।

(iii) एक इल्तिज़ा मुस्लिम बहनों से

ए बिनते हव्वा! पॉलीगेमी जिसे अल्लाह ने जायज़ और हलाल किया है उसके खिलाफ़ न जाओ इस्लाम जिंदगी को आसान तरीके से गुज़ारने और सब के लिए आसानी पैदा करने की तालीम देता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल और परेशानी नहीं होगी बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए सबर और बर्दास्त से काम लें, हराम और हलाल में फ़र्क को समझें। अगर आप शौहर को हलाल चीज़ों से रोकती हैं फिर वो हराम की तरफ़ क़दम बढ़ता है तो आप गुनहगार होंगी।

आज फितनो का दौर है हराम चीज़ें आसान होती जा रही हैं। जिस तरीके से फहाशी और बेहयाई को न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम मर्द वा औरत दीन से दूर हो रहे हैं ऐसे में हराम चीज़ों से बचाना मुश्किल होता जा रहा है।

अल्लाह के खातिर नेक अमल करें, सब्र करें, अपनी कुछ ख्याहिसात की कुर्बानी दें, जिस तरीके से उम्मुल मोमिनीन ने दी, जिस तरह सहाबियात ने दीं। तौबा करें कहीं ऐसा न हो की हमारा शुमार आयातों का इंकार करने वाले लोगो मे हो जाए।

(iv) एक इल्तेजा कौम के नौजवानों से

मिल्लत के नौजवानों से मेरी गुज़ारिश है कि वो निकाह को आसन बनाएं, सुन्नत तरीके अपनाएं, दहेज़ जैसी बला का बहिष्कार (Boycott) करें। चार बीबियों का शौक रखने वाले बेवा और तलाक़ सुदा से निकाह कर के नबी की सुन्नत को जिंदा करें। मर्द अपने कव्वाम होने की जिम्मेदारी पूरी करे अपनी बीवी के साथ खुश अखलाकी से पेश आए।

17. मर्द के लिए निकाह की शर्तें

(i) किन औरतों से निकाह जायज़/हलाल है

खातमुन्नबीईन रसूल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की विलादत का मकसद दुनियां में एक अल्लाह की इबादत और शिर्क को खत्म करने के साथ साथ ये भी था कि वॉ इस दुनियाँ में फैली जाहिलियत की तमाम रश्मों रिवाजों को मिटा कर एक साफ-सुथरा इंसानी समाज का निर्माण करें और इसकी शुरुआत आप صلی اللہ علیہ وسلم ने तत्कालीन अरब मुआशरे से की, चूंकि अरब मुआशरा उस वक्त तमाम संस्कृतियों का केंद्र रहा था। सभी मज़हब और संप्रदाय को मानने वाला उस मुआशरे का अभिन्न अंग रहा। यहूदी, नसरानी, मजूसी, मुशरिक (बहुदेव वादी) सभी उस कल्चर में रचे-बसे थे और अपनी-अपनी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण कर रहे थे। इनके रहन सहन की छाप एक दूसरे पर दिखाई पड़ती थी, यही नहीं सारे धर्म और पंथों पर एक दूसरे के कल्चर का अच्छा-खासा प्रभाव देखने को मिलता था। ऐसे ही निकाह और बाकी के रश्मों-रिवाज लगभग किसी ना किसी रूप में एक दूसरे में दृष्टिगोचर होते थे।

अरब मुल्कों में निकाह करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है वहां का कल्चर ये था के एक मर्द कई लड़कियों से निकाह करते, उम्र को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी, आज़ाद गुलाम किसी भी लड़की से निकाह हो जाया करता था, हराम हलाल का कोई खयाल नहीं रखा जाता था।

अगर हम अरब के कल्चर को कुरान की रोशनी में समझें कि किन औरतों से निकाह किया जा सकता है और कौन सी औरतें या मर्द हराम हैं तो हम गुनाहों से बच सकते हैं।

(iii) निकाह के लिये हलाल औरतें

आज़ाद औरत ना मिले तों लौंडी से भी निकाह किया जा सकता है। इस विषय में कुरआन फ़रमान है कि -

"और तुममें से जो आदमी इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों (मोहसिनात) से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों और ईमान वाली हों। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल अच्छी तरह जानता है। तुम सब एक ही ग़िरोह के लोग हो। इसलिये उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और भले तरीक़े से उनके महर अदा कर दो, ताकि वो निकाह के घेरे में महफूज़ होकर रहें, ना आज़ादाना तौर पर शहवतरानी करती फिरें और ना चोरी-छिपे नाजाइज़ ताल्लुक बनाएँ। फिर जब वो निकाह के घेरे में महफूज़ हो जाएँ और उसके बाद कोई बदचलनी कर बैठें तो उन पर उस सज़ा के मुकाबले आधी सज़ा है जो खानदानी औरतों के लिये मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिये पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से तक़वा और परहेज़गारी के कायम ना रह जाने का अन्देशा हो। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिये बेहतर है, और अल्लाह बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।" [कुरआन 4: 25]

वजाहत: चूंकि अरब मुआशरे में आज़ाद औरतों का मेहर आम तौर पर ज्यादा होता था और बंदियों का मेहर कम इसलिए एक तरफ़ तो हुक्म यह दिया गया है कि बंदियों से निकाह उस वक्त किया जाय जब आज़ाद औरत से निकाह की इस्तितात (क्षमता) न हो, दूसरी तरफ़ यह हिदायत दी गई कि जब किसी बांदी से निकाह की नौबत आ जाय तो महज़ उसके बांदी होने की वजह से उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं।

क्यों कि फजीलत का असल दारोमदार तकवे पर है और अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं कि किसकी ईमानी हालत ज्यादा मज़बूत है और औलाद आदम होने की वजह से सब एक दूसरे के बराबर हैं।

आज़ाद औरतें अगर गैर शादी शुदा हैं तो इनके लिए ज़िना की सजा सौ कोड़े है जिसका ज़िक्र सूरह नूर की दूसरी आयत में आया है और ऊपर बयान की गई आयत में बांदी की इसकी आधी सजा यानी 50 कोड़े मुकरर फरमाई गई है।

(iii) शरीयत ने किन औरतों/मर्दों से निकाह मना (हराम) करार दिया है?

a. शरीयत ए इस्लामिया सल्बी, दूध शरीक और रजाई रिश्तों में निकाह को हराम करार दिया है:

अल्लाह का फ़रमान है:

"तुम पर हराम की गई तुम्हारी मायें, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालायें, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वॉ मायें जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध-शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की मायें, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है। उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके हो। वरना अगर [सिर्फ़ निकाह हुआ हो और] जिस्मानी ताल्लुक कायम ना हुआ हो तो [उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में] तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारे अपने नुत्फ़े से हों। और ये भी तुम पर हराम किया गया कि निकाह में दो सगी बहनों को जमा करो। मगर जो पहले हो चुका वो हो चुका, अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।

और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों [मोहसनात]। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे अलग हैं जो [जंग में] तुम्हारे हाथ आएँ। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबन्दी तुम पर लाज़िम कर दी गई है।

इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के ज़रिये से हासिल करना तुम्हारे लिये हलाल कर दिया गया है, शर्त ये है कि निकाह के घरे में उनको महफूज़ करो, ना ये कि आज़ादाना तौर पर शहवतरानी (ज़िना) करने लगे।" [कुरआन 4: 23-24]

इस हवाले से कुछ अहादीस पर नज़र डालते हैं:

अम्मी आयशा रज़ि० से रिवायत है नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم कि,

“रजाअत की बुनियाद पर वॉ सब रिश्ते (निकाह के लिये) हराम हों जाते हैं, ज़ों पैदाइशी नसब की वजह से हराम होते हैं।” [इब्ने माज़ा:1937, निसाई:3304, 3305, सही बुखारी:4796]

b. दो सगी बहने एक निकाह में जमा नहीं हो सकती हैं:

इस हवाले से हदीस देखें,

नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और इकबाल किया कि इस्लाम कुबूल करने के पहले से मेरे निकाह में दो सगी बहने हैं।

मैं क्या करूँ?

इस पर नबी صلی اللہ علیہ وسلم ने फरमाया: इनमें से एक को तू जिसे चाहे मुन्तखब कर ले और दूसरी को तलाक दे दे।"

[तिर्मिज़ी:1129, 1130, इब्ने माज़ा:1951, मुसनद अहमद:7015]

c. किसी औरत के साथ एक ही निकाह में उसकी सगी खाला या फूँफी को जमा करना मना है:

“नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने किसी ऐसी औरत से निकाह करने से मना किया जिसकी फूफी या खाला इसके निकाह में हो।” [सही बुखारी: 5108 - 10]

d. बाप की बेवा या मुतल्लका (सौतेली माओं) से निकाह हराम है:

इरशाद ए बारी तआला है:

"और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। हकीकत में ये एक बेशर्मी और बेहयाई का काम है, नापसन्दीदा है और बुरा चलन है।" [कुरआन 4: 22]

ऐसा शख्स जों बाप की बेवा या मुतल्लका से निकाह करें, तों अहादीस में उसकी सजा गर्दन कलम कर देना बताई गयी है।

हज़रत मुआविया-बिन-कुरा (रह०) ने अपने वालिद हज़रत कुरा-बिन-अयास (रज़ि०) से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया :

“मुझे रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने एक शख्स की तरफ़ भेजा जिसने अपने वालिद की बीवी से निकाह कर लिया था (और मुझे हुक्म दिया) कि मैं उसे क़त्ल कर दूँ और उसका माल ज़ब्त कर लूँ।” [इब्ने माज़ा 2608]

e. मुश्रिक मर्द-औरत और खुली ज़िनाकारी में लिप्त मर्द-औरत से निकाह मना है:

अल्लाह का फ़रमान है:

"ज़िना करने वाला निकाह ना करे मगर ज़िना करने वाली औरत के साथ या शिर्क करने वाली औरत के साथ, और ज़िना करने वाली औरत के साथ निकाह ना करे मगर ज़िना करने वाला मर्द या मुशरिक मर्द; और ये हराम कर दिया गया है ईमान वालों पर।" [कुरआन 24: 3]

इस हवाले से हदीस देखें

मर्सद-बिन-मर्सद नामी सहाबी वो ऐसे (जी दार और बहादुर) शख्स थे जो (मुसलमान) कैदियों को मक्का से निकाल कर मदीना ले आया करते थे। और मक्का में उनाक नामी एक ज़ानिया बदकार औरत थी वो औरत इस सहाबी की (उन के इस्लाम लाने से पहले की) दोस्त थी उन्होंने मक्का के कैदियों में से एक कैदी शख्स से वादा कर रखा था कि वो उसे कैद से निकाल कर ले जाएंगे। कहते हैं कि मैं (उसे कैद से निकाल कर मदीना ले जाने के लिये) आ गया। मैं एक चाँदनी रात में मक्का की दीवारों में से एक दीवार के साये में जा कर खड़ा हुआ ही था कि आ गई। दीवार के ओट में मेरी काली परछाई उसने देख ली, जब मेरे करीब पहुँची तो मुझे पहचान कर पूछा : मर्सद हो न? मैंने कहा : हाँ मर्सद हूँ, उसने खुश-आमदीद कहा (और कहा :) आओ रात हमारे पास गुज़ारो, मैंने कहा : अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया है। उसने शोर मचा दिया ऐ खेमे वालो (दौड़ो!) ये शख्स तुम्हारे कैदियों को उठाए लिये जा रहा है। फिर मेरे पीछे आठ आदमी दौड़ पड़े। मैं खन्दमा (नामी पहाड़) की तरफ भागा और एक गुफा या खोह के पास पहुँच कर उस में घुस कर छिप गया, वो लोग भी ऊपर चढ़ आए और मेरे सिर के करीब ही खड़े हो कर उन्होंने पेशाब किया तो उनके पेशाब की बूँदें हमारे सिर पर टपकीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अन्धा बना दिया। वो हमें न देख सके वो लौटे तो मैं भी लौट कर अपने साथी के पास (जिसे उठा कर मुझे ले जाना था।) आ गया वो भारी भरकम आदमी थे, मैंने उन्हें उठा कर (पीठ पर) लाद लिया इज़खिर (की झाड़ियों में) पहुँच कर मैंने उनकी बेड़ियाँ तोड़ डालीं और फिर उठा कर चल पड़ा कभी कभी इस ने भी मेरी मदद की (वो भी बेड़ियाँ ले कर चलता) इस तरह मैं मदीना आ गया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास पहुँच कर मैंने कहा : अल्लाह के रसूल! मैं उनाक से शादी कर लूँ? (ये सुन कर) रसूलुल्लाह (सल्ल०) खामोश रहे। मुझ कोई जवाब नहीं दिया फिर ये आयत لا يَنْكحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالْمُشْرِكَةُ كُفْرًا وَعَدْوًا لَا يُؤْمِنُونَ "ज़ानी ज़ानिया या मुशरिका ही से निकाह करे और ज़ानिया से ज़ानी या मुशरिक ही निकाह करे मुसलमानों पर ये निकाह हराम है। [कुरआन 24: 3] नाज़िल हुई आप ने (इस आयत के नुज़ूल के बाद मर्सद-बिन-अबी-मर्सद से) फ़रमाया : उससे निकाह न करो। [तिर्मिज़ी:3177]

नोट: अगर मुशरिक मर्द-औरत शिर्क से तौबा कर ले और ईमान ले आये तों उनसे निकाह किया जा सकता है।

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त कुरान में फरमाता है:

"तुम मुशरिक [बहुदेववादी] औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना, जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ। एक मोमिन लौडी शरीफ़ मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें बहुत पसन्द हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना, जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ। एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें बहुत पसन्द हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और वो अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है, उम्मीद है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे।" [सूरह बकरा :221]

नोट: इस आयत पर गौर करें अल्लाह रब्बुल इज़ज़त मुस्लिम मर्दों से साफ़ साफ़ फरमा रहा है कि मुशरिक औरत से निकाह न करना जब तक वो इमान न ले आएँ उस से बेहतर एक इमान वाली मोमिन औरत बेहतर है।

इस्लाम और बहुदेववादी के बीच अकीदे का फ़र्क है जो शादी के बाद टकराते रहते हैं इसमें अपने इमान के जानें का अंदेशा है और आज कल जो लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों के प्रेम में पड़ कर शादी कर लेते हैं या सोचते हैं कि शादी के बाद सब सही हो जायेगा, मगर अकसर जिंदगियां उलझ कर रह जाती हैं और सब से बढ़ कर आने वाली नस्लों

का दीन दाव पर लग जाता है, बच्चों की परवरिश, उनके नाम को लेकर प्रॉब्लम, समाज में बच्चे को इज्जत न मिलना, बड़े होकर बच्चों का कश्मकश में ज़िंदगी गुजरना कि वो कौन से दीन पर चलें।

इसी तरह अल्लाह ने औरतों के लिए भी फरमाया है कि अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना, जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ। एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें बहुत पसन्द हो।

कुरान की तौहीन कर जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, भाग कर मुशरिकों से अपनी चंद नाजायज़ दुनियावी ख्वाहिशात की खातिर शादी कर रही हैं। ऐसे लड़के और लड़कियों को नजायज और हराम रिश्तों से बचाना चाहिए। दुनियां की छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की बशारत दी है। इसलिय अल्लाह की नाफरमानी से बचें, गुनाहों से तौबा करें, नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हलाल और इमान वाले मर्द/औरत से निकाह करें!

18. खुलासा ए निकाह

मिल्लत ए इस्लामिया के प्यारे भाईयो और बहनों! निकाह सीरीज में हम ने पाक और अजीम नेमत "निकाह" को कुरान की आयातों और अहादीस की रोशनी में जाना और समझा, निकाह के ज़रिए न केवल दो अजनबी ही पाक और मुकद्दस रिश्ते में बंधते बल्कि ये ऐसा रिश्ता है जिसमें दो खानदान को भी जुड़ने का मौका मिलता है।

हम ने इस सीरीज में सुन्नत तरीके से निकाह और इस्लाम में निकाह के मौके पर फैली गैर ज़रूरी रस्मों को समाज से खत्म करने के लिए सभी पहलुओं पर रोशनी डाली ताकि समाज में फैली जहालत का खात्मा हो सके और एक ऐसा समाज वजूद में आए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो।

कितनी अफ़सोस की बात है आसान और सादगी की जिंदगी जीने वाली कौम आज परेशान हाल नज़र आ रही है। हर मंच पर उम्मत आज बदहाली और परेशानियों से दो चार है वजह है दीन से ला इल्मी और निकाह को मुश्किल बना देना जिसकी वजह से समाज में जिनाकारी के मामलात बढ़ते जा रहे हैं, दिखावे और शोहरत की जिंदगी जीने की होड़ ने हमारे समाज का ताना बाना कमज़ोर कर दिया है। आज मुस्लिम बेटियां लाखों की संख्या में मुर्तद हो कर अपने लिय और अपने बालदेन के लिए जहन्नम खरीद रही हैं, तलाक़ और खुला की घटनाएं बढ़ती जा रही है, मर्द और औरत दोनों सब्र का दामन छोड़ कर गुमराह हो रहे हैं।

महंगे निकाह ने न केवल बेटियों की जिंदगी मुश्किल और जहन्नम बनाया है बल्कि बेटे भी इसका दंश झेल रहे हैं।

एक तरफ़ जिम्मेदारियों का बोझ दूसरी तरफ़ नेक बीवी न मिलने पर जिंदगी की अजीयतों का सामना करते मर्दों का दुःख कम ही लोगों को दिखता है। कई औरतें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर मायके जा बैठती हैं। ऐसे में मर्द हराम ख्वाहिशों की तरफ़ माइल होता है।

खुला की बढ़ती घटनाएं, कुछ औरतें ऐसी हैं जो बातिल निज़ाम का सहारा लेकर मर्दों पर झूठे केस दर्ज करती हैं और हालात ये हैं की मर्द बेचारा सालो साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, कई ऐसे हैं जो जेलों में दहेज़ प्रथा की सजा काट रहे हैं, ऊपर से औरत को गुजारा भत्ता की डिमांड। सोचें अगर किसी घर में अपने मां बाप का इकलौता बेटा कमाने वाला हो?

अगर आप गौर करें तो देखेंगे की आए दिन छोटी छोटी बातों पर मुस्लिम घरों में पुलिस आई रहती हैं और ये चीजें हिंदू परिवारों में कम हैं।

सच कहूं तो आज मुस्लिम औरत ने सब्र और बर्दास्त की कुव्वत खो दी है ये सब देख कर दिल खून के आंसू रोता है खुदारा रहम करे ऐसे ही मुसलमानों की परेशानियां कम हैं क्या?

दूसरी तरफ़ कुछ मुस्लिम मर्द इतने गैर जिम्मेदार हैं कि निकाह कर के अपने बीबी बच्चों को लड़की के मायके छोड़ देते हैं अब बेचारी क्या करे उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, अपने बालदेन पर बोझ बन कर मजबूरी में हाथ फैलाती फिरे या फिर अपनी और अपने बच्चों की जरूरत पूरी करने बाहर निकले और दरिंदे भेड़ियों का शिकार बनें?

याद रहे निकाह के बाद औरत के नान वा नफ़का की सारी जिम्मेदारी मर्द की है न की औरत की। अल्लाह ने औरत पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली। अल्लाह से डरें हर छोटी बड़ी चीज़ का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा।

वक्त की नज़ाकत कुछ यूँ कहती है ऐ मुसलामां, आ दिल से गौर ओ फिक्र करें।

छोड़ दिखावे की चमकती दुनियां, चल खुद को अपने रब के आगे पेश करें।।

दिल रोता है कौम की बदहाली देख, आ दर्श ए कुरान पर भी कुछ गौर करें।

ऐ मुसलमां सोच जरा! हम क्या थे और क्या हो गए? क्यूँ ना अब कुछ और करें।।

दिखावे की जिंदगी ने क्या गुल खिलाए, ये दौलत और शोहरत यहा ले आई।

इमान को जंग लगाई, बता ऐ इब्न ए आदम, तूने नबी की सुन्नते कहां गवाई?

झूठी शान की चाहत, दिखावे और बेहवाई की महफ़िल मिल कर सजाई।

बस यही तो सबसे बड़ी वजह थी, रफ़ता रफ़ता ताग़ुत ने चिंगारी भड़काई।।

गफलत के आलम में हम सब ने इस्लाम के आशियाने में खुद ही आग लगाई।

नमाज़, जकात, रोज़े के फराइज़ छोड़ कर हराम की चाहत दिल में जगाई।।

अपने रब को नाराज़ किया, मनमानियां की इसीलिए ये उम्मत लड़खड़ाई।

दर्श ए कुरान दे रहा चीख-चीख गवाही, दिल में मेरी कोई जगह ना बनाई।।

चलो अब गुनाहों से रूजू कर ले, कलाम ए इलाही से दिल मुनव्वर कर लें।

वक्त अभी बाकी है मेरे दोस्त चल अब तू भी अपने गुनाहों से तौबा कर लें।।

जिंदगी आसान हो जाए जो नबी की सुन्नत पर अमल कर जिंदगी गुजारेंगे।

ठान लेंगे, डट जाएंगे, किसीसे ना डरेंगे, निकाह कर ज़िना को दूर भगाएंगे।।

सोच ज़रा ऐ गुनाहों के पुतले रोज़ ए महसर अपने रब को क्या मुंह दिखायेंगे।

तौबा कबूल ना हुई तो किस मुंह से जाम ए कौसर की तलब नबी से लगायेंगे।।

वक्त की नज़ाकत कुछ यूँ कहती है ऐ मुसलामां, आ दिल से गौर ओ फिक्र करें।

आ लौट चलें कुरान व सुन्नत की तरफ़ खौफ़ ए खुदा से दिल पुर सुकूँ कर लें।।